

Annual Report 45th

BOOK-POST



45 वाँ
वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23

RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LTD.
3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath, Jaipur-302005
CIN-U75132RJ1978SGC001781
Tel-0141-2227665, 2227514, www-rajseeds.org

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN- U75132RJ1978SGC001781

तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, भगवान दास रोड़, जयपुर-302005

Tel- 0141-2227665, 2227514, Fax No. 0141-2227944, www.rajseeds.org

राजस्थान स्टेट सीड्स का निदेशक मण्डल:-

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	पद	DIN / PAN (निदेशक पहचान संख्या / PAN)
1	श्री जसवन्त सिंह	प्रबन्ध निदेशक	08383856
2	श्री कन्हैया लाल स्वामी	निदेशक	09635903
3	श्रीमती हेम पुष्पा शर्मा	निदेशक	08749333
4	श्री लक्ष्मण सिंह कुड़ी	निदेशक	---
6	श्री रामावतार शर्मा	निदेशक	10243999
7	श्री पी. के. पटनायक	निदेशक	---
8	श्री मुकेश कुमार जाट	निदेशक	08602179
9	डॉ० पी. एस. शेखावत	निदेशक	08897934
10	डॉ० अरविन्द वर्मा	निदेशक	10271849
11	श्री राजेश कुमार पुनियाँ	निदेशक	09018819
12	श्री सुवा लाल यादव	निदेशक	09029096
13	श्री भँवरलाल गुर्जर	निदेशक	10122163
14	श्री चर्मेश शर्मा	निदेशक	10146109

महाप्रबन्धक
कम्पनी सचिव
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

श्री के० सी० मीणा
श्री राकेश मामनानी
श्री मनमोहन मीणा

1. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्टेशन रोड़, जयपुर

अंकेक्षक

मै. गोपाल शर्मा एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जयपुर।

—: पंजीकृत कार्यालय :-

CIN- U75132RJ1978SGC001781

तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, भगवान दास रोड़, जयपुर-302005

Tel- 0141-2227665, 2227514, Fax No. 0141-2227944, www.rajseeds.org

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या	
		हिन्दी	अंग्रेजी
1.	सूचना व टिप्पणियां	3-7	
2.	निदेशकों का प्रतिवेदन एवं अंकेक्षकों के प्रतिवेदन तथा साचिविक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन पर निदेशक का प्रत्युत्तर	8-23	
3.	अंकेक्षकों का प्रतिवेदन पर निदेशकों का प्रत्युत्तर	24	85
4.	अंकेक्षकों का प्रतिवेदन	25-39	69-84
5.	तुलन-पत्र	40	86
6.	लाभ हानि खाता	41	87
7.	नकद प्रवाह विवरण पत्र	42	88
8.	अनुसूची (तुलन पत्र एवं लाभ-हानि खाता)	43-55	89-101
9.	लेखा-नीतियां एवं लेखा टिप्पणियां	56-68	102-116
10.	महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	-	-

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड

तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर —302005

CIN- U75132RJ1978SGC001781, www.rajseeds.org

Tel- 0141-2227665, 2227514, e-mail- csrajseeds@gmail.org

45वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की पैतालिसवीं (45वीं) वार्षिक साधारण सभा, शुक्रवार दिनांक 29 दिसम्बर 2023 को मध्याह्न 12:15 बजे सभागार राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, टोंक रोड़, दुर्गापुरा जयपुर में निम्नलिखित कार्यों के सम्पादन के उद्देश्य से होनी निश्चित की गई है:—

साधारण कार्य:—

01. 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के निदेशकों का प्रतिवेदन, अंकेक्षकों की रिपोर्ट, अंकेक्षित तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाता तथा उस पर भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी को प्राप्त करना, विचार करना तथा स्वीकार करना।
02. साम्य अंशों पर वर्ष 2022—23 के लिए लाभांश की घोषणा के निम्न प्रस्ताव संशोधन अथवा बिना संशोधन के पारित करने का श्रम करें:—
“पारित किया जाता है कि निगम के निदेशक मण्डल की 234वीं बैठक दिनांक 01.12.2023 के निर्णयानुसार 22.12.2023 (रिकॉर्ड डेट) को निगम के लेखों में उल्लेखित प्रदत्त साम्य अंश पूँजी पर 10 प्रतिशत की दर से वर्ष 2022—23 के लिए अंशधारियों को लाभांश दिये जाने का अनुमोदन किया जाता है”
03. वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं फीस का निर्धारण करने हेतु निम्न प्रस्ताव संशोधन अथवा बिना संशोधन के पारित करने का श्रम करें:—
“पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के प्रावधानों के अंतर्गत निगम के वर्ष 2022—23 के लेखों के अंकेक्षण कार्य हेतु वैधानिक अंकेक्षक मैसर्स गोपाल शर्मा एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, जयपुर की वैधानिक अंकेक्षण फीस एवम कर—अंकेक्षण फीस सहित रूपये 1,95,000 /— प्रति वर्ष पर नियुक्ति की जाती है।”
04. श्रीमति हेम पुष्पा शर्मा, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय—1), राजस्थान सरकार, जो निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 122 (बी) के प्रावधानों के चक्रक्रम से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं एवम् पुनः नियुक्ति की योग्यता रखते हैं।
05. डॉ० पी. एस. शेखावत, निदेशक रिसर्च, स्वामी केशवानन्द, आर.ए.यू., बीकानेर, जो निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 122 (बी) के प्रावधानों के चक्रक्रम से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं एवम् पुनः नियुक्ति की योग्यता रखते हैं।
06. श्री राजेश कुमार पूनियाँ, निदेशक, जो निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 122 (बी) के प्रावधानों के चक्रक्रम से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं एवम् पुनः नियुक्ति की योग्यता रखते हैं।
07. श्री सुवालाल यादव, निदेशक, जो निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 122 (बी) के प्रावधानों के चक्रक्रम से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं एवम् पुनः नियुक्ति की योग्यता रखते हैं।

08. श्री भँवर लाल गुर्जर, निदेशक, जो निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 122 (बी) के प्रावधानों के चक्रक्रम से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं एवम् पुनः नियुक्ति की योग्यता रखते हैं।
09. श्री चर्मेश शर्मा, निदेशक, जो निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 122 (बी) के प्रावधानों के चक्रक्रम से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं एवम् पुनः नियुक्ति की योग्यता रखते हैं।

विशेष कार्य (साधारण प्रस्ताव):-

10. निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव संशोधन अथवा बिना संशोधन के पारित करने का श्रम करें:-
“पारित किया जाता है कि श्री कन्हैया लाल स्वामी, आयुक्त कृषि विभाग को कम्पनी अधिनियम तथा निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसरण में निगम की आगामी साधारण सभा तक के लिए निगम में निदेशक नियुक्त किया जाता है।”
11. निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव संशोधन अथवा बिना संशोधन के पारित करने का श्रम करें:-
“पारित किया जाता है कि श्री रामावतार शर्मा, निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था जयपुर को कम्पनी अधिनियम तथा निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसरण में निगम की आगामी साधारण सभा तक के लिए निगम में निदेशक नियुक्त किया जाता है।”
12. निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव संशोधन अथवा बिना संशोधन के पारित करने का श्रम करें:-
“पारित किया जाता है कि श्री डॉ० अरविन्द वर्मा, निदेशक रिसर्च, एम.पी.यू.ए.टी, उदयपुर को कम्पनी अधिनियम तथा निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसरण में निगम की आगामी साधारण सभा तक के लिए निगम में निदेशक नियुक्त किया जाता है।”
13. निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव संशोधन अथवा बिना संशोधन के पारित करने का श्रम करें:-
“पारित किया जाता है कि श्री धीरज गुर्जर, अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त) को निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य ग्रहण की तिथि से निम्नानुसार प्रदत्त वेतन एवं अन्य सुविधाओं का अनुमोदन किया जाता है:-

क्र. स.	मद	देय सुविधाएँ		
1.	वेतन एवं सत्कार भत्ता	रूपये 62,000/- एवं रूपये 55,000/- सत्कार भत्ता प्रतिमाह		
2	आवास भत्ता	राज्यमंत्री	मासिक आवास भत्ता	विशेष विवरण
		जो जयपुर के निवासी नहीं है।	30,000/-	इन्हे विश्राम भवन, जयपुर में आवास की सुविधा देय नहीं होगी।
		जो जयपुर के निवासी है।	10,000/-	

3	दैनिक भत्ता	राजकीय कार्य हेतु:- क- राज्य में रूपये 2000/-प्रतिदिन (180 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक) ख- राज्य से बाहर रूपये 2500/- प्रतिदिन (100 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक) (नोट:- उक्त दोनों यात्राएं वर्ष में 180 दिवस तक सीमित रहेंगी।
4	टेलीफोन, पोस्टपैड मोबाईल, ब्राडबैंड व इन्टरनेट मॉडम सहित	01. एक निःशुल्क राजकीय टेलीफोन कार्यालय के उपयोग हेतु 02. स्थाई लैण्डलाइन टेलीफोन, पोस्टपैड मोबाईल, ब्राडबैंड व इन्टरनेट मॉडम सहित हेतु जिसकी सीमा निम्न प्रकार होगी:-राज्यमंत्री स्तर हेतु 8500/- कॉल्स प्रतिमाह। (सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग के आदेश संख्या: प. 5(31)साप्र/3/82 दिनांक 03.09.2012 के अनुसार)
5	ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था	माननीय राज्य मंत्रीगण को देय सुविधा के अनुसार सुविधा देय।
6	एक वाहन	जयपुर एवं जयपुर से बाहर राजकीय दौरे के उपयोग हेतु
7	चिकित्सा सुविधा	राज्यमंत्री को देय निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के अनुसार
8	यात्रा भत्ता	राज्यमंत्री को देय (ए-श्रेणी अधिकारी के अनुसार) यात्रा भत्ता

“यह भी पारित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसीड्स को राज्यमंत्री स्तर के रूप में सचिवालय के आदेश क्रमांक प.11 (1) मं.मं/1999 जयपुर दिनांक 30.11.2012, 07.12.2017 18.07.2022 तथा 28.03.2023 द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ मे किये गये संशोधन के अनुसार वेतन एवं सत्कार भत्तों तथा अन्य सुविधायें उनके कार्यग्रहण तिथि से देय भुगतान राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड से किये जाने का अनुमोदन किया जाना है।

स्थान: जयपुर
दिनांक: 01 दिसम्बर, 2023

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
Sd/-
(राकेश मामनानी)
कम्पनी सचिव

टिप्पणियाँ

1. जो सदस्य बैठक में सम्मिलित होने और मत देने के अधिकारी है, वे अपने स्थान पर बैठक में सम्मिलित होने तथा मत देने के लिये किसी व्यक्ति को प्रतिपुरुष कर सकते हैं। प्रतिपुरुष को कम्पनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। प्रतिनिधी परिपत्र बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में पहुंच जाना चाहिये।
2. अंशधारियों से आग्रह है कि तुरन्त अपने परिवर्तित पते की सूचना, यदि कोई हो, को निगम के पंजीकृत कार्यालय पर सूचित करें।

3. सदस्य जो कि निगम के खातों व कार्यकलापों सम्बन्धी कोई जानकारी चाहने के इच्छुक हो, से आग्रह है कि अपनी प्रश्नावली मीटिंग की तिथि से सात दिवस पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर प्रेषित करें, ताकि चाही गयी जानकारी मीटिंग के समय उपलब्ध करायी जा सकें।

स्थान: जयपुर
दिनांक: 01 दिसम्बर, 2023

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
Sd/-
(राकेश मामनानी)
कम्पनी सचिव

सूचना का परिशिष्ट

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अन्तर्गत व्याख्यात्मक विवरण

विषय वस्तु:- 10

श्री कन्हैया लाल स्वामी, आयुक्त कृषि विभाग को निदेशक मण्डल की 233वीं बैठक जो दिनांक 07.10.2023 को हुई में निगम के निदेशक मण्डल में श्री गौरव अग्रवाल, आयुक्त कृषि राजस्थान के स्थान पर कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था। श्री कन्हैया लाल स्वामी, आयुक्त कृषि विभाग का निदेशक पद पर कार्यकाल कम्पनी अधिनियम और निगम के अन्तर्नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत इसी साधारण सभा तक है एवम् इनकी निदेशक पद पर नियुक्ति आगामी साधारण सभा तक की जानी प्रस्तावित है।

विषय वस्तु:- 11

श्री रामावतार शर्मा, निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था जयपुर को निदेशक मण्डल की 232वीं बैठक जो दिनांक 28.06.2023 को हुई में निगम के निदेशक मण्डल में श्री महेश कुमार वर्मा, निदेशक राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर के स्थान पर कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था। श्री रामावतार शर्मा, निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था जयपुर का निदेशक पद पर कार्यकाल कम्पनी अधिनियम और निगम के अन्तर्नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत इसी साधारण सभा तक है एवम् इनकी निदेशक पद पर नियुक्ति आगामी साधारण सभा तक की जानी प्रस्तावित है।

विषय वस्तु:- 12

श्री डॉ० अरविन्द वर्मा, निदेशक रिसर्च, एम.पी.यू.ए.टी, उदयपुर को निदेशक मण्डल की 232वीं बैठक जो दिनांक 28.06.2023 को हुई में निगम के निदेशक मण्डल में डॉ० शांति कुमार शर्मा, निदेशक रिसर्च, एम.पी.यू.ए.टी, उदयपुर के स्थान पर कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था। डॉ० अरविन्द वर्मा, निदेशक रिसर्च, एम.पी.यू.ए.टी, उदयपुर का निदेशक पद पर कार्यकाल कम्पनी अधिनियम और निगम के अन्तर्नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत इसी साधारण सभा तक है एवम् इनकी निदेशक पद पर नियुक्ति आगामी साधारण सभा तक की जानी प्रस्तावित है।

विषय वस्तु:- 13

शासन सचिव, मंत्रीमण्डल सचिवालय, राजस्थान सरकार, के आदेश क्रमांक प.11 (1) मं.मं/1999 जयपुर दिनांक 28.03.2023 के द्वारा राज्य में गठित विभिन्न बोर्ड/निगम/आयोग/समितियों में पदस्थापित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पदाधिकारीगण जिन्हे मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया हुआ है, को निम्नानुसार सुविधायें उनके कार्यग्रहण तिथि से देय किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की गई है:-

क्र. स.	मद	देय सुविधाएँ		
1.	वेतन एवं सत्कार भत्ता	रूपये 62,000 /- एवं रूपये 55,000 /- सत्कार भत्ता प्रतिमाह		
2	आवास भत्ता	राज्यमंत्री	मासिक आवास भत्ता	विशेष विवरण
		जो जयपुर के निवासी नहीं है।	30,000 /-	
		जो जयपुर के निवासी है।	10,000 /-	
3	दैनिक भत्ता	राजकीय कार्य हेतु:- क- राज्य में रूपये 2000 /- प्रतिदिन (180 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक) ख- राज्य से बाहर रूपये 2500 /- प्रतिदिन (100 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक) (नोट:- उक्त दोनों यात्राएं वर्ष में 180 दिवस तक सीमित रहेंगी।)		
4	टेलीफोन, पोस्टपैड मोबाईल, ब्राडबैंड व इन्टरनेट मॉडम सहित	01. एक निःशुल्क राजकीय टेलीफोन कार्यालय के उपयोग हेतु 02. स्थाई लैण्डलाईन टेलीफोन, पोस्टपैड मोबाईल, ब्राडबैंड व इन्टरनेट मॉडम सहित हेतु जिसकी सीमा निम्न प्रकार होगी:-राज्यमंत्री स्तर हेतु 8500 /- कॉल्स प्रतिमाह। (सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग के आदेश संख्या: प. 5(31)साप्र / 3 / 82 दिनांक 03.09.2012 के अनुसार)		
5	ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था	माननीय राज्यमंत्रीगण को देय सुविधा के अनुसार सुविधा देय।		
6	एक वाहन	जयपुर एवं जयपुर से बाहर राजकीय दौरे के उपयोग हेतु		
7	चिकित्सा सुविधा	राज्यमंत्री को देय निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के अनुसार		
8	यात्रा भत्ता	राज्यमंत्री को देय (ए-श्रेणी अधिकारी के अनुसार) यात्रा भत्ता		

निदेशक मण्डल की 231वीं बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसीड्स को राज्यमंत्री स्तर के रूप में सचिवालय के आदेश क्रमांक प.11 (1) मं.मं/1999 जयपुर दिनांक 30.11.2012, 07.12.2017 18.07.2022 तथा 28.03.2023 द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ में किये गये संशोधन के अनुसार वेतन एवं सत्कार भत्तों तथा अन्य सुविधायें उनके कार्यग्रहण तिथि से देय भुगतान राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड से किये जाने का अनुमोदन किया गया था जिसकी कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में साधारण सभा से अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

इस प्रस्ताव में किसी भी निदेशक का हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निहित नहीं है।

स्थान:- जयपुर

दिनांक:- 01 दिसम्बर, 2023

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

Sd/-

(राकेश मामनानी)

कम्पनी सचिव

(M. No. F8834)

निदेशकों का प्रतिवेदन

माननीय सदस्यगण,

निगम के निदेशकगण को पैतालिसवा (45वाँ) वार्षिक प्रतिवेदन एवं उसके साथ 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंकेक्षित लेखों का विवरण, वैधानिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन, एवम् अंकेक्षकों द्वारा दर्शाये गये विभिन्न बिन्दुओं के प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

01. वर्ष के वित्तीय समीक्षा:—

(रु. लाखों में)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय परिणाम	2022-23	2021-22
बिक्री	22902.39	27527.61
अन्य आय	333.01	316.83
कुल आय	23235.40	27844.44
कुल व्यय	21956.20	25401.63
लाभ/हानि/(+)/(−) कर से पूर्व	(+) 1279.20	(+) 2442.81
घटाइये: आयकर हेतु प्रावधान	330.03	717.13
कर पश्चात् लाभ(+)/हानि (−)	(+) 986.28	(+) 1778.73

वर्ष 2022-23 में आयकर प्रावधान पश्चात् 986.28 लाख रुपये का लाभ रहा जो गत वर्ष के लाभ 1778.73 लाख रुपये से 792.45 लाख रुपये कम है तथा संचित लाभ गत वर्ष तक के संचित लाभ 15,778.60 लाख रुपये से बढ़कर 16,688.95 लाख रुपये हो गये हैं, जो गत वर्ष से संचित लाभ से 910.35 लाख रुपये अधिक है।

02. लाभांश

आपके निदेशक निगम की चुकता पूँजी रुपये 759.28 लाख पर 10 प्रतिशत की दर से 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये 10 प्रतिशत की दर से रुपये 75,92,858/- रुपये जिस पर लाभांश कर शून्य रुपये बनता है, पर लाभांश दिये जाने की घोषणा करते हैं। निगम द्वारा उक्त लाभांश हेतु रुपये 75,92,854/- एवं लाभांश कर हेतु शून्य रुपये के भुगतान का समायोजन वर्ष 2022-23 के लेखों में किया गया है।

03. वित्तीय स्रोत

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में निगम की पूँजी का संगठन निम्न प्रकार है:—

(रुपये लाखों में)

राजस्थान सरकार	633.00
राष्ट्रीय बीज निगम	113.93
अन्य	<u>12.35</u>
कुल योग	<u>759.28</u>

04. अंकेक्षण समिति

निगम की अंकेक्षण समिति का गठन निदेशक मण्डल की 137वीं बैठक जो दिनांक 29 मार्च, 2001 को हुई, में किया गया था। अंकेक्षण समिति की बैठक का समय-समय पर पुनर्गठन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में निदेशकों की ओर

से संचरण द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुये अंकेक्षण समिति के पुर्नगठन किया गया, जिसकी निदेशक मण्डल की 231वीं बैठक, जो दिनांक 25 अप्रैल, 2023 को हुई, मे सर्वसम्मति से पुष्टि की गई थी। वर्तमान में अंकेक्षण समिति के निम्नलिखित सदस्य है:-

- | | |
|---|---------|
| 1. श्री काना राम, आयुक्त, कृषि विभाग | अध्यक्ष |
| 2. श्री जसवन्त सिंह, प्रबन्ध निदेशक | सदस्य |
| 3. श्रीमती हेम पुष्पा शर्मा, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) | सदस्य |
| 4. श्री भँवरलाल गुर्जर, निदेशक | सदस्य |
| 5. श्री चर्मेश शर्मा, निदेशक | सदस्य |

अंकेक्षण समिति की सभा वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 22.11.2022 तथा 29.03.2023 को की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सदस्यों द्वारा अंकेक्षण समिति की उपस्थिति इस प्रकार है-

अंकेक्षण समिति के सदस्यों का नाम	बैठकों की संख्या	उपस्थिति
श्री काना राम, आयुक्त, कृषि विभाग (18.04.2022 से 28.06.2023 तक)	2	2
श्री जसवन्त सिंह, प्रबन्ध निदेशक, (30.01.2019 से निरन्तर)	2	2
श्रीमती हेम पुष्पा शर्मा, (08.04.2021 से निरन्तर)	2	1
श्री सीताराम सैनी, निदेशक (28.12.2020 से 27.12.2022 तक)	1	1
श्री मोमराज विश्नोई, निदेशक (28.12.2020 से 27.12.2022 तक)	1	1
श्री भँवरलाल गुर्जर (27.12.2022 से निरन्तर)	1	1
श्री चर्मेश शर्मा (27.12.2022 से निरन्तर)	1	1

05. सी0 एस0 आर0 समिति

निगम की Corporate Social Responsibility Committee का गठन निदेशक मण्डल की 192वीं बैठक जो दिनांक 23.12.2014 को हुई, में किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में निदेशकों की ओर से संचरण द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुये Corporate Social Responsibility Committee के पुर्नगठन किया गया, जिसकी निदेशक मण्डल की 231वीं बैठक, जो दिनांक 25 अप्रैल, 2023 को हुई, मे सर्वसम्मति से पुष्टि की गई थी। इसके पश्चात् निदेशक मण्डल की 231वीं बैठक, जो दिनांक 25 अप्रैल, 2023 को हुई, में ही निदेशक मण्डल द्वारा आयुक्त कृषि विभाग के स्थान पर निगम के अध्यक्ष को Corporate Social Responsibility Committee में शामिल करते हुये Corporate Social Responsibility Committee का पुनः पुर्नगठन किया गया। वर्तमान में Corporate Social Responsibility Committee के निम्नलिखित सदस्य है:-

- | | |
|---|---------|
| 1. निगम के अध्यक्ष | अध्यक्ष |
| 2. श्री जसवन्त सिंह, प्रबन्ध निदेशक | सदस्य |
| 3. श्रीमती हेम पुष्पा शर्मा, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) | सदस्य |
| 4. श्री भँवरलाल गुर्जर, निदेशक | सदस्य |
| 5. श्री चर्मेश शर्मा, निदेशक, | सदस्य |

Corporate Social Responsibility Committee की बैठक वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक बैठक की गई थी, जो दिनांक 29.03.2023 को रखी गई थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सदस्यों द्वारा Corporate Social Responsibility Committee की उपस्थिति इस प्रकार है-

Corporate Social Reasonability Committee के सदस्यों का नाम	बैठकों की संख्या	उपस्थिति
श्री काना राम, आयुक्त, कृषि विभाग (18.04.2022 से 28.06.2023 तक)	1	1
श्री जसवन्त सिंह, प्रबन्ध निदेशक, (30.01.2019 से निरन्तर)	1	1
श्रीमती हेम पुष्पा शर्मा, (08.04.2021 से निरन्तर)	1	0
श्री भँवरलाल गुर्जर (27.12.2022 से निरन्तर)	1	1
श्री चर्मेश शर्मा (27.12.2022 से निरन्तर)	1	1

06. Nomination, Remuneration & Stakeholders Relationship Committee

निगम की Nomination, Remuneration & Stakeholders Relationship Committee का गठन निदेशक मण्डल की 196वीं बैठक जो दिनांक 22.09.2015 को हुई, में किया गया था। था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में निदेशक मण्डल की 222वीं बैठक जो दिनांक 25 मार्च, 2021 को हुई, में Nomination, Remuneration & Stakeholders Relationship Committee का पुनर्गठन किया गया था। वर्तमान में Nomination, Remuneration & Stakeholders Relationship Committee के निम्नलिखित सदस्य हैं:-

1. श्री, कन्हैयालाल स्वामी, आयुक्त, कृषि विभाग	अध्यक्ष
2. श्री जसवन्त सिंह, प्रबन्ध निदेशक	सदस्य
3. श्रीमती हेम पुष्पा शर्मा, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1)	सदस्य
4. श्री राजेश कुमार पूनियाँ, निदेशक	सदस्य
5. श्री सुवा लाल यादव, निदेशक	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2022-23 में Nomination, Remuneration & Stakeholders Relationship Committee की एक भी बैठक अपरहार्य कारणों द्वारा नहीं की जा सकी। आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त कमेटी की बैठक कर दी जावेगी।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के अंतर्गत अन्य सूचना शून्य है।

07. निदेशक मण्डल:-

वर्तमान में निदेशक मण्डल में माननीय श्री धीरज गुर्जर (01.03.2022 से निरन्तर) अध्यक्ष पद पर आसीन है। श्री जसवन्त सिंह (30.01.2019 से निरन्तर) प्रबन्ध निदेशक के पद पर आसीन है तथा श्री कन्हैया लाल स्वामी, आयुक्त, कृषि विभाग (07.10.2023 से निरन्तर) निगम के निदेशक पद पर आसीन है। इसके साथ ही श्रीमती हेम पुष्पा शर्मा, संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1), राजस्थान सरकार (08.04.2021 से निरन्तर), श्री लक्ष्मण सिंह कूड़ी, आयुक्त, उद्यानिकी विभाग, (28.06.2023 से निरन्तर), श्री रामअवतार शर्मा, निदेशक राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर (28.06.2023 से निरन्तर), श्री पी0के0 पटनायक, ए0डी0जी0एम0 (विपणन), नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (23.09.2022 से निरन्तर), श्री मुकेश कुमार जाट, क्षेत्रीय प्रबन्धक, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (31.08.2022 से निरन्तर), डॉ0 अरविन्द वर्मा, निदेशक रिसर्च, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर (28.06.2023 से निरन्तर), डॉ0 पी. एस. शेखावत, निदेशक रिसर्च, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (12.05.2020 से निरन्तर), श्री राजेश कुमार पूनियाँ (28.12.2020 से निरन्तर) तथा श्री सुवा लाल यादव (28.12.2020 से निरन्तर), श्री भँवर लाल गुर्जर (27.12.2022 से निरन्तर) तथा श्री चर्मेश शर्मा (27.12.2022 से निरन्तर) निदेशक के पद पर आसीन है।

श्री काना राम, आयुक्त, कृषि विभाग (18.04.2022 से 28.06.2023 तक), श्री गौरव अग्रवाल, आयुक्त, कृषि विभाग (28.06.2023 से 07.10.2023 तक), श्री चेतनराम देवड़ा, आयुक्त, उद्यानिकी विभाग, (20.04.2022 से 25.04.2023 तक), श्रीमती, शुभम चौधरी, आयुक्त, उद्यानिकी विभाग, (25.04.2023 से 28.06.2023 तक), श्री महेश कुमार वर्मा, निदेशक राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर (03.01.2022 से 28.06.2023 तक), श्री कुलदीप सिंह, महाप्रबंधक (विपणन), नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (23.11.2022 से 07.10.2023 तक), श्री अवधेश कृष्णा शर्मा, क्षेत्रीय प्रबन्धक, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (24.09.2019 से 31.08.2022 तक), डॉ० शान्ति कुमार शर्मा, निदेशक रिसर्च, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर (25.03.2021 से 28.06.2023 तक), श्री सीताराम सैनी (28.12.2020 से 27.12.2022 तक), श्री मोमराज विश्नोई (28.12.2020 से 27.12.2022 तक) निदेशक पद पर आसीन रहे।

अतः निदेशकों के कार्यकाल में उनके द्वारा दिये गये सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद तथा प्रशंसा अभिलिखित करते हैं।

08. निदेशक मण्डल की बैठके

निदेशक मण्डल की वित्तीय वर्ष 2022-23 में चार बैठकों की गईं, जो दिनांक 04.05.2022, 31.08.2022, 22.11.2022 तथा 27.12.2022 को की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सदस्यों द्वारा निदेशक मण्डल की उपस्थिति इस प्रकार है:-

निदेशकों के नाम	बैठकों की संख्या	उपस्थिति
माननीय श्री धीरज गुर्जर, (01.03.2022 से निरन्तर)	4	4
श्री जसवन्त सिंह, प्रबन्ध निदेशक (02.01.2019 से निरन्तर)	4	4
श्री काना राम, आयुक्त, कृषि विभाग (18.04.2022 से 28.06.2023 तक)	4	4
श्री चेतनराम देवड़ा, आयुक्त, उद्यानिकी विभाग, (20.04.2022 से 25.04.2023 तक)	4	1
श्रीमती हेम पुष्पा शर्मा, (08.04.2021 से निरन्तर)	4	2
श्री महेश कुमार वर्मा, निदेशक RSSOPCA(03.01.2022 से 28.06.2023 तक)	4	4
श्री कुलदीप सिंह, महाप्रबंधक (विपणन), नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (23.11.2022 से 07.10.2023 तक)	2	0
श्री अवधेश कृष्णा शर्मा, निदेशक (24.09.2019 से 31.08.2022 तक)	1	1
श्री मुकेश कुमार जाट, क्षेत्रीय प्रबन्धक, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (31.08.2022 से निरन्तर)	3	3
डॉ० पी० एस० शेखावत, निदेशक (12.05.2020 से निरन्तर)	4	2
डॉ० शान्ति कुमार शर्मा, निदेशक (25.03.2021 से 28.06.2023 तक)	4	1
श्री सीताराम सैनी, निदेशक (28.12.2020 से 27.12.2022 तक)	4	4
श्री मोमराज विश्नोई, निदेशक (28.12.2020 से 27.12.2022 तक)	4	4
श्री राजेश कुमार पूनियाँ, निदेशक (28.12.2020 से निरन्तर)	4	3
श्री सुवा लाल यादव, निदेशक (28.12.2020 से निरन्तर)	4	3
श्री भँवर लाल गुर्जर (27.12.2022 से निरन्तर)	0	0
श्री चर्मेश शर्मा (28.12.2020 से निरन्तर)	0	0

09. Directors' Responsibility Statement:-

In term of Section 134 of the Companies Act, 2013, the Directors would like to state that:

1. In the preparation of the annual accounts, the application accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;
2. The Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that were reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of the company for the year at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for the period;
3. The directors have proper and sufficient care for the maintenance of accounting records in accordance with the provision of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
4. The Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis.
5. The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

10. ANNUAL RETURN

Pursuant to section 134(3)(a) and section 92(3) of the Act read with companies (Management and Administration) Rules 2014, the link of annual return of the company in Form MGT-7 is:- <http://>

11. SECRETARIAL STATNDARD

The applicable Secretarial Statndards, i.e. SS-1 and SS-2, relating to Meetings of the Board of Directors and General Meetings respectively, have been duly followed by the company.

12. निगम का संचालन:-**➤ आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन:-**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत खरीफ 2022, रबी 2022-23 एवं जायद-23 में विभिन्न फसलों का आधार व प्रमाणित बीज उत्पादन अन्तर्गत प्रमाणित क्षेत्र क्रमशः 3143 एवं 27333 हैक्टेयर रहा हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत खरीफ 2022 में 48551 क्विंटल प्रमाणित एवं 4319 क्विंटल आधार बीज का उत्पादन किया गया। रबी 2022-23 में लगभग 214091 क्विंटल प्रमाणित बीज व 29729 क्विंटल आधार बीज उत्पादित होना संभावित हैं रबी 2022-23 के बीजों का विधायन कार्य प्रगति पर हैं। जायद-23 में 487 क्विंटल ग्रेडेड बीज प्राप्त हुआ है। इस प्रकार 2022-23 में लगभग 297177 क्विंटल बीज प्राप्त होने की संभावना हैं।

➤ बीज गांव योजना प्रगति:-

एस.एम.एस.पी. - बीज गांव योजना के तहत वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत खरीफ 2022 में 1674.10 क्विंटल मूंग व मोठ बीज 22688 कृषकों को एवं रबी 2022-23 में 34296.50 क्विंटल गेहूं, जौ व चना बीज 203427 कृषकों को अनुदानित दर पर वितरित किया गया। इस प्रकार वर्ष 2022-23 में एस.एम.एस.पी.- बीज गाँव योजना अन्तर्गत कुल 226115 कृषकों को 35970.60 क्वि. बीज वितरित कर लाभान्वित किया गया।

➤ फार्म टेकों से आयः—

राजसीड्स के अधीन 07 फार्मों के टेके से वर्ष 2022—23 में राशि रु. 226.84 लाख की आय हुई है।

संकर बाजरा उत्पादन कार्यक्रम :— जायद 2023 में दूनी इकाई द्वारा टोंक जिले में 54 हैक्टेयर क्षेत्र में संकर बाजरा किस्म MPMH-17 का बीज उत्पादन कार्यक्रम आयोजित किया गया जिससे 597.62 किं. रॉ बीज कृषकों द्वारा जमा करवाया गया। जिसमें से विधायन पश्चात कुल 486.70 किं. संकर बाजरा बीज निगम को प्राप्त हुआ है।

राज्य के बाहर बीज उत्पादन कार्यक्रमः— वर्ष 2022—23 में ज्वार, संकर बाजरा व मक्का फसल के उन्नत बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आंध्रप्रदेश व तेलगाना राज्यों से अनुबन्ध के आधार पर ज्वार एसएसजी सत्यचिन्हित बीज तथा संकर बाजरा, मक्का फसलो के प्रमाणित बीजोत्पादन कार्यक्रम आयोजित कर क्रमशः 6152.90 किं., 8164.43 किं. व 21902.90 किं. इस प्रकार कुल 36220 किं. बीज उत्पादित कराया गया है।

➤ उत्पादन में निगम की भावी योजनाएँ :

01. राजस्थान में बीज उत्पादन एवं विपणन क्षेत्र में राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पो. लि. का महत्वपूर्ण स्थान है। निगम गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन बढ़ाने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। राज्य में बीज उत्पादन बढ़ाने व बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि हेतु निगम द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।
02. प्रमाणित बीजों की गुणवत्ता सुधार हेतु निगम द्वारा खरीफ 2022 एवं रबी 2022—23 में उत्पादित प्रमाणित बीजों का जी.ओ.टी. परीक्षण करवाया गया है। इस प्रक्रिया को निरन्तर रखते हुए वर्ष 2023—24 में भी उत्पादित प्रमाणित बीजों का जीओटी कराया जायेगा।

➤ विधायन एवं भण्डारण :

01. वर्तमान में निगम की 22 इकाईयां एवं पांच बीज विस्तार केन्द्र है। बीजों के उत्पादन एवं विपणन को बढ़ावा देने हेतु सुल्तानपुर एवं गुढामालानी में बीज विधायन संयंत्र स्थापित कर दिये गये है। बानसूर, बूंदी, भवानीमण्डी (झालावाड़) में बीज विधायन संयंत्र स्थापित किये जा रहे है। वर्तमान में राजसीड्स की कुल संशोधित विधायन क्षमता 12.584 लाख किं. एवं कुल भण्डारण क्षमता 10.21 लाख किं. प्रतिवर्ष है।

नोटः—

बीज विधायन मशीनें जो 5 वर्ष अथवा अधिक पुरानी है उनकी व्यावहारिक विधायन क्षमता मूल विधायन क्षमता की 80 प्रतिशत मानते हुए संशोधित किया गया है। एवं जो मशीनें 10 वर्ष अथवा अधिक पुरानी है उनकी व्यावहारिक विधायन क्षमता मूल विधायन क्षमता की 60 प्रतिशत मानते हुए संशोधित किया गया है।

➤ विपणनः

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पो लि. द्वारा जायद एवं खरीफ 2022 में 85294 किं. एवं रबी 2022—23 में 277837 किं. बीजों का विक्रय किया गया है। इस प्रकार कुल 298835 किं. बीजों का विक्रय किया गया है। खरीफ 2023 में 48168 किं. बीज का विक्रय किया गया है। रबी 2023—24 में लगभग 249289 किं. बीजों के विक्रय की योजना है। राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पो लि. एवं कृषि विभाग द्वारा किसानों की मांग अनुसार अधिसूचित एवं सत्यचिन्हित किस्मों के बीजों का विपणन किया गया है। खरीफ 2022 में मूंग के 7261.60 किं., उडद 16.28 किं., बाजरा 12909.15 किं. एवं मक्का के 39863.95 किं. मिनिक्टि बीज की आपूर्ति की गई। रबी 2022—23 में सरसो के 3458.85 किं., जई के 1996.97 किं., बरसीम के 307.52 किं., लुसर्न के 399.80 किं. एवं फोडर बीट के 12.097

क्विं. मिनिकिट बीज की आपूर्ति की गई। खरीफ 2023 में मोठ के 4000 क्विं., मक्का के 20534.15 क्विं., बाजरा के 11102.55 क्विं. एवं ढैंचा के 5103.80 क्विं. मिनिकिट बीज की आपूर्ति की गई।

13. भावी योजनाएँ :

➤ विपणन:

(अ) निजी क्षेत्र:

राजसीड्स के बीजों की उपलब्धता किसानों को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से बीज अधिनियम 1966 के तहत सभी बीज अनुज्ञापन धारक विक्रेताओं के अधिकृत/प्रतिबद्ध विक्रेताओं के रूप में नियुक्ति को प्रावधान किये हुये है। राजस्थान के किसानों को प्रमाणित बीज दूर दराज के गाँव में सुगमता से प्राप्त होने के मामले में निजी विक्रेताओं एवं समस्त सहकारी संस्थाओं को राजसीड्स के विक्रेता के रूप में शामिल किया गया है। इससे राजसीड्स का विपणन तंत्र बीज व्यवसाय से संबंधित अन्य संस्थाओं से तुलनात्मक दृष्टि से अधिक सशक्त एवं सुदृढ़ है।

(ब) सहकारी क्षेत्र:

केवीएसएस/जीएसएस सहकारिता विभाग के अधीन कार्य करती है। सहकारी विपणन तंत्र (के.वी.एस.एस.) का भी अधिक लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में कार्यरत क्रय विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों जिनके पास वैध बीज अनुज्ञा पत्र है उन समितियों को राजसीड्स से जोड़ने के प्रयास किये गये। साथ ही सहकारिता विभाग एवं कृषि विभाग के साथ बैठक/समन्वय स्थापित कर जिन सहकारी समितियों (केवीएसएस/जीएसएस) के पास बीज अनुज्ञा पत्र नहीं है, उन सहकारी समितियों को बीज अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर, राजसीड्स से जुड़कर बीज विक्रय किये जाने के प्रयास किये गये है भविष्य में राजसीड्स से जुड़ने वाली केवीएसएस/जीएसएस की संख्या में वृद्धि की पूर्ण संभावना है जिससे बीज विपणन तंत्र सुदृढ़ होगा। सहकारी संस्थाओं द्वारा भविष्य में इसे और बढ़ाने के निगम द्वारा प्रयास किये जा रहे है। वर्तमान में अनुदानित दर पर बीज सहकारी क्षेत्र के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

(स) राजीव गाँधी बीज विक्रय केन्द्र:-

बजट घोषणा वर्ष 2020-21 अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बीज वितरण आउटलेट स्थापना हेतु कृषि विपणन विभाग द्वारा निःशुल्क 200 भूखण्ड चरणबद्ध रूप से आवंटित किये जाने की घोषणा हुई। इसकी अनुपालना में कृषि विपणन विभाग द्वारा राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 24 निर्मित परिसम्पतियां एवं 144 भूखण्डों का आवंटन प्राप्त किया जा चुका है। राजसीड्स को आवंटित 24 निर्मित परिसम्पतियों का नाम राजीव गाँधी बीज विक्रय केन्द्र रखते हुये विक्रय केन्द्रों से बीजों का विक्रय प्रारम्भ कर दिया गया है। जिससे अनुदानित तथा गैर अनुदानित बीजों का विक्रय किया जा रहा है।

14. ऑडिटर द्वारा प्रत्येक योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या टिप्पणी :-

➤ वैधानिक अंकेषकों का प्रतिवेदन :-

अंकेषकों के प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों पर निदेशक मण्डल का प्रत्युत्तर परिशिष्ट "अ" अनुसार।

➤ Secretarial Audit Report:-

➤ कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में Secretarial Audit करवाना अनिवार्य नहीं है, इस कारण इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में निगम द्वारा Secretarial Audit नहीं करवाई गई।

15. **Independent Directors**

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) के प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2022-23 में Independent Directors की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस संदर्भ में दो स्वतंत्र निदेशको की नियुक्ति की कार्यवाही करने के लिये आवेदन प्राप्त करने का अनुमोदन निदेशक मण्डल की बैठक से प्राप्त हो चुका है तथा कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

16. **Corporate Social Responsibility Policy**

गत वित्तीय वर्षों में CSR Policy पर खर्च की जाने वाली कुल राशि रुपये 7,86,055/-. शेष रही तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जागसा, जिला बाड़मेर को CCTV Camera लगाने तथा 15KW का एक सोलर सिस्टम लगाने हेतु रु0 15 लाख की राशि वास्तविक लागत 15 लाख से कम होने पर बची शेष राशि आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त CSR Policy के अनुसार उपलब्ध थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु0 31,82,648 /- CSR Activities के लिये व्यय किये जाने हेतु प्रावधान किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जागसा, जिला बाड़मेर की ओर से 15KW का एक सोलर सिस्टम तथा CCTV Camera क्रय करने के पश्चात् उपलब्ध करवाई गई राशि में से उनके द्वारा सोलर सिस्टम तथा CCTV Camera क्रय करने के पश्चात् लौटाई गई राशि रु0 2,92,991 /- के समायोजन पश्चात् CSR Policy के लिये व्यय की जाने वाली राशि रु0 10,79,046 /- शेष रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रावधान की गई CSR Policy पर व्यय की जाने वाली राशि रु0 31,82,648 /- को जोड़कर अब निगम के पास CSR Policy पर व्यय की जाने वाली कुल योग राशि रुपये 42,61,694 /- उपलब्ध रही।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में CSR Activities पर खर्च की जाने वाली राशि हेतु निगम को विभिन्न संस्थाओ से उचित प्रस्ताव प्राप्त न हो सके, इसी कारण निगम की CSR Policy के अनुसार CSR Activities पर खर्च की जाने वाली राशि उसी वित्तीय वर्ष में खर्च ना हो पाने के कारण कम्पनी अधिनियम के प्रावधानो की पालना न हो सकी। आगामी वर्षों में कम्पनी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार सी0एस0आर फण्ड की उक्त राशि का उपयोग कर दिया जावेगा।

17. **TRANSFER TO RESERVES IN TERMS OF SECTION 134 (3) (J) OF THE COMPANIES ACT, 2013**

The board does not propose any amount to carry to any specific reserves.

18. **CHANGES IN NATURE OF BUSINESS**

There are no significant changes had been made in the nature of the company during the financial year.

19. **MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS OCCURRED BETWEEN THE DATE OF BALANCE SHEET AND THE DATE OF AUDIT REPORT**

No significant material changes and commitments have occurred between the date of the balance sheet and the date of the audit report.

20. **SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY REGULATORS / COURTS / TRIBUNALS**

The significant and material orders passed by Regulators/Court/Tribunals against the company are as explained in the further sections of this annual report.

21. ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS WITH REFERENCE TO THE FINANCIAL STATEMENTS

The Company has in place proper and adequate internal control systems commensurate with the nature of its business, size and complexity of its operations. Internal control systems comprising of policies and procedures are designed to ensure liability of financial reporting, timely feedback on achievement of operational and strategic goals, compliance with policies, procedure, applicable laws and regulations, and that all assets and resources are acquired economically, used.

22. SUBSIDIARY/ JOINT VENTURES/ ASSOCIATE COMPANIES AND THEIR PERFORMANCE

There is no Subsidiary company or Joint Venture or Associate Companies of the Company.

23. DEPOSITS

During the financial year, Company has not accepted any type of deposits. Neither, any type of deposits of previous year is Unpaid or Unclaimed during the financial year.

24. SHARE CAPITAL

During the financial year, the Company had not issued any Equity Shares with Differential rights, any Sweat Equity Shares and any Employee Stock Options.

25. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY, ABSORPTION, AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

A) Conservation of Energy: Nil

B) Technology Absorption: Nil

C) Foreign Exchange earnings and outgo:

The company has no foreign exchange earnings and outgo transactions during the current financial year.

26. LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186:-

The Company has made following loans and Investments and has given following guarantees in compliance of section 186 of the Companies Act, 2013 during the financial year:- NIL

27. CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES:-

Details in Form No AOC-2 for transaction entered with the related parties at on arm length or non-arm length basis are NIL.

28. RISK MANAGEMENT POLICY

Risks are event, situation or circumstances which may lead to negative consequences on the company's businesses. Risk management is a structured approach to manage uncertainty. A formal enterprise wide approach to Risk Management is being adopted by the company and key risks will

now managed within unitary framework. As a formal roll-out, all business divisions and corporate function will embrace risk management policy and guidelines, and make use of these in their decisions making. Key business risks and their mitigation are considered in the annual/strategic business plans and in periodic management reviews. The risk management process in our multi-business, multi-site operations, over the period of time will become embedded into the company's business systems and processes, such that our responses to risks remain current and dynamic.

29. KEY MANAGERIAL PERSONNEL

As of March 31, 2022, the following were the Key Managerial Personnel (KMP) of the Company as per Section 2(51) and 203 of the Act: -

Name of the person	Designation
Sh. Jaswant Singh	Managing Director
Sh. Rakesh mamnani	Company Secretary

During the year under review, there is no change in the Key Managerial Personnel of the Company.

30. POLICY ON NOMINATION & REMUNERATION

Pursuant to Section 134(3)(e) and Section 178(3) of the Companies Act, 2013, the policy on the appointment of Board members including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a director and the policy on remuneration of directors, KMP and other employees is available on the website of the Company at <http://www.rajseeds.org/>.

31. INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND –

The unpaid and unclaimed Dividend for financial year 2014-15 amounting Rs. 1,20,046/- has been transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company during the financial year.

32. REPORTING OF FRAUDS:

There was no instance of fraud during the year under review, which required the Statutory Auditors to report to the Audit Committee and/or Board under Section 143(12) of the Act and Rules framed thereunder.

33. VIGIL MECHANISM/WHISTLE BLOWER POLICY

The Company has a Whistle Blower Policy and has established the necessary vigil mechanism for directors and employees in conformation with Section 177(9) of the Act, to report concerns about unethical behaviour. The link of the Policy is <http://www.rajseeds.org/>.

34. Details of Remuneration to all the Directors:

(In Rs.)

Name of the Director	Salary, allowance, perquisites and other benefits	Commission	Stock Option	Pension	Sitting Fees Paid	Notice period and severance fees
Sh. Jaswant Singh	28,41,644	-	-	-	-	-
Sh. Dheeraj Gujar	18,25,600	-	-	-	-	-
Sh. Sitaram Saini	-	-	-	-	10,000	-
Sh. Momraj	-	-	-	-	10,000	-
Sh. Rajesh Kumar Poonia	-	-	-	-	6,000	-
Sh. Suwa Lal Yadav	-	-	-	-	6,000	-
Sh. Charmesh Sharma	-	-	-	-	2,000	-
Sh. Bhanwar Lal Gurjar	-	-	-	-	2,000	-

35. DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

During the year 2021-22, the Company had a duly constituted Internal Complaints Committee in place as per Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013 and the decision of the Supreme Court of India in the case of Vishakha and others vs. State of Rajasthan [writ petition (criminal) no. 666-70/1992]. The information required under Section 21 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013 is provided below:

a)	Committee formed as per Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013 and the decision of the Supreme Court of India in the case of Vishakha and others vs. State of Rajasthan [writ petition (criminal) no. 666-70/1992]	Yes
b)	No. of complaints received during the year	NIL
c)	No. of complaints disposed of during the year	NIL
d)	No. of cases pending for more than 90 days	NIL
e)	No. of workshops or awareness programmes against sexual harassment carried out	NIL

36. PARTICULARS OF EMPLOYEES

There is no employee in the Company whose particulars are required to be given under Rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

37. OTHER DISCLOSURES

- There was no revision of financial statements and Board's Report of the Company during the year under review;
- There has been no change in the nature of business of the Company as on the date of this report;
- No application has been made under the Insolvency and Bankruptcy Code; hence the requirement to disclose the details of application made or any proceeding pending under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016) during the year along with their status as at the end of the financial year is not applicable;
- The details of difference between amount of the valuation done at the time of one-time settlement and the valuation done while taking loan from the Banks or Financial Institutions along with the reasons thereof. NIL

आभार प्रदर्शन:

भारत सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय बीज निगम, राजस्थान राज्य बीज निगम एवं जैविक उत्पादन संस्था, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, केन्द्रीय भण्डारण व्यवस्था निगम, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, राजफैड, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, यस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ऐक्सिस बैंक लि. आदि के प्रति उनके सतत् सहयोग एवं परामर्श के लिये आपके निदेशक आभारी है। बीज उत्पादन कृषको अधिकृत बीज विक्रेताओं एवं अन्य संस्थाओं द्वारा निगम को सतत् प्रश्रेय प्राप्त हुआ, के लिए भी निदेशकगण आभार प्रदर्शित करते हैं। और अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा लगन एवं कठिन परिश्रम से किये गये कार्यों की सराहना करते हैं।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

स्थान: जयपुर
दिनांक: 01 दिसम्बर, 2023

Sd/-
(जसवंत सिंह)
प्रबन्ध निदेशक
DIN 08383856

Sd/-
(चर्मेश शर्मा)
निदेशक
DIN 10146109

टिप्पणियां:-

1. जो सदस्य बैठक में सम्मिलित होने और मत देने के अधिकारी हैं, वे अपने स्थान पर बैठक में सम्मिलित होने तथा मत देने लिये किसी व्यक्ति को प्रति पुरुष नियुक्त कर सकते हैं। प्रतिपुरुष को कम्पनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है।
2. प्रतिनिधि परिपत्र बैठक के निर्धारित समय से कम 48 घण्टे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में पहुंच जाना चाहिये।
3. अंशधारियों से निवेदन है कि तुरन्त अपने परिवर्तित पते की सूचना, यदि कोई हो, को निगम के पंजीकृत कार्यालय पर सूचित करें।
4. सदस्य जो कि निगम के खातों व कार्यकलापों सम्बन्धी कोई जानकारी चाहने के इच्छुक हो, से गुजारिश है कि अपनी प्रश्नावली बैठक की दिन से सात दिवस पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर प्रेषित करें, ताकि चाही गयी जानकारी बैठक के समय उपलब्ध करायी जा सकें।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

स्थान: जयपुर
दिनांक: 01 दिसम्बर, 2023

Sd/-
(जसवंत सिंह)
प्रबन्ध निदेशक
DIN 08383856

Sd/-
(चर्मेश शर्मा)
निदेशक
DIN 10146109

**ANNUAL REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(CSR) ACTIVITIES 2022-23**

**[Pursuant to Section 134(3) (o) of the Companies Act, 2013 and Rule 8 of
the Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014]**

1. A brief outline of the CSR Policy of the Company-

RSSCL's CSR policy shall be to ensure that CSR activities are not performed in isolation but that it be skilfully and tied woven into the fabric of the company's business strategy for overall value creation for all stakeholders. RSSCL believes that profitability must be complemented by a sense of responsibility towards all stakeholders with a view to make a material, visible and lasting difference to the lives of disadvantaged sections of the people, preferably in the immediate vicinity of the company's offices but at the same time ensure widespread distribution of its CSR activities befitting its status as a conscientious corporate citizen. The projects proposed to be undertaken may be in the area of Education, Health care, Sustainable livelihood, Infrastructure development, espousing social causes and Environmental protection etc.

2. Composition of the CSR Committee, number of meetings held on 29th March, 2023 during the year;

Name of Director	Designation	Number of meetings of CSR Committee held during the year	Number of meetings of CSR Committee attended during the year
Shri Kanaram	Chairman	01	01
Sh. Jaswant Singh	Managing Director	01	01
Smt. Hem Pushpa Sharma	Director	01	00
Sh. Bhanwarlal Gurjar	Director	01	01
Sh. Charmesh Sharma	Director	01	01

3. Provide the web link where the Composition of the CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the board are disclosed on the website of the company-

<http://www.rajseeds.org/CSRPolicy.pdf>

4. Provide the executive summary along with web-link(s) of Impact Assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8- not applicable.

5.

- Average net profits for the three immediately preceding years: Rs.15,91,32,358/-
- Two percent of the average net profit of the company as per section 135(5)- Rs.31,82,648/-
- Surplus arising out of the CSR Projects or programmes or activities of the previous financial years.- Rs. 5,65,467/-
- Amount required to be set off for the financial year if any. Rs. 3,78,622/-
- Total CSR obligation for the financial year [(b)+(c)-(d)] Rs. 33,69,493/-

6.

- a) Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Project and other than Ongoing Project)- Rs. 1,92,799/-
 b) Amount spent in Administrative Overheads: N.A.
 c) Amount spent on Impact Assessment: Not applicable
 d) Total amount spent for the Financial Year [(a)+(b)+(c)]. Rs. 1,92,799/-
 e) CSR amount spent or unspent for the Financial Year:

Total Amount Spent for the Financial Year. (in Rs.)	Amount Unspent (in Rs.)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per sub-section (6) of section 135.		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135.		
	Amount	Date of transfer	Name of the Fund	Amount	Date of transfer
1,92,799	-	-	The unspent amount of Rs. 31,76,694/- is not transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to sub - section (5) of section 135 of the Companies Act, 2013 within a period of six months of the expiry of the financial year.		

- f) Excess amount for set-off, if any:

Sl. No.	Particular	Amount (in Rs.)
(1)	(2)	(3)
(1)	Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135	31,82,648/-
(2)	Total amount spent for the Financial Year	1,92,799/-
(3)	Excess amount spent for the Financial Year [(ii)-(i)]	-
(4)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous Financial Years, if any	5,65,467/-
(5)	Amount available for set off in succeeding Financial Years [(iii)-(iv)]	-

7. Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three Financial Years:

1 Sl. No.	2 Preceding Financial Year(s)	3 Amount transferred to unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 (in Rs.)	4 Balance Amount in Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 (in Rs.)	5 Amount Spent in the Financial Year (in Rs)	6 Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135, if any		7 Amount remaining to be spent in succeeding Financial Years (in Rs)	8 Deficiency, if any
					Amount (in Rs)	Date of Transfer		
1.	FY-1 (2019-20)	-	-	-	-	-	58,79,401	-
2.	FY-2 (2020-21)	-	-	63,95,000	-	-	8,99,909	-
3.	FY-3 (2021-22)	-	-	3500000	-	-	0	-

8. Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year: No

If yes, enter the number of Capital assets created/ acquired

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year:

Sl. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner		
					(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					CSR Registration Number, if any	Name	Residential Address
N.A.							

(All the fields should be captured as appearing in the revenue record, flat no, house no, Municipal Office/Municipal Corporation/ Gram panchayat are to be specified and also the area of the immovable property as well as boundaries)

9. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per subsection (5) of section 135:

There was no suitable proposal for Corporate Social Responsibility for the Financial Year 2022-23.

Sd/-

Sd/-

(Managing Director).

(Chairman CSR Committee)

Date: 01-12-2023

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, परिशिष्ट "अ"

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 का प्रत्युत्तर

योग्य राय का आधार

1. यह बिन्दु महत्वपूर्ण लेखा नितियों के नोट संख्या-23 के बिन्दु संख्या-43 (ब) में दर्शा रखा है।
2. विविध देनदारों के जमा शेष को मिलान करते हुये सम्बन्धित के खाते में जमा कर दिया जावेगा।

ध्यानाकृषण मामले

1. रिवोलविंग फण्ड राशि रु. 2.60 करोड़ अकालग्रस्त क्षेत्रों में उत्पादन के लिए कम्पनी को वर्ष 1995 में उपलब्ध करवाया गया था। उक्त राशि नोट नं.-3 में चालू दायित्व के अन्तर्गत दर्शा रखी है, जो कि सरकार के द्वारा मांग किये जाने पर वापस लौटा दी जावेगी।
2. लेखा मानक 28 के अनुसार 31.03.2023 को कोई स्थायी सम्पत्ति ईम्पयेरऐबल नहीं हैं। भविष्य में यदि कोई सम्पत्ति ईम्पयेरऐबल होने पर लेखा मानक 28 के अनुसार का अनुसरण कर लिया जायेगा।
3. मामला सी.एस.आर. कमेटी के समक्ष रखा जाकर उस पर तदानुसार आवश्यक कार्यवाही कर ली जावेगी।
4. यह लगातार चालू/ चल रहे खाते हैं, जिनके लिए हम पुष्टि प्राप्त करने के लिये प्रयासरत है।

अन्य मामले

1. कम्पनी के द्वारा प्रारम्भ से ही लेखा नीति का अनुसरण किया जा रहा है। लेखानीति एवं कार्य प्रणाली के अनुसार निगम द्वारा इकाईयों का वार्षिक रिपोर्ट/ आर्थिक विवरण का भाग लाभ हानि खाता विवरण इकाईवार तैयार नहीं किया गया है। स्कन्ध स्थानान्तरण का मौद्रिक मूल्यांकन नहीं किया गया है। आंतरिक रिपोर्टिंग के लिए लाभ हानि तथा/ या/ कि गणना की जा सकती है लेकिन यह निगम के लेखों का हिस्सा नहीं है।
2. केवल सरकारी विभागों को उधार पर माल का विक्रय किया जाता है एवं निजी विक्रेताओं को उधार पर दिये गये माल की राशि पर इकाईयों द्वारा ब्याज की वसूली करते हुये तदानुसार खातों में समायोजन किया जाता है।

संलग्नक-(अ) स्वतन्त्र अंकेक्षण रिपोर्ट

(i) से (xxi) तथ्यात्मक विवरण होने के कारण टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

संलग्नक-(ब) स्वतन्त्र अंकेक्षण रिपोर्ट

बिन्दु संख्या-1 से 14 तथ्यात्मक विवरण होने के कारण टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

संलग्नक-(स) स्वतन्त्र अंकेक्षण रिपोर्ट

तथ्यात्मक विवरण होने के कारण टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।



GOPAL SHARMA & CO.
Chartered Accountants



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के सदस्य

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कम्पनी") के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2023 तक बैलेस शीट शामिल है और लाभ और हानि का विवरण और वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण समाप्त हो गया है और वित्तीय विवरणों को नोट करता है, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार योग्य राय पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं (अधिनियम) आवश्यक तरीके से और 31 मार्च 2023 को कम्पनी के मामलों की स्थिति एवं इस तिथि को समाप्ति वर्ष के लिए इसके लाभ और नकद प्रवाह के बारे में भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

योग्य राय के लिए आधार

हम निम्नलिखित मामलों में ध्यान आकर्षित करते हैं :-

1. पैरा संख्या 5 (अ) नोट संख्या-ब में "महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और खातों के लिए नोट्स" के मूल्यांकन के सम्बन्ध में प्रमाणित और आधार बीजों का मूल्य अगले वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल को उनकी स्थिति रिपोर्ट (फिट/अनफिट) पर विचार करके मुख्य लागत या बाजार मूल्य जो भी कम हो पर लगाया जाता है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कम्पनी ने स्टॉक के मूल्यांकन के उद्देश्य से 30 अक्टूबर 2023 जो भी स्थिति रिपोर्ट (फिट/अनफिट) विचार किया है जो कम्पनी के लेखा निति के अनुरूप नहीं है। चालू सम्पत्ति के तहत राशि रु. 182.05 लाख से कम बताएँ गए हैं और वर्ष के लिए (लाभ एवं बचत) भी राशि रु. 182.05 लाख से कम बताएँ गए हैं।
2. नोट संख्या के संदर्भ में 7 और 11 में, यह देखा गया कि विविध देनदार जिनके पास रु. का क्रेडिट शेष है। 120.80 लाख (832.58 लाख रुपये के क्रेडिट शेष वाले कुल विविध देनदारों में से) को व्यापार प्राप्य के तहत प्राप्य सब्सिडी के विरुद्ध समाधान और समायोजित नहीं किया गया था। जिसके फलस्वरूप अन्य चालू देनदारियां एवं व्यापार प्राप्य नोट नं. क्रमश रु.7 और 11 प्रत्येक को 120.80 लाख रुपये अधिक बताया गया है।

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग के मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की ऑडिट के लिये ऑडिटर की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कम्पनी के स्वतंत्र ऑडिटर हैं जो भारत के चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुसार नैतिक आवश्यकता के साथ हैं जो अधिनियम



GOPAL SHARMA & CO.
Chartered Accountants



के प्रावधानों और इसके तहत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के लिये प्रासंगिक है, और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किये हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

ध्यानकर्षण मामले

हम वित्तीय विवरणों से संबंधित निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:-

1. नोट नं. 3 जो कि अन्य दीर्घकालिक दायित्वों के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए राशि रु. 2.60 करोड़ कम्पनी को प्राप्त हुये थे, जिसका कम्पनी के द्वारा उपयोग के लिए अलग से खाता संधारित नहीं किया गया। इसलिए हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या अनुदान का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था, जिसके लिए प्रदान किया गया था।
2. "महत्वपूर्ण लेखा नितियों और खातों के लिए" नोट्स के लिए कम्पनी के द्वारा नोट नं. अ के पैरा संख्या-14 के क्रम में प्रबंधन के द्वारा बैलेंस शीट पर सम्पत्तियों का लेखा मानक-28 के अनुसार हानि को देखा जाता है। लेकिन कम्पनी के द्वारा सम्पत्ति प्लॉट और औजार की हानि को नहीं देखा गया है।
3. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में "महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और खातों पर नोट्स" के नोट संख्या-सी के पैरा नं. 38, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार राशि रु. 31,82,648/- के सीएसआर के लिए प्रावधान किया है और सीएसआर गतिविधियों के सम्बन्ध में राशि रु. 1,92,799/- खर्च किए। कम्पनी के पास दिनांक 31.03.2023 को राशि रु. 44,70,002/- का शेष खर्च होने से रह गयी है, (पिछले वर्ष की शेष राशि रु. 14,80,553/-) जिसे धारा 135 के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-7 में निर्दिष्ट अधिसूचित निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए था। अधिनियम के 135 (6) हालांकि, कम्पनी ने निर्धारित समय सीमा के भीतर शेष जो राशि खर्च होने से रह गयी थी उसको अधिसूचित निधि में स्थानांतरित नहीं किया है, जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीएसआर प्रावधानों का अनुपालना नहीं है।
4. नोट ऋण और अग्रिमों, व्यापार भुगतान, व्यापार प्राप्तकर्ता सुरक्षा जमा, अनुदान और अन्य वर्तमान देनदारियों और वर्तमान परिसंपत्तियों के खाते पर प्राप्तियों के गैर अपुष्ट शेष के संबंध में नोट संख्या-40 सी।
कंपनी ने SA 505 (संशोधित) - "बाहरी पुष्टिकरण की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है, इसके अभाव में हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव के बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख ऑडिट मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय



GOPAL SHARMA & CO. Chartered Accountants



बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। इस अवधि के दौरान कोई प्रमुख लेखापरीक्षा मामले नहीं देखे गए।

अन्य मामलें

1. कंपनी अभी भी संबंधित संयंत्र प्रबंधकएचओ की मंजूरी के साथ बीजों के अंतर-इकाई हस्तांतरण की नीति का पालन कर रही है और मौद्रिक मूल्य को प्रभावित किए बिना केवल मात्रा के आधार पर इन्वेंट्री को एक इकाई से दूसरे में स्थानांतरित कर रही है। इस प्रकार, इकाइयों की व्यक्तिगत लाभप्रदता निर्धारित नहीं की जा सकी।
2. कंपनी के पास केवल निजी डीलरों को नकद बिक्री के सख्त निर्देश हैं और क्रेडिट बिक्री केवल सरकारी एजेंसियों/ग्राहकों को ही की जा सकती है। यह देखा गया है कि वर्ष के दौरान निजी पार्टियों को भी क्रेडिट बिक्री की गई है। हालाँकि, कंपनी ने निजी डीलरों से क्रेडिट बिक्री पर ब्याज की वसूली की है।

इन अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी कंपनी का

निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, जिसमें अनुलग्नक से बोर्ड की रिपोर्ट व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी भौतिक रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ असंगत है या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा प्रकट होता है भौतिक रूप से गलत होना।

यदि, हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री सही है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, इन वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और कंपनी के नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है। उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन। निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण है और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त होते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।



GOPAL SHARMA & CO. Chartered Accountants



वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदारी चिंता, प्रकटीकरण के रूप में जारी रखने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसा कि लागू होता है, चिंता से संबंधित मामले और लेखांकन के चलते चिंता के आधार का उपयोग करना जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है। संचालन, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा। गलत बयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और हैं

यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है, तो इसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

इनके अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भीरू

- वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी सामग्री की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है या नहीं।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चालू चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान



GOPAL SHARMA & CO.
Chartered Accountants



आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकती है।

प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

भौतिकता वार्षिक वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की भयावहता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के संबंध में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं, शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम (2013) की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आर्डर") के अनुसार, हम देते हैं आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुसूची "ए"।
2. कंपनी के अभिलेखों के सत्यापन के लिए हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर हमारी रिपोर्ट अनुलग्नक में दी गई है अनुसूची "बी"।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - (a) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की तलाश की और प्राप्त की जो हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे।
 - (b) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून की आवश्यक पुस्तकों की उचित पुस्तकें अभी तक रखी गई हैं, क्योंकि यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होती है।
 - (c) बैलेंस शीट, लाभ और हानि का बयान, और इस रिपोर्ट के द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह विवरण खाते की पुस्तकों के साथ है।
 - (d) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, कंपनियों के नियम 7 (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढ़ें
 - (e) अधिसूचना संख्या के अनुसार सरकारी कम्पनी होने के नाते। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।




GOPAL SHARMA & CO.
Chartered Accountants



- (f) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, अनुसूची "सी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट पर्याप्तता पर एक असम्बद्ध राय व्यक्त करती है।
- (g) वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता (ख अधिनियम की धारा 197 (16) की आवश्यकताओं के अनुसार (हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और स्पष्टीकरण के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे लिए, कंपनी द्वारा अपने निदेशको को वर्ष के दौरान दिया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है।
- (h) कंपनी के ऑडिट नियम (ऑडिट एंड ऑडिटर) नियम, 2014 के अनुसार अन्य मामलों के संबंध में ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल होने के लिए।
- (अ) हमें कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है वित्तीय विवरणों के लिए नोट 16 देखें।
- (ब) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए किसी भी तरह की सामग्री नुकसानदेह थी।
- (स) कंपनी ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए अवैतनिक लाभांश राशि के रूप में वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में रु. 1,20,046/- हस्तांतरित नहीं किए हैं। इसके अलावा, संबंधित शेयर भी हस्तांतरित नहीं किए गए हैं।
- (द) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि लागू अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।
- (य) कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के परंतुक के रूप में अनिवार्य है। 1 अप्रैल, 2023, कंपनी के लिए, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

गोपाल शर्मा एंड कंपनी के लिए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन002803सी

प्रीतम शर्मा
भागीदार
सदस्यता संख्या 437669
UDIN-23437669BGWUA2438
स्थान: जयपुर
दिनांक : 01.12.2023

नोट :-संनदी लेखाकार के प्रतिवेदन से हिन्दी अनुवाद में किसी भी प्रकार का अन्तर होने की स्थिति में मूल अंग्रेजी संस्करण ही अधिकृत समझा जायेगा।

G-2, Plot No. – L-2-A, Golden Palace, Krishna Marg, C-scheme,
Jaipur-302001, Rajasthan



GOPAL SHARMA & CO.
Chartered Accountants



लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूची (ए)

(राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय विवरणों पर राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत एक तारीख की हमारी रिपोर्ट पैराग्राफ 1 संदर्भ में संदर्भित)

कम्पनी के वित्तीय वक्तव्यों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्टिंग करने और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और खातों की किताबों और अन्य रिकॉर्ड्स की सामान्य स्थिति में हमारे द्वारा जांच की गई बातों को ध्यान में रखते हुए किए गए हमारे ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर ऑडिट और हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए, हम रिपोर्ट करते हैं कि :-

(i) सम्पत्ति के बारे में

- (ए) (अ) कम्पनी ने पूर्ण विवरण देखते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है, जिसमें मात्रात्मक विवरण और सम्पत्ति प्लान्ट और औजार की स्थिति शामिल है।
- (ब) कम्पनी के द्वारा इनटेनजिबल सम्पत्तियों के लिए उचित रिकॉर्ड जिसमें की पूर्ण विवरण देते हुये संधारित किया गया है।
- (बी) वर्ष के दौरान उचित अन्तराल पर प्रबन्धन द्वारा कम्पनी की प्रमुख सम्पत्ति प्लान्ट और औजार का वास्तविक सत्यापन किया गया है और इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं देखी गई है।
- (सी) अचल सम्पत्तियों में शामिल अचल सम्पत्तियों का शीर्षक कार्य कम्पनी के नाम पर है। इसके अलावा प्रशासनिक भवन का कुछ हिस्सा जो कि वित्तीय स्टेटेमेंट के नोट न. 23 (21ए) में दर्शा रखा है।

बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि से कब तक धारित है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
पीपीई	भूमि एवं भवन – प्रशासनिक भवन	रु. 53.54 लाख	राज्य सरकार – कृषि विभाग	प्रमोटर की एजेंसी – राज्य सरकार।	वित्तीय वर्ष 1989-90	राज्य सरकार से स्वामित्व विलेख प्राप्त करने का मामला। कंपनी के पक्ष में अभी भी लंबित है।

- (डी) कम्पनी ने वर्ष के दौरान अपनी सम्पत्ति संयंत्र और औजार (उपयोग सम्पत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त सम्पत्ति या दोनो का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (ई) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत वर्ष के दौरान कोई भी बेनामी सम्पत्ति रखने के लिए कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

इन्वेंटरी के सम्बन्ध में

- (अ) प्रबंधन ने हमें बताया गया के आधार पर वर्ष के दौरान उचित अन्तराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया है। प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन के लिये अपनाई गई प्रक्रिया उचित है। जैसा कि हमें बताया गया कि इस तरह



GOPAL SHARMA & CO.
Chartered Accountants



के सत्यापन पर इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10 प्रतिशत या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई ।

- (ब) कम्पनी की वर्तमान सम्पत्ति की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपये से अधिक कार्यशील पूँजी सीमा स्वीकृत की गई है, तिमाही रिटर्न या बयान कम्पनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दायर किए गए थे और कम्पनी के खाते की पुस्तकों के साथ समझौते में है ।
- (iii) कम्पनी ने वर्ष के दौरान कम्पनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य किसी पार्टियों को निवेश नहीं किया गया है । कोई गारण्टी या सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है । तदनुसार आदेश के खण्ड 3 (iii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं ।
- (iv) जैसा कि हमें बताया गया है कि कम्पनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, निवेश नहीं किया है, गारण्टी नहीं दी है । इसके अलावा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का कम्पनी द्वारा अनुपालन किया गया है ।
- (v) कम्पनी ने भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और धारा 73 से 76 के प्रावधानों या कम्पनी अधिनियम, 2013 के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाये गये नियमों के तहत कोई जमा या राशि स्वीकार नहीं की है, जहाँ लागू । तदनुसार खण्ड के प्रावधान आदेश के 3 (v) लागू नहीं होते हैं ।
- (vi) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार केन्द्र सरकार ने कम्पनी के उत्पादों / सेवाओं के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रख-रखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है । तदनुसार आदेश के खण्ड 3 (vi) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं ।
- (vii) (अ) कम्पनी माल और सेवाकर, भविष्य निधि, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, बिक्री, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी भी अन्य सहित अवविवादित वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है । वैधानिक बकाया, जैसा लागू हो, उपयुक्त अधिकारियों के पास । इसके अलावा इसके सम्बन्ध में देय कोई भी अवविवादित राशि वर्ष के अन्त में देय तिथि से छः माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी ।

अधिनियम के प्रकार	देयता की प्रकृति	राशि (रु. लाखों में)	राशि अवधि जिससे सम्बन्धित है
आयकर	आयकर मांग	0.80	कर निर्धारण वर्ष 2020
आयकर	आयकर मांग	0.24	कर निर्धारण वर्ष 2018

(ब) वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और खाते पर किसी भी अन्य वैधानिक बकाया के संबंध में बकाया राशि किसी भी विवाद का शून्य है.

- (viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर आंकलन में वर्ष के दौरान आय के रूप में किसी भी लेनदेन को आत्मसमर्पण या खुलासा नहीं किया है, जो पहले खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था । तदनुसार आदेश के खण्ड 3 (viii) रिपोर्ट करने की आवश्यकता कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं ।



GOPAL SHARMA & CO.
Chartered Accountants



- (ix) कम्पनी के पास वर्ष के दौरान ऋण प्रतिभूतियों सहित कोई भी उधार नहीं है। तदनुसार आदेश के खण्ड 3 (ix) रिपोर्ट करने की आवश्यकता कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (x) (अ) कम्पनी ने वर्ष के दौरान आरम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से राशि नहीं लौटायी है।
- (ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार आदेश के खण्ड 3 (x) रिपोर्ट करने की आवश्यकता कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xi) (अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कम्पनी पर कोई धोखाधड़ी न तो देखी गई है और न ही रिपोर्ट की गई है।
- (ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी अधिनियम के धारा 143 की उप-धारा (12) तहत लेखापरीक्षकों द्वारा कम्पनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमों के नियम-13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, 2014 केन्द्र सरकार के साथ
- (स) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान मुखबिर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
- (xii) कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है, तदनुसार आदेश के खण्ड 3 (xii) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय है कि सम्बन्धित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहाँ लागू हो और वित्तीय विवरण और आदि में विवरण का खुलासा किया गया है, जैसा कि लेखा मानक और कम्पनी अधिनियम, 2013 द्वारा आवश्यक।
- (xiv) (अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।
- (ब) लेखापरीक्षा के तहत अवधि के लिए लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक जारी कम्पनी की आन्तरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर हमारे द्वारा विचार किया गया है।
- (xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय है कि कम्पनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर नकदी लेनदेन नहीं किया है और तदनुसार आदेश के खण्ड 3 (xv) के प्रावधान नहीं है लागू।
- (xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईए के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार आदेश के खण्ड 3 (xvi) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कम्पनी पर लागू नहीं होती है।
- (xvii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और आयोजित लेखापरीक्षा प्रक्रियों के आधार पर हमारी राय है कि कम्पनी ने वित्तीय वर्ष और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं उठाया है।
- (xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षक का कोई इस्तीफा नहीं दिया गया है और तदनुसार आदेश के खण्ड 3 (xviii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।





GOPAL SHARMA & CO.
Chartered Accountants



- (xix) वित्तीय अनुपातों के आधार पर, उम्र बढ़ने और वित्तीय सम्पत्तियों की वसूली की अपेक्षित तिथियाँ और वित्तीय देनदारियों का भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मण्डल और प्रबन्धन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और सबूतों का समर्थन करने वाली हमारी परीक्षा के आधार पर मान्यताओं, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिसके कारण हमें विश्वास हो जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई भी अनिश्चितता मौजूद है, यह दर्शाता है कि कम्पनी बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में असमर्थ है और जब वे भीतर आती है बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कम्पनी के भविष्य का व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट तक के तथ्यों पर आधारित है और न तो हम कोई गारण्टी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा। कम्पनी के रूप में और जब वे देय होते हैं।
- (xx) कम्पनी ने उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छःमाह की अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम की अनुसूची-7 में निर्दिष्ट निधि में खर्च नहीं हुई राशि को स्थानांतरित नहीं किया है।
- (xxi) धारा (xxi) के तहत रिपोर्टिंग कम्पनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट के समय लागू नहीं है। तदनुसार कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है। इस रिपोर्ट के तहत उक्त खण्ड के सम्बन्ध में

गोपाल शर्मा एंड कंपनी के लिए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन002803सी

प्रीतम शर्मा
भागीदार
सदस्यता संख्या 437669
UDIN-23437669BGWUA2438
स्थान: जयपुर
दिनांक : 01.12.2023

नोट :—सनदी लेखाकार के प्रतिवेदन से हिन्दी अनुवाद में किसी भी प्रकार का अन्तर होने की स्थिति में मूल अंग्रेजी संस्करण ही अधिकृत समझा जायेगा।



GOPAL SHARMA & CO.
Chartered Accountants



स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुसूची "बी"

राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित

जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) द्वारा आवश्यक है, हम भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किये गए निर्देशों के अनुपालन पर एक रिपोर्ट देते हैं:-

- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और समग्र परीक्षा पर कम्पनी स्टॉक रिकॉर्ड्स को छोड़कर आईटी प्रणालियों के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संधारित कर रही है जो अभी भी मैन्युअल रूप से बनाए जा रहा है।
- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और समग्र परीक्षा में एक मौजूदा ऋण के पुनर्गठन का कोई मामला नहीं है या कम्पनी को देय ऋण/ऋण/ब्याज इत्यादि का ऋणदाता द्वारा कम्पनी को देय होने के कारण कोई मामला नहीं है। कम्पनी की ऋण चुकाने में असमर्थता।
- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और समग्र जांच के अनुसार सब्सिडी/अनुदान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया था और इसमें उल्लिखित को छोड़कर परिचालन दिशानिर्देशों/नियमों और शर्तों के अनुरूप हिसाब लगाया गया है। बिंदु संख्या 2 योग्यता का आधार और बिंदु 1 हमारे स्वतंत्र लेखापरीक्षक की सम दिनांक की रिपोर्ट के मामलों पर ध्यानकर्षण।
- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और समग्र जांच के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ष में निर्धारित प्रारूप में तैयार किए गए हैं, जिसमें नोट्स के अधीन पर्याप्त खुलासे शामिल हैं।
- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और समग्र जांच के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और समग्र जांच के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरण हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के योग्य राय, मामलों के जोर और अन्य मामलों के आधार पर प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए गए हैं।
- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और समग्र जांच के अनुसार वाउचर सहित खाते की किताबें अच्छे क्रम में रखी गई हैं।
- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के अंत में लंबित कानूनी/मध्यस्थता मामलों का विवरण वित्तीय विवरण के नोट्स के हिस्से के रूप में संलग्न है। हालांकि, कंपनी द्वारा लंबित कानूनी/मध्यस्थता मामलों का आयु-वार विश्लेषण, जिसमें लंबित होने के कारण भी शामिल हैं, उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- ऑडिटर की रिपोर्ट में रिपोर्ट की गई योग्यताओं, मामलों पर जोर और अन्य मामलों के अलावा और CARO & 2020 में नकारात्मक या योग्यता के साथ उत्तर दिया गया है, ऑडिटर की रिपोर्ट में कोई अन्य मामले शामिल नहीं हैं।
- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और समग्र जांच के बाद गुणवत्ता में गिरावट को ध्यान में रखते हुए पुराने बीजों के अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन उनकी स्थिति रिपोर्ट के अनुसार किया गया है।
- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बीजों के विपणन के लिए कंपनी की मूल्य निर्धारण नीति अपने उद्देश्यों की प्रभावी उपलब्धि के लिए वैध और तर्कसंगत थी।




GOPAL SHARMA & CO.
Chartered Accountants



12. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा अनाज के रूप में बीजों की बिक्री राज्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रमाणीकरण के आधार पर और खरीदार की घोषणा के साथ की गई थी कि यह मानव उपभोग के लिए नहीं है।
13. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और समग्र जांच के अनुसार कंपनी नियमित रूप से सरकार से सब्सिडी की प्राप्तियों की निगरानी कर रही है। चर्चा के दौरान यह भी बताया गया कि सरकार की ओर से कुछ बकाया सब्सिडी पिछले वर्षों में बजट आवंटन की कमी के कारण है।
14. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सरकार से विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त धन की पार्किंग पर अर्जित ब्याज का उचित हिसाब लगाया गया था।

गोपाल शर्मा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 002803सी



प्रीतम शर्मा
भागीदार
सदस्यता संख्या 437669
UDIN-23437669BGWUA2438
स्थान: जयपुर
दिनांक : 01.12.2023

नोट :- सनदी लेखाकार के प्रतिवेदन से हिन्दी अनुवाद में किसी भी प्रकार का अन्तर होने की स्थिति में मूल अंग्रेजी संस्करण ही अधिकृत समझा जायेगा।

G-2, Plot No. – L-2-A, Golden Palace, Krishna Marg, C-scheme,
Jaipur-302001, Rajasthan






GOPAL SHARMA & CO.
Chartered Accountants



स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट का अनुसूची "सी"

(राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट के अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर 'रिपोर्ट के तहत पैरा 2 (एफ) में।

संदर्भित कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम की धारा") 143 की उप धारा-3 के तहत।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट। हमने राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग पर "कम्पनी")

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का 31 मार्च 2023 तक ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त हुए कम्पनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ संयोजन में किया गया था।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कम्पनी के निदेशक मण्डल आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, कम्पनी ने आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर दिशा निर्देश नोट में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के वित्तीय रिपोर्टिंग से अधिक आवश्यक रिपोर्टिंग पर विचार किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, इसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, सटीकता और पूर्णता कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत लेखांकन रिकार्ड और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी ऑडिट के आधार पर कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग गाइडेंस") के ऑडिट पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार और कंपनियों की धारा (10 के तहत निर्धारित ऑडिटिंग के मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। कम्पनी अधिनियम, 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और योजना के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करें और यह सुनिश्चित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।



GOPAL SHARMA & CO. Chartered Accountants



हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, उस जोखिम का आकलन करना शामिल है जो सामग्री की कमजोरी मौजूद है, और डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना।

मूल्यांकन किए गये जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण

चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में सामग्री के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो

- (i) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं
- (ii) आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किये जाने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करें और कम्पनी की रसीदें और वयय किये जा रहे हैं।
- (iii) केवल कम्पनी के प्रबन्धन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार बनाया गया तथा कम्पनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के बारे में समय पर पता लगाने या उचित विवरण प्रदान करने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करता है जो वित्तीय विवरणों पर एक सामग्री प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सीमाएं


वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण के ओवरराइड की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलतियाँ हो सकती हैं और पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है।

**GOPAL SHARMA & CO.**
Chartered Accountants**राय**

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के पास सभी सामग्री मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रूप से चल रहे थे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी किये गये आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्डों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर।

गोपाल शर्मा एंड कंपनी के लिए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन002803सी

प्रीतम शर्मा
भागीदार
सदस्यता संख्या 437669
UDIN-23437669BGWUA2438
स्थान: जयपुर
दिनांक : 01.12.2023



नोट :—सनदी लेखाकार के प्रतिवेदन से हिन्दी अनुवाद में किसी भी प्रकार का अन्तर होने की स्थिति में मूल अंग्रेजी संस्करण ही अधिकृत समझा जायेगा।

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय तृतीय तल, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर – 302005

CIN NO. U75132RJ1978SGC001781

www.rajseeds.org, email : csrajseeds@gmail.com, Tel.: 0141-2227665, 2227514

31 मार्च 2023 का तुलन-पत्र

विवरण		नोट नं.	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
			₹ लाखों में	₹ लाखों में
अ	साम्य और दायित्व			
1	अंशधारियों की निधि			
	(अ) अंश पूँजी	1	759.29	759.29
	(ब) आरक्षित निधी एवम् अधिकोषे	2	16,688.95	15,778.60
	(स) अंश वारन्ट के विरुद्ध प्राप्त रूपये		-	-
			17,448.24	16,537.89
2	अंश पूँजी के विरुद्ध बकाया आवंटन राशि		-	-
3	नॉन चालू दायित्व			
	(अ) रक्षित लम्बी अवधि की		-	-
	(ब) डैफर्ड कर दायित्व (नेट)		-	-
	(स) अन्य लम्बी अवधि के दायित्व	3	1,912.12	1,912.12
	(द) लम्बी अवधि के प्रावधान	4	53.74	89.86
			1,965.86	2,001.98
4	चालू दायित्व			
	(अ) रक्षित छोटी अवधि की	5	-	-
	(ब) व्यापारिक देयताएँ	6	2,109.11	1,209.35
	(स) अन्य चालू दायित्व	7	6,223.02	6,170.42
	(द) छोटी अवधि के प्रावधान	8	452.64	816.74
			8,784.77	8,196.51
	योग		28,198.87	26,736.38
ब	सम्पतियाँ			
1	नान-चालू सम्पतियाँ			
	(अ) सम्पत्ति प्लान्टस एवं औजार			
	टेनजिबल सम्पतियाँ	9अ	2,983.33	3,170.00
	पूँजीगत कार्य प्रगतिअधीन	9अ	76.96	-
	(ब) नान-चालू विनियोग		-	-
	(स) स्थगित (डैफर्ड) कर सम्पतियाँ (शुद्ध)	21	261.73	259.76
	(द) अन्य नान-चालू सम्पतियाँ	22	19.87	20.27
			3,341.89	3,450.03
2	चालू सम्पतियाँ			
	(अ) चालू विनियोग		-	-
	(ब) अन्तिम रहतियाँ	10	6,415.44	4,751.51
	(स) व्यापारिक प्राप्तियाँ	11	4,943.14	3,642.64
	(द) नकद और नकद तुल्य	12	5,126.79	5,459.94
	(य) ऋण और अग्रिम छोटी अवधि की	13	8,286.09	9,341.42
	(र) अन्य चालू सम्पतियाँ	14	85.52	90.84
			24,856.98	23,286.35
	योग		28,198.87	26,736.38
	वित्तीय स्टेटमेंटों को नोट के आधार पर बनाये गये हैं, उन्हें देखें	23		

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
राकेश मामनानी	मन मोहन मीणा	के.सी.मीणा	सुवा लाल यादव	चर्मेश शर्मा	जसवंत सिंह
कम्पनी सचिव	वरिष्ठप्रबन्धक (वित्त)	महाप्रबन्धक	निदेशक	निदेशक	प्रबन्ध निदेशक
M.No. F8834			DIN No. 09029096	DIN No. 10146109	DIN No. 08383856

इसी तिथि को हमारे संलग्न पृथक प्रतिवेदन के अध्याधीन

कृते: गोपाल शर्मा एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स

ह/-

FRN No.002803C

(प्रीतम शर्मा)

भागीदार

एम.एन. नं. 437669

स्थान जयपुर

दिनांक : 1.12.2023

यूडीआईएन नं. - 23437669BGWUA

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय तृतीय तल, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर – 302005

CIN NO. U75132RJ1978SGC001781

www.rajseeds.org, email : csrajseeds@gmail.com, Tel.: 0141-2227665, 2227514

31 मार्च 2023 का समाप्त वर्ष के लिये लाभ-हानि खाता

विवरण	नोट नं.	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
		₹ लाखों में	₹ लाखों में
अ 1. क्रियाओं से रेवन्यू (नेट)	15	22,902.39	27,527.61
2 अन्य आय	16	333.01	316.83
3 कुल आय (1+2)		23,235.40	27,844.44
4 खर्च			
(अ) मैटरियल खपत की लागत		-	-
(ब) स्टॉक ट्रेड की क्रय	17 अ	16,831.28	17,455.03
(स) पूर्ण माल, कार्य प्रगतिधीन और व्यापार के स्टॉक में बदलाव	17 ब	-168.18	2,514.13
(द) कर्मचारी बेनीफिट खर्च	18	1,582.30	1,715.22
(ध) वित्तीय लागत	19	92.18	317.58
(रे) हास और परिशोधन खर्च	9 ब	227.84	256.73
(ज) अन्य खर्च	20	3,390.78	3,142.94
कुल व्यय		21,956.20	25,401.63
5 कमाई परिशोधन मदे, अन्य विशिष्ट मद, ब्याज, टेक्स से पूर्व (ई.बी.)		1,279.20	2,442.81
6 असाधारण मदे		-	-
7 लाभ / (हानि) अन्य विशिष्ट मद और कर से पूर्व (5-6)		1,279.20	2,442.81
8 अन्य विशिष्ट मदे		-	-
9 लाभ / (हानि) कर से पूर्व (7-8)		1,279.20	2,442.81
10 पिछले वर्ष की आय / (व्यय)	19 (iii)	37.11	53.05
11 लाभ / (हानि) चालू क्रियाओं से (09-10)		1,316.31	2,495.86
12 कर खर्च			
(अ) चालू वर्ष का कर		332.00	726.00
(ब) पिछले वर्ष का कर		-	-
(स) डेफर्ड कर	21	-1.97	-8.87
13 लाभ / (हानि) चालू क्रियाओं से (12 i+12.ii+12.iii)		986.28	1,778.73
ब 14 अचालू क्रियाएँ			
(i) लाभ / (हानि) अचालू क्रियाओं से (कर पूर्व)		-	-
(ii) बचत / (हानि) सम्पत्तियों के निस्तारण से / अचालू क्रियाओं के दायित्वों का सेटलमेन्ट		-	-
(iii) जोड़िये / (घटाये) कर खर्च अचालू क्रियाओं से		-	-
(अ) सामान्य गतिविधियों अचालू क्रियाओं से		-	-
(ब) लाभ / (हानि) सम्पत्तियों के विक्रय से दायित्वों का सेटलमेन्ट		-	-
15 लाभ / (हानि) अचालू क्रियाएँ से (14(i) ± 14(ii) ± 14(iii))		-	-
कुल क्रियाएँ		-	-
16 लाभ / (हानि) वर्ष के लिये (13-15)		986.28	1,778.73
स कमाई प्रतिअंश (₹. 234.05 प्रत्येक)			
(अ) मूल			
चालू क्रियाएँ		129.78	234.05
कुल क्रियाएँ		129.78	234.05
(ब) डायल्युटेड			
चालू क्रियाएँ		129.78	234.05
कुल क्रियाएँ		129.78	234.05
17 कमाई प्रतिअंश (अन्य विशिष्ट मदों को छोड़ते हुए) ₹. 234.05 प्रत्येक			
(अ) मूल			
चालू क्रियाएँ		129.78	234.05
कुल क्रियाएँ		129.78	234.05
(ब) डायल्युटेड			
चालू क्रियाएँ		129.78	234.05
कुल क्रियाएँ		129.78	234.05
महत्वपूर्ण लेखा नितियाँ एवं लेखा टिप्पणियाँ वित्तीय स्टेटमेन्टों को नोट के आधार पर बनाये गये हैं, उन्हें देखें	23		

ह / -	ह / -	ह / -	ह / -	ह / -	ह / -
राकेश मामनानी	मन मोहन मीणा	के.सी.मीणा	सुवा लाल यादव	चर्मेश शर्मा	जसवंत सिंह
कम्पनी सचिव	वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त)	महाप्रबन्धक	निदेशक	निदेशक	प्रबन्ध निदेशक
M.No. F8834			DIN No. 09029096	DIN No. 10146109	DIN No. 08383856

इसी तिथि को हमारे संलग्न पृथक प्रतिवेदन के अध्याधीन

कृते: गोपाल शर्मा एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स

ह / -

FRN No.002803C

(प्रीतम शर्मा)

भागीदार

एम.एन. नं. 437669

स्थान जयपुर

दिनांक : 1.12.2023

यूडीआईएन नं. - 23437669BGWUA

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय तृतीय तल, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर – 302005

CIN NO. U75132RJ1978SGC001781

www.rajseeds.org, email : csrajseeds@gmail.com, Tel.: 0141-2227665, 2227514

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण पत्र

विवरण	31 मार्च 2023 को ₹ लाखों में	31 मार्च 2022 को ₹ लाखों में
(अ) परिचालन प्रक्रिया से नकद प्रवाह शुद्ध लाभ कर एवं असाधारण मद के पूर्व समायोजन :		
ह्रास	1,316.31	2,495.86
अधिक आयकर प्रावधान/मांग राशि पिछले वर्ष की	227.84	256.73
ह्रास/अमोर्टाईजेशन समायोजन पिछले वर्ष के	-	3.24
ब्याज आय	-27.59	-25.00
ब्याज एवं वित्तीय व्यय	92.18	317.58
डूबत ऋण अपलिखित	86.24	68.91
पूर्व वर्ष से सम्बन्धित आय		
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के पूर्व परिचालन लाभ	1,694.99	3,117.32
विविध देनदारों में (बढ़ोतरी)/घटोतरी	-1,395.11	-1,128.89
स्टॉक में (बढ़ोतरी)/घटोतरी	-1,663.94	2,327.67
ऋण एवं अग्रिम में (बढ़ोतरी)/घटोतरी	1,068.99	2,232.91
व्यापार एवं अन्य देयताएं में बढ़ोतरी/(घटोतरी)	981.03	-2,316.11
परिचालन से नकद उत्पन्नता	685.96	4,232.90
करों का भुगतान	726.00	305.00
परिचालन प्रक्रिया से शुद्ध नकद (अ)	-40.04	3,927.90
(ब) विनियोजन प्रक्रिया से नकद प्रवाह		
स्थाई परिसम्पत्तियों का क्रय	-118.13	-17.50
पूँजीगत कार्य प्रगतिधीन क्रय	0.40	-
स्थाई परिसम्पत्तियों के विक्रय से	-36.12	48.30
नॉन चालू दायित्व में बढ़ोतरी/(घटोतरी)	27.59	25.00
ब्याज प्राप्ति	-126.26	55.80
विनियोजन प्रक्रिया से शुद्ध नकद (ब)		
वित्तीय प्रक्रिया में शुद्ध नकद का उपयोग (स)	-	0.00
अंश पूँजी की प्राप्ति	-74.71	-75.65
लाभांश भुगतान	-92.18	-317.58
ब्याज का भुगतान	-166.89	-393.23
नकद एवं नकद के समान में शुद्ध बढ़ोतरी/(घटोती) (स)	-333.18	3,590.47
नकद एवं नकद के समान में शुद्ध बढ़ोतरी/(घटोती) (अ+ब+स)	5,459.94	1,869.47
वर्ष के प्रारम्भ में नकद एवं नकद के समान नकद एवं बैंक शेष	5,126.79	5,459.94
वर्ष के अन्त में नकद एवं नकद के समान नकद एवं बैंक शेष		
नोट— नकद एवं नकद के समान में भुगतान नहीं हुआ रु. 7.84/- लाख (पूर्व वर्षों में 7.56/- लाख) लाभांश की राशि भी और रु. 0.99/- लाख (पूर्व वर्ष में राशि रु. 0.99/- लाख) संग्रहण खातों में सम्मिलित है जो कि कम्पनी के पास उपयोग		

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
राकेश मामनानी	मन मोहन मीणा	के.सी.मीणा	सुवा लाल यादव	चर्मेश शर्मा	जसवंत सिंह
कम्पनी सचिव	वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त)	महाप्रबन्धक	निदेशक	निदेशक	प्रबन्ध निदेशक
M.No. F8834			DIN No. 09029096	DIN No. 10146109	DIN No. 08383856

इसी तिथि को हमारे संलग्न पृथक प्रतिवेदन के अध्याधीन

कृते: गोपाल शर्मा एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स

ह./-

FRN No.002803C

(प्रीतम शर्मा)

भागीदार

एम.एन. नं. 437669

स्थान जयपुर

दिनांक : 1.12.2023

यूडीआईएन नं. - 23437669BGWUA

नोट 1 अंशपूँजी

₹ लाखों में

विवरण	प्रारम्भिक शेष	जोड़िये	घटाये	अन्तिम शेष
अधिकृत पूँजी:				
3900000 साम्य अंश प्रत्येक 100 रूपये	3900.00	0	0	3900.00
100000 अधिमान अंश प्रत्येक 100 रूपये	100.00	0	0	100.00
निर्गमित पूँजी:				
849543 साम्य अंश प्रत्येक 100 रूपये	849.54	0	0	849.54
अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त पूँजी				
759976 साम्य अंश प्रत्येक 100 रूपये	759.98	0	0	759.98
घटाइए बकाया मॉग राशि	0.69	0	0	0.69
घटाइए जन्त अंश	-	-	-	-
योग	759.29	-	-	759.29

* बकाया मॉग राशि 875 (पूर्व वर्ष के 875) साम्य अंशों पर

(I) अंशों का मिलान

31 मार्च 2023 को

31 मार्च 2022 को

अंशों की संख्या	अंशों की संख्या (लाखों में)	₹ लाखों में	अंशों की संख्या (लाखों में)	₹ लाखों में
साम्य अंश				
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया अंश	7.60	759.98	7.60	759.98
निर्गमित अंश की वर्ष के दौरान	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया अंश	7.60	759.98	7.60	759.98
अधिमान अंश				
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया अंश	-	-	-	-
निर्गमित अंश की वर्ष के दौरान	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया अंश	-	-	-	-

(II) 5 प्रतिशत से अधिक अंशधारियों की सूची

5 प्रतिशत से अधिक अंशधारियों के नाम जो कि तुलन पत्र में नीचे दिखाई गई है।

क्र.सं.	अंश धारियों के नाम	अंशों की संख्या	प्रतिशत अंशों की
1	राजस्थान राज्य सरकार के पास	6.33	83.37%
2	राष्ट्रीय बीज निगम नई दिल्ली	1.14	15.00%
	Total	7.47	98.37%

(III) साम्य अंशों पर अधिकार एवं प्रतिबन्ध

क्र.सं.	अंश धारियों के नाम	अंशों की संख्या	प्रतिशत अंशों की
1	राजस्थान राज्य सरकार के पास	83.37%	-
2	राष्ट्रीय बीज निगम नई दिल्ली	15.00%	-
	योग	98.37%	-

(III) साम्य अंशों पर अधिकार एवं प्रतिबन्ध

साम्य अंशों पर अधिकार एवं प्रतिबन्ध कम्पनी के पास साम्य अंश श्रेणी के अंश अंकित मूल्य 100 रु. प्रति अंश जो कि निर्गमित एवं अभिदत्त है। प्रत्येक अंशधारक प्रति अंश के लिए एक वोट के लिये योग्य है। साम्य अंशों के धारक संचालक मण्डल के द्वारा प्रस्तावित लामांश आगामी वार्षिक साधारण सभा में अंशधारकों के अनुमोदन के तहत, अन्तरिम लामांश के अलावा, कम्पनी के बन्द होने की स्थिति में शेष सम्पत्तियों में से उनके पास धारित साम्य अंशों की संख्या एवं चुकायी गयी राशि के अनुपात में प्राप्त करने के योग्य है।

नोट 2 आरक्षित निधि एवं अधिकोष

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) पूँजी आरक्षित निधि		
प्रारम्भिक शेष	0.45	0.45
जोड़िये: अतिरिक्त वर्ष के दौरान	-	-
घटाये: उपयोग/स्थानन्तरण वर्ष के दौरान	-	-
अन्तिम शेष	0.45	0.45
(ब) सामान्य आरक्षित निधि		
प्रारम्भिक शेष	0.17	0.17
लाभ/हानि की बचत का स्थानन्तरण	-	-
घटाये: उपयोग/स्थानन्तरण वर्ष के दौरान	-	-
बोनस अंश जारी	-	-
अन्य	-	-
अन्तिम शेष	0.17	0.17
(क) बचत/(कमी) लाभ एवं हानि प्रपत्रों में		
प्रारम्भिक शेष	15,777.98	14,071.94
जोड़िये: लाभ/(हानि) वर्ष के लिये	986.28	1,778.73
घटाये : आयकर मांग पूर्व वर्षों की	-	-
जाड़िये: आयकर रिफण्ड/अधिक प्रावधान रिटर्न बैंक पिछले वर्षों का	-	3.24
घटाये : सामान्य अंशधारियों को लाभांश बटाने के लिये प्रस्तावित	75.93	75.93
लाभांश पर कर	-	-
अन्तिम शेष	16,688.33	15,777.98
योग	16,688.95	15,778.60

नोट 3 अन्य दीर्घकालीन दायित्व

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(i) कृषि विभाग के जमा	18.14	18.14
(ii) सुखा ग्रस्त क्षेत्र हेतु रिवोल्विंग फण्ड	260.00	260.00
(iii) सीड बैंक हेतु रिवोल्विंग फण्ड	8.62	8.62
(iv) माल के लिए लेनदार (लिटिगेशन में)	1,613.85	1,613.85
(v) ए. जी पैरा के विरुद्ध देय ब्याज	10.97	10.97
(vi) विविध लेनदार अन्य के लिए	0.54	0.54
योग	1,912.12	1,912.12

नोट 4 दीर्घकालीन प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) कर्मचारी के बनेफिट के लिए प्रावधान		
(i) ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम हेतु प्रावधान	22.92	48.33
(ii) अवकाश नकदी करण हेतु प्रावधान	30.82	41.53
योग	53.74	89.86

नोट 5 अल्पकालीन ऋण

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) नकद साख (हायपोथीकेशन समस्त चल सम्पत्ति प्रत्येक वर्णित सभी प्रकार की राशि, जमाये रसीद रकम की इत्यादि) (मांग पर)	-	-
योग	-	-

नोट 6 व्यापारिक देयतायें

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
व्यापारिक देयतायें		
(i) माल के लिए विविध लेनदार	2,109.11	1,209.35
योग	2,109.11	1,209.35

Refer Ageing at Note No. (40)C

नोट 7 अन्य चालू दायित्व

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(i) भुगतान नहीं हुआ लाभांश	9.06	7.84
(ii) अन्य भुगतान योग्य		
(i) खर्चों के लिए विविध लेनदार	925.33	995.73
(ii) अन्य के लिए विविध लेनदार	770.14	866.36
(iii) पूँजीगत माल के लिए विविध लेनदार	21.49	21.42
(iv) अदत्त दायित्व	534.42	438.28
(v) अनुदान अग्रिम	249.67	249.67
(vi) सरकार को वापसी योग्य अनुदान	1,065.34	1,064.34
(vii) केन्द्रीय सेक्टर योजना के अन्तर्गत अनुदान	-	-
(viii) ग्रहकों से बीज एवं अन्य के विरुद्ध	14.79	14.98
(ix) बीज उत्पादकों का जमा शेष	330.66	281.68
(x) विविध देनदारों का जमा शेष	832.58	807.56
(xi) डीलर्स आपूर्तिकर्ताओं, कान्ट्रैक्टर्स एवं थोक विक्रेताओं की जमा अमानत	767.34	719.60
(xi) Provision for EMD & Security Deposit	0.34	0.34
(xii) ढाचागत विकास अनुदान (केन्द्रिय अनुदान)	694.25	694.25
(xiii) स्टाफ को अग्रिम		
आरक्षित अच्छे माने गये	7.61	8.37
योग	6,223.02	6,170.42

नोट 8 अल्पकालीन प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) प्रावधान		
(i) आयकर हेतु प्रावधान	332.00	726.00
(ii) साम्य लाभांश एवं कर हेतु प्रस्तावित प्रावधान	75.93	75.93
(iii) सी.एस.आर. हेतु प्रावधान	44.70	14.81
योग	452.64	816.74

सम्पत्ति प्लॉट और औजार

नोट 9 (अ)

₹ लाखों में

विवरण	सकल ब्लॉक		ह्रास (AMORTIZATION)				नेट ब्लॉक		
	1 अप्रैल 2022 को शेष	बढ़ोतरी	घटोतरी	31 मार्च 2023 को	वर्ष के दौरान	बढ़ोतरी / घटोतरी वर्ष के दौरान	कम्पनी अधिनियम के अनुसार प्रभाव	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
टैनजेबल सम्पत्ति									
फ्री होल्ड	28.42	-		28.42	-	-	-	28.42	28.42
लिंग होल्ड	245.16	-		245.16	-	-	-	245.16	245.16
संयंत्र भवन	1,485.70	-		1,485.70	684.96	74.49	-	726.25	800.74
संयंत्र एवं मशीनरी	1,395.39	5.01		1,400.40	1,099.45	44.58	-	256.37	295.94
फर्नीचर एवं जुड़नार	147.82	21.16		168.98	128.64	5.49	-	34.85	19.18
अन्य वाहन	7.93	-		7.93	7.54	-	-	0.39	0.39
कार्यालय उपकरण	50.14	1.56		51.71	46.44	0.79	-	4.48	3.70
गोदाम	2,031.26	-		2,031.26	775.68	61.07	-	836.75	1,255.58
स्टाफ क्वार्टर	82.33	-		82.33	55.69	1.29	-	25.35	26.64
स्टील क्रेट्स	1,072.17	-		1,072.17	943.13	18.89	-	110.15	129.05
कम्प्यूटर	59.30	13.44		72.73	55.13	2.95	-	14.65	4.17
मोटर कार	76.35	-		76.35	69.95	1.06	-	5.34	6.40
कार्यालय भवन	537.73	-		537.72	193.40	16.75	-	327.57	344.32
प्रशासनिक भवन	53.54	-		53.54	43.23	0.49	-	9.82	10.31
फार्म पर कुर्आ	2.26	-		2.26	2.26	-	-	0.00	0.00
योग	7,275.50	41.17	-	7,316.67	4,105.50	227.84	-	2,983.33	3,170.00
सी.डब्ल्यू.आई.पी.	-	76.96		-	76.96	-	-	76.96	-
पिछले वर्ष की	7,122.17	153.33	-	7,275.50	3,848.77	256.73	-	3,170.00	3,273.39

नोट (i) मूल्य ह्रास के आकलन अधिनियम, 2013 कम्पनियों के प्रति अनुसूची द्वितीय के रूप में चार्ज के कारण उत्पन्न होने वाली कम्पनी द्वारा आयोजित अचल सम्पत्तियों के लिखित नीचे मूल्य में अन्तर और कहा कि पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गट कम्पनी अधिनियम, 1956 की अब दिया गया है। प्रभाव के रूप में लाभ और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की हानि को वर्ष 2015-16 के लेखों में प्रभाव दिया गया। इस तरह के समायोजन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अन्तर को सामान्य आरक्षित निधि से चार्ज किया गया है।

नोट (ii) प्रारम्भिक राशि के ब्लॉक कर ह्रास शेष रही सम्पत्ति की जीवन पर एवं नये सम्पत्ति पर ह्रास की गणना उनके काम में लेने की दिनांक से चार्ज किया गया है।

नोट (iii) राशि रु. 5,000 / - से कम की सम्पत्ति पर 100 प्रतिशत ह्रास चार्ज किया गया है।

नोट 9 ब सम्पत्तियों प्लांट और औजार (लगातार)

विवरण			
स	ह्रास और अमाईटोजेशन लगातार क्रियाओं से सम्बन्धित		
	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
		₹ लाखों में	₹ लाखों में
	ह्रास और अमाईटोजेशन वर्ष के लिए टेनिजिबल सम्पत्तियों पर नोट 9 अ के अनुसार	227.84	256.73
ह्रास और अमाईटोजेशन लगातार क्रियाओं से सम्बन्धित		227.84	256.73

नोट 10 रहतियाँ

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) प्रमाणित बीज	2,601.91	3,092.21
(ब) आधार व प्रजनक बीज	426.30	566.54
(स) न्यून आकार एवं अनुउपयुक्त बीज	1,021.40	217.71
(द) रॉ बीज एवं विधायित बीज	23.62	28.59
(य) रूई		
(र) विधायन, रासायनिक एवं पैकिंग सामग्री	2,342.21	846.46
(ल) परिवहनाधीन सामग्री		
योग	6,415.44	4,751.51

नोट 11 व्यापारिक प्राप्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
व्यापारिक प्राप्तियाँ बकाया जों की भुगतान के लिए 6 माह से अधिक पर बकाया है।		
रक्षित, अच्छे माने गये		
अरक्षित, अच्छे माने गये		
6 माह से कम के लिये	2,668.54	2,333.72
6 माह से अधिक के लिये	1,232.36	587.64
डुबत	2,235.75	1,820.18
	6,136.65	4,741.54
घटाइये: व्यापारिक प्राप्तियों के लिए प्रावधान	1,193.51	1,098.90
योग	4,943.14	3,642.64

Refer Ageing at Note No. (40)D

नोट 12 नकद और नकद तुल्य

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) हस्तगत रोकड	0.63	0.68
(ब) शेष बैंको के पास		
(i) चालू खाते में	1,055.89	877.07
(ii) नकद साख सीमा खाता	256.88	4,327.36
(iii) संग्रहण खाते में	0.99	0.99
(स) इयरमाकूड खातों में	3,803.34	-
अनपेड लाभांश खाता		
(द) परिवहनाधीन अन्तरण (रेमीटेन्स)	9.06	7.84
योग	-	246.00
Total	5,126.79	5,459.94

(ii) शेष बैंको के पास – अन्य इयरमाकूड खातों में सम्मिलित रु. 9.06/- लाख (31 मार्च 2022 को रु. 7.84/- लाख) जो की रिपेटरियेशन पर रोक है।

नोट 13 अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) बीज उत्पादकों को अग्रिम	4,072.90	3,197.52
घटाइएँ : अग्रिम के लिये प्रावधान	104.81	113.18
	3,968.09	3,084.34
(ब) पूर्वदत्त व्यय – अरक्षित अच्छे माने गये	0.58	34.02
	0.58	34.02
(स) शेष सरकारी विभागों के पास अरक्षित जो कि अच्छे माने गये		
(i) सरकार से वसूली योग्य अनुदान	2,480.99	4,718.00
(ii) अग्रिम आयकर	327.76	317.07
(iii) टी. डी. एस.	13.94	21.66
(iv) वादकरण के अन्तर्गत जमा	8.60	4.97
(v) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत अनुदान	1,031.64	523.86
(v) आयकर वसूली योग्य	151.12	213.92
योग	4,014.05	5,799.48
(र) विविध लेनदार डेबिट शेष		
अरक्षित, अच्छे माने गये	39.22	31.81
घटाईये : प्रावधान	6.47	6.47
योग	32.75	25.34
(ल) अन्य अग्रिम/ वसूली योग्य		
अरक्षित, अच्छे माने गये	270.62	398.24
योग	8,286.09	9,341.42

नोट 14 अन्य चालू सम्पतियाँ

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) उद्दत ब्याज एफडीआर पर जो कि प्राप्त नहीं	5.88	-
(ब) उद्दत फार्म आय/ अन्य आय	79.64	90.84
योग	85.52	90.84

नोट 15 आय क्रियाओं से

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
उत्पादों की बिक्री :		
(i) प्रमाणित बीज	19,410.82	17,845.85
(ii) आधार एवं प्रजनक बीज	1,467.58	1,619.77
(iii) रूई	-	-
(iv) निलामी बिक्री	33.46	2,993.25
(v) विपणन अनुदान	1,342.71	2,791.46
(vi) एन.एफ.एस.एम. अनुदान	647.82	2,277.28
योग	22,902.39	27,527.61

नोट 16 अन्य आय

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) ब्याज से आय (रेफर नोट (i) नीचे)	27.59	25.00
(ब) अन्य नान आपरेटिंग आय (रेफर नोट (ii) नीचे)	305.42	291.83
योग	333.01	316.83

नोट (i)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
ब्याज से आय सम्मिलित:		
बैंकों से ब्याज :		
बचत खातों पर	26.52	21.53
कर्मचारी ऋण पर ब्याज	-	-
अन्य ब्याज	1.07	3.47
योग — ब्याज आय	27.59	25.00

नोट (i)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
अन्य नोन ऑपरेटिंग आय सम्मिलित:		
फार्म से आय	226.85	226.85
शास्ति की वसूली	14.20	14.39
अनुक्रमांक फीस	0.36	0.45
अन्य प्राप्तियाँ	9.68	20.80
बीज बैंक अनुदान का पूनभरण	48.63	17.85
विधायन सामग्री की निलामी	5.70	11.49
कुल अन्य नॉन ऑपरेटिंग आय	305.42	291.83

नोट 17 अ व्यापारिक माल की क्रय

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
प्रमाणित बीज	18,007.72	17,614.69
रॉ बीज	100.38	94.13
आधार एवं प्रजनक बीज	1,604.54	1,987.86
क्रय खर्चे	18.52	2.81
घटाईये : उत्पादन के लिए अनुदान	(2,899.88)	(2,244.46)
योग	16,831.28	17,455.03

नोट 17 ब पूर्ण माल, कार्य प्रगतिधीन ओर व्यापार के स्टॉक में बदलाव

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
स्कन्ध वर्ष के अन्त में	4,073.22	3,905.04
स्कन्ध वर्ष के प्रारम्भ में	3,905.04	6419.17
नेट (बढत)/ घटत	(168.18)	2,514.13

नोट 18 कर्मचारियों बेनिफिट खर्च

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
वेतन एवं भत्तें	1,363.53	1,373.56
पेंशन अंशदान	26.78	34.14
चिकित्सा खर्च	0.01	26.99
चिकित्सा राहत कोष में अंश दान	14.07	2.15
प्रशिक्षण एवं चयन	-	-
लिवरीज खर्च	0.53	0.92
एल. आई सी. ग्रुप ग्रेच्युटी	29.65	77.80
नियोक्ता का भविष्य निधि में अंशदान	104.95	112.94
अवकाश नकदीकरण	16.60	60.78
कर्मचारियों को अनुग्रह राशि	7.76	11.58
स्टॉफ वेलफेयर	17.79	10.29
प्रोत्साहन राशि कर्मचारियों को	0.21	1.39
एनपीएस योगदान	-	1.15
कर्मचारियों को उपहार	0.42	1.03
सीपीएफ योगदान सरकारी	-	0.50
योग	1,582.30	1,715.22

नोट 19 वित्तीय खर्च

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(अ) ब्याज खर्च:		
(i) ऋण पर	92.18	317.58
योग	92.18	317.58

नोट: 19 (II)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
(i) अकेक्षकों को भुगतान सम्मिलित (नेट ऑफ सर्विस टैक्स इनपुट क्रेडिट, जहाँ लागू)		
अकेक्षकों को- वैधानिक अकेक्षण	1.30	1.30
कर सम्बन्धि मामलों के लिए	0.65	0.65
खर्चों को पूनर्भरण एवं जी.एस.टी.	1.35	2.67
योग	3.30	4.62
(iii) पिछले वर्ष का विवरण (नेट)		
पिछले वर्ष के खर्चे		
(i) हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन	-	-
(ii) विज्ञापन	-	0.49
(iii) कन्सलटेनसी	-	-
(iv) परीक्षण शुल्क	-	-
(v) श्रमिक ठेकेदार को भुगतान	0.06	0.60
(vi) बिजली एवं पानी	-	0.23
(vii) वैधानिक बकाया-ईपीएफ	-	0.10
(viii) कार्यालय व्यय	-	0.02
योग	0.06	1.44
पिछले वर्ष की आय		
(i) अधिक प्रावधान रिटर्न बैंक	37.17	54.49
(ii) हैण्डलिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन	-	-
(iii) छस	-	-
योग	37.17	54.49
नेट	(37.11)	(53.05)

नोट 20 अन्य खर्चे

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
श्रमिकों एवं श्रमिक ठेकदारों को मजदूरी	545.93	601.26
विधायन एवं औटाई व्यय	58.41	87.37
विधायन एवम् पैकिंग सामग्री का उपभोग	917.70	639.67
संयंत्रों की मरम्मत एवम् रख रखाव	47.65	71.73
परीक्षण एवम् प्रमाणीकरण खर्चे	201.57	242.08
बिजली व पानी	77.74	92.41
फामर्स खर्चे	5.13	5.99
यात्रा व्यय (निदेशकों के खर्च एवं सिटिंगे फीस सम्मिलित)	48.32	30.25
डाक, तार एवम् टेलीफोन	6.60	7.19
विज्ञापन	80.13	52.90
बीमा	67.91	49.70
पुस्तक एवम् पत्रिकाएँ	0.76	0.72
किराया, कर व दर	34.46	14.36
मनोरंजन	8.41	4.43
अंकेक्षकों को भुगतान	3.30	4.62
फाईलिंग शुल्क	2.83	2.38
मुद्रण एवम् लेखन सामग्री	31.59	18.54
बिजली व पानी	5.41	2.75
मरम्मत एवम् अनुरक्षण (अन्य)	66.78	67.57
वाहनों की मरम्मत एवम् अनुरक्षण	78.80	65.90
ए.जी.एम. एवम् अन्य सभा व्यय	11.57	9.63
कार्यालय व्यय	31.01	69.46
स्टेट रिनिवल फण्ड में अंशदान	15.19	15.19
सुरक्षा प्रहरी व्यय	244.10	209.03
आन्तरिक अंकेक्षण शुल्क	3.88	4.36
वैधिक व्यय एवम् पेशेवर शुल्क	20.17	42.73
सी.एस.आर. में अंशदान	31.83	22.21
ठेकेदार को भुगतान (ऑपरेटर/डाइवर/सहायक)	79.45	79.86
बीजो का परिवहन, उतराई, चढाई आदि	481.43	355.66
भण्डारण व्यय	92.25	193.19
संवर्धन एवम् प्रचार व्यय	1.11	3.26
क्षतिपूर्ति	0.28	5.33
बैंक प्रभार	2.84	2.30
मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान	-	-
विविध देनदारों एवं ऋण एव अग्रिम की तरफ डूबत ऋण अपलिखित का प्रावधान डूबत ऋण अपलेखन	86.24	68.91
योग	3,390.78	3,142.94

नोट 21 डैफर्ड टेक्स (दायित्व)/सम्पत्ति

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
नेट डैफर्ड कर (दायित्व) सम्पत्ति वर्ष के प्रारम्भ में	259.76	250.89
जोड़िये/घटाये :- डैफर्ड कर प्रभाव वर्ष के दौरान कर प्रभाव जिन पर डैफर्ड टैक्स दायित्व बनता है।		
स्थायी सम्पत्तियों पर बुक शेष टैक्स का अन्तर डैफर्ड जिस पर कर के लिये	(58.53)	(52.67)
डैफर्ड कर दायित्व का कर पर प्रभाव @ 29.12 प्रतिशत	(17.04)	(15.34)
कर का प्रभाव डैफर्ड कर सम्पत्तियों के लिये ग्रेच्यूटी एवं अन्य कर्मचारियों के लिये प्रावधान	(20.93)	14.24
डुबत ऋण एवं अग्रिम के लिये प्रावधान	86.24	68.91
आयकर एक्ट 1961 की धारा 40 (अ) (i), 43 ब के अन्तर्गत डिसअलाइन्स		
स्थायी सम्पत्ति पर टैक्स शेष का अन्तर डैफर्ड कर सम्पत्ति का टैक्स पर प्रभाव	19.02	24.21
शुद्ध डैफर्ड कर (दायित्व)/सम्पत्ति वर्ष के अन्त में	261.73	259.76
कुल रिवर्सल डैफर्ड कर सम्पत्ति का	1.97	8.87

नोट 22 अन्य नॉन चालू सम्पत्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	₹ लाखों में	₹ लाखों में
सरकार से वसूली योग्य अनुदान	2.17	2.17
सरकार के पास जमा अमानत राशि	17.70	18.10
Total	19.87	20.27

नोट "23" महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ एवं लेखा टिप्पणियाँ :

(अ) कम्पनी के बारे में सूचना :-

भारत सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व बैंक की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी की मदद से राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई एवं इसके दूसरे चरण के तहत राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड दिनांक 28 मार्च 1978 को कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत केन्द्र सरकार एवं राजस्थान की राज्य सरकार ओर स्थानीय किसानों की संयुक्त होल्डिंग के साथ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में स्थापना की गई। कम्पनी ने व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद दिनांक 26 मई 1978 से अपना व्यवसाय शुरू किया। हमारी कम्पनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या U75132RJ1978SGC001781 है। केन्द्र सरकार और राजस्थान की सरकार एवं स्थानीय किसान कम्पनी के शुरूआती सदस्य थे।

(ब) लेखा नीतियाँ :-

- लेखांकन का आधार:-** वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति के अन्तर्गत प्रोघभूत विधि का प्रयोग करते हुये भारत में सामान्यतया: प्रचलित लेखा सिद्धान्तों एवं कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार मय इसके अन्तर्गत अधिसूचित लेखा मानकों के अनुरूप बनाये गये है।
- अनुमानों का उपयोग:-** प्रस्तुत अवधि के वित्तीय विवरण में सामान्यतया: प्रचलित लेखा सिद्धान्तों के आवश्यकता अनुसार प्रबन्धन द्वारा अनुमान मानते हुये आय एवं व्यय का प्रभाव एवं इस दिन के वित्तीय विवरण सम्पतियों एवं दायित्व मय संदिग्ध दायित्व को लिया गया है। वास्तविक एवं अनुमानित परिणाम के अन्तर को उस अवधि में लिया जाता है, जिसमें परिणाम मालूम हो।
- सम्पति प्लॉट एवं औजार :-** स्थायी सम्पतियाँ (राज्य सरकार से प्राप्त मुफ्त भूमि के अलावा) को लागत पर, या निर्माण लागत या पुस्तक मूल्य में से संचित ह्रास एवं इम्पेयरमेन्ट यदि कोई हो तो घटाते हुये लिया जाता है। पूंजीगत कार्य प्रगतिधीन 1,35,83,243/- पूर्व वर्ष के 24 दुकानों के थे जो कि वर्ष 2021-22 में पूर्ण हुये एवं स्थायी सम्पति के ऑफिस बिल्डिंग में जोड़ा गया है।
- ऋण लागत:-** कम्पनी ने बैंक से कार्यशील पूँजी के लिये लिमिट ली हुयी है। ऋण लागत को अवधि में खर्च के रूप में लिया गया है, जिस अवधि में खर्चा हुआ है।
- स्टॉक:-**
 - बीज:-**
 - प्रमाणित एवं आधार बीज का अगले वित्तीय वर्ष 30 अप्रैल को स्थिति रिपोर्ट (फिट/अनफिट) को देखते हुये प्रत्यक्ष लागत (स्वयं के उत्पादन की स्थिति में क्रय मूल्य में विधायन उपरिव्यय जोड़ते हुए किया जाता है। जैसा कि संचालक मण्डल द्वारा प्रति क्विंटल निर्धारित है, सीधे क्रय की स्थिति में क्रय मूल्य में 3 प्रतिशत क्रय खर्च जोड़ते हुए एवं संयुक्त स्कन्ध की स्थिति में औसत के अनुसार) या बाजार मूल्य जो भी कम हो के आधार पर मूल्यांकन किया गया है।
 - प्रजनक बीजों का मूल्यांकन क्रय लागत (इस पर प्राप्त अनुदान को घटाने के बाद) या बाजार मूल्य जो भी कम हो पर किया गया है।
 - रॉ बीजों का मूल्यांकन क्रय दर पर किया गया है।
 - अनुपयोगी और अमानक बीजों का मूल्यांकन अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है।
 - कॉटन बीजों प्रमाणित, आधार, रॉ तथा कॉटन लिन्ट (सह उत्पाद) का मूल्यांकन अनुमानित लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो पर किया गया है।
 - पैकिंग एवं विधायन सामग्री का मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया गया है। इसके अलावा उपयोग/अमानक माल, जिनकी वसूली योग्य मूल्य का पता उस समय लगता है, जबकि उनको निलाम किया जाता है।

(स) इकाईयों के द्वारा स्टॉक रजिस्टर मैन्यूवल संधारित किया जाता है।

6. **ह्रास :-**

- (अ) कम्पनी द्वारा ह्रास कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत चार्ज किया गया है। ह्रास कम्पनी के द्वारा रु. 2,27,84,326 /- चालू वर्ष में किया गया (पिछले वर्ष रु. 2,56,72,521 /-)
- (ब) अधिकतर संयंत्र एक ही पारी में चलते हैं। कुछ विधायन संयंत्र कुछ दिनों के लिये दोहरी पारी में चलते हैं, जिसका मुख्य कारण बीजों को समयबद्ध कार्यक्रम के तहत समय पर विधायन करना है। हांलाकि कम्पनी के द्वारा ह्रास की दर एक पारी के अनुसार चार्ज की है।

7. **रेवन्यू :-**

- (अ) समस्त प्रकार के बीजों की बिक्री को लेखों में बिक्री कर, जीएसटी, मण्डी कर एवं व्यापारिक छूट के अतिरिक्त दर्शायी गई है। कृषि विभाग से प्राप्त विपणन अनुदान को बिक्री का हिस्सा माना गया है।
- (ब) सीएसएस अनुदान रबी 2022-23 में केन्द्रीय सरकार द्वारा बदल दिया एवं खरीफ 2022 के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किये गये। निगम द्वारा खरीफ 2022 में बीज बांटा जा चुका था। उचित दिशा-निर्देश के अभाव में कम्पनी के द्वारा दिये गये खरीफ 2022 में वर्ष के दौरान अनुदान की राशि रु. 86,04,478 /- को नहीं माना गया। अनुदान राशि रु. 75.04 लाख जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की स्वीकृति के अभाव में रिवर्ट की गई थी जो कि चालू वर्ष में प्राप्त हो गयी है और उसे चालू वर्ष की आय में दिखाया गया है।
- (स) सीएसएस अनुदान :- 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत अनुदान का पूर्णभरण केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अनुदान की राशि प्रमाणित बीज की बिक्री के अन्तर्गत सम्मिलित की गयी है।

8. **क्रय :-**

- (अ) बीजों के स्वयं द्वारा प्रोक्यूरमेंट को लेखों में लेखांकन तभी किया गया है जबकि उनके अंकुरण रिपोर्ट का प्रमाणिकरण हो चुका है एवं अन्य सम्बन्धित कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। संयंत्र पर दिये गये बीजों के विरुद्ध बीज उत्पादकों को दी गई अग्रिम राशि का क्रय होने पर ही समायोजन किया जाता है।
- (ब) सीधी क्रय को कम्पनी द्वारा बीज प्राप्त होने पर ही लेखों में लिया गया है।
- (स) प्रत्येक मौसम में संचालक मण्डल के निर्णयानुसार राँ बीज क्रय को कम्पनी को बीज प्राप्त होने पर ही अभिलिखित किया गया है। ढ़ेंचा, मक्का एवं तिल का बीज राँ आधार पर क्रय किया गया है।

9. **विधायन एवं पैकिंग सामग्री का उपयोग :-**

- (अ) विधायन एवं पैकिंग सामग्री के उपयोग का समायोजन प्रारम्भिक शेष में वर्ष के दौरान की गई क्रय को जोड़ते हुये कम्पनी के पास वर्ष के अन्त में उपलब्ध भौतिक अन्तिम स्टॉक को घटाने के पश्चात प्राप्त शेष के आधार पर किया गया है।
- (ब) वर्ष के दौरान क्रय किये गये स्टोर व स्पेयर्स का उपभोग मान लिया है।

10. **विक्रय/क्रय की दरों में यदि कोई विवाद होने पर उनका लेखों में समायोजन निपटारा होने वाले वर्ष में किया गया है।**

11. **कर्मचारी परिलाभ :-**

- (अ) ग्रेच्यूटी:-

भुगतान के संचालन हेतु कम्पनी द्वारा एक ट्रस्ट का गठन किया गया है। ट्रस्ट द्वारा जीवन बीमा निगम के द्वारा वर्ष 2008-09 में नकद एक्यूमेलेथिन सामूहिक प्रावधायी एवं पॉलिसी के बजाय वर्ष 2008-09 में सामूहिक प्रावधायी एवं नकद एक्यूमेलेथिन पॉलिसी ली गई है जिसमें सभी योग्य कर्मचारी शामिल हैं। और कम्पनी के द्वारा प्रिमियम की राशि का भुगतान किया जाता है।

(ब) अवकाश नकदीकरण:-

कम्पनी के द्वारा जीवन बीमा निगम से अवकाश नकदीकरण कम सुरक्षा पॉलिसी ली गई है जिसमें सभी योग्य कर्मचारी शामिल हैं, और कम्पनी के द्वारा प्रिमियम की राशि का भुगतान किया जाता है।

12. अनुदान-सहायतार्थ :-

(अ) स्थाई सम्पत्ति विशेष हेतु प्राप्त सहायतार्थ पूंजीगत अनुदान को उपयोग के वर्ष में ही सम्बन्धित स्थायी सम्पत्ति की मूल लागत में से घटाया गया है।

(ब) कृषि विभाग से प्राप्त उत्पादन अनुदान का लेखांकन वर्ष के दौरान प्राप्त वास्तविक उत्पादन के आधार पर किया गया है।

(स) कृषि विभाग से प्राप्त विपणन अनुदान का लेखांकन अनुदान के योग्य प्रमाणित बीजों की वास्तविक बिक्री सम्बन्धित उप निदेशक (कृषि) से प्रमाणन के आधार पर किया गया है।

(द) भारत सरकार से प्राप्त सीड बैंक योजना के अन्तर्गत अनुरक्षण लागत प्रतिपूर्ति का लेखांकन कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के वर्ष में किया गया है।

(य) कृषि विभाग से प्राप्त बीज उपचार के लिये अनुदान का समायोजन राशि प्राप्त होने वाले वर्ष में किया जाता है।

13. डैफर्ड कर सम्पत्ति / दायित्व :-

कर लाभ एवं बुक लाभ के समायंतर के लिए डैफर्ड टेक्स का लेखांकन तुलन पत्र की तिथि को कर की दरों एवं लागू होने वाले कानूनों या होने जा रहे कानूनों का प्रयोग करते हुये किया गया है। डैफर्ड कर, सम्पत्तियाँ जो कि उस उचित निश्चितता की सीमा तक बनाई गई है कि वह सम्पत्तियाँ भविष्य में लेखांकित होगी।

14. **सम्पत्तियों की हानि :-** सम्पत्तियों के पेटे से राशि प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में समीक्षा कर रहे हैं। अगर वहां कोई है तो वह हानि आन्तरिक/बाह्य कारकों पर आधारित है। जब सम्पत्ति की वसूली योग्य राशि हानि से अधिक है तो परिसम्पत्ति की पहचान होती है। परिसम्पत्ति की हानि को लाभ-हानि खाते में उसी वर्ष में दिखाया जाता है जिस वर्ष में सम्पत्ति पर हानि होती है। यदि वसूली योग्य राशि का अनुमान में बदलाव होता है तो पूर्व लेखांकन अवधि में हानि के रूप में पहचान होती है।

15. आय प्रति अंश :-

क्र.सं.	विवरण	इस वर्ष	पिछले वर्ष
1.	साम्य अंशधारियों के लिये ऐक्यूटरूबेलेट आयें।	रु. 9,86,27,942/-	रु. 17,78,73,189/-
2.	अंशों की संख्या	759976	759976
3.	आय प्रति अंश	129.78	234.05

(स) लेखों पर टिप्पणी :-

16. **संदिग्ध दायित्व राशि जो प्रावधित नहीं की गई :-**

(1) निम्नलिखित संदिग्ध मागों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

क्र.सं.	विवरण	इस वर्ष	पिछले वर्ष
(अ)	अन्य- विभिन्न स्थानों पर प्रतिदिन कार्य करने वाले श्रमिक, बीज उत्पादक, जो कि उपयुक्त न्यायलय में लम्बित है।	रु. 23,76,20,542/-	रु. 24,10,80,816/-

(2) विभिन्न सहायता/अनुदान के विरुद्ध संविदाएँ जिनको सम्पादित किया जाना बाकी है की अनुमानित राशि जो कि राशि रु. 30.92 लाख है (पिछले वर्ष रु. 115.45 लाख)

17. **कराधान :-**

आयकर, वैट, जीएसटी लिटीगेशन के अन्तर्गत दायित्वों को अन्तिमीकरण वाले वर्ष में अभिलिखित किया गया है।

18. सभी प्रकार के प्रमाणित बीजों के क्रय विक्रय एवं अन्तिम संकन्ध में सत्य चिन्हित बीजों का क्रय-विक्रय एवं अन्तिम संकन्ध भी सम्मिलित है। क्रय, विक्रय में आन्तरिक फार्म लेन-देन भी सम्मिलित है जो कि ठेके पर दिया हुआ है।
19. फार्म में उत्पादन से आय में लीज किराया एवं अन्य विविध फार्म उत्पादन की बिक्री सम्मिलित है।
20. राज्य सरकार द्वारा कम्पनी को स्थानांतरित संयंत्र व मशीनरी एवं भवन का मूल्यांकन तदर्थ आधार पर किया गया है एवं कम्पनी को राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरित भूमि को शून्य मूल्य पर लिया गया है। उपरोक्त पर मूल्य हास तदर्थ मूल्य पर चार्ज किया गया है।
21. 53.26 लाख रु. राशि का पूंजिगत कार्य प्रगतिधीन से स्थायी परिसम्पत्ति सकल ब्लाक (प्रशासनिक भवन) वर्ष 1989-90 में स्थानान्तरित किया गया है ऐसे भवन का अधिग्रहण एवं कब्जा कम्पनी द्वारा कर लिया गया है। कम्पनी के पक्ष में राज्य सरकार से स्वत्व संलेख प्राप्ति का मामला अभी बकाया है।

(21अ) इमूविवल सम्पत्ति जिसका टाइटल कम्पनी के नाम से नहीं है। उसक विवरण:-

तुलन पत्र में दिखाया गया	सम्पत्ति का विवरण	सकल मूल्य	टाइटल किसके नाम से है	टाइटल डीड प्रमोटर/निदेशक या कर्मचारी है क्या	सम्पत्ति कब है उसकी तिथि	कम्पनी के नाम से नहीं होने का कारण
पीपीई	भूमि व भवन प्रशासनिक भवन	रु. 53.54 लाख	राज्य सरकार कृषि विभाग	एजेसी को प्रमोटर राज्य सरकार	वित्तीय वर्ष 1989-90	राज्य सरकार से स्वत्व संलेख प्राप्ति का मामला अभी बकाया है।

22. **रिलेटेड पार्टी डिस्कलोजर:-** लेखा मानक 18 में वर्णित अनुसार कम्पनी ने उसके निदेशकों के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है।

23. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को दिये गये भुगतान को सम्बन्धित लेखों का शीर्ष के अन्तर्गत डेबिट किया गया है।

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2023 को	समाप्त वर्ष 31.03.2022 को
1.	वेतन एवं भत्ते	रु. 46,66,644/-	रु. 26,52,445/-
2.	यात्रा व्यय	रु. 8,47,526/-	रु. 31,933/-
3.	चिकित्सा पुर्नभरण	-	रु. 51,800/-
	योग	रु. 55,14,170/-	रु. 27,36,178/-

24. अंकेषकों को वर्ष के दौरान भुगतान का विवरण :-

क्र.सं.	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2023 को	समाप्त वर्ष 31.03.2022 को
1.	वैद्यनिक अंकेक्षण शुल्क	रु. 1,30,000/-	रु. 1,30,000/-
2.	कर अंकेक्षण शुल्क	रु. 65,000/-	रु. 65,000/-
3.	खर्च पुनर्भरण एवं जीएसटी	रु. 1,34,717/-	रु. 2,67,259/-
	योग	रु. 3,29,717/-	रु. 4,62,259/-

25. आई.डी.बी.आई के द्वारा टी.डी.सी. प्रमाण पत्र रु. 53,630 /- गलती से वर्ष 1999-2000 में दो बार जारी कर दिया जो कि विविध लेनदारों अन्य में चालू दायित्व शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया गया है।
26. वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2008-09 कम्पनी ने राज्य नवीनीकरण कोष में अंशदान नहीं किया है क्योंकि राजकीय उपक्रम विभाग के द्वारा किसी प्रकार की मांग नहीं दी गई है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा अंश पूंजी का 2 प्रतिशत या 20 लाख रुपये जो भी कम हो की मांग प्राप्त हुई है। इसलिये कम्पनी के द्वारा रु. 15,18,572 /- का प्रावधान कर दिया गया है। (पिछले वर्ष 15,18,572 /-)
27. (अ) कम्पनी के द्वारा अवकाश नकदीकरण के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से अवकाश नकदीकरण कम सुरक्षा पॉलिसी वर्ष 2007-08 के दौरान ली गई है जिसमें सभी योग्य कर्मचारी शामिल है। भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा निर्धारित दायित्व वर्ष 31.03.2023 का मानते हुये राशि रु. 17,35,476 /- (पिछले वर्ष 22,44,027 /-) किया गया। कम्पनी के द्वारा शेष रहे कर्मचारियों के लिये वर्ष 2018 में एक अन्य पॉलिसी ली गई, जिसका दायित्व एलआईसी के द्वारा 31.03.2023 तक राशि रु. 18,92,970 /- (पिछले वर्ष 19,08,891 /-) तृतीय पॉलिसी शेष रहे / नये जोड़े गये कर्मचारियों के लिए ली गयी है जिसके अनुसार 31.03.2023 को पूर्वदत्त दायित्व रु. 5,45,506 /- बताया गया है। (पूर्व वर्ष निल)
- (ब) कम्पनी के द्वारा वर्ष 2008-09 में भारतीय जीवन बीमा निगम से ग्रुप ग्रेच्युटी कम एश्योरेंस पॉलिसी के बजाय ग्रुप ग्रेच्युटी कैश अक्यूमलेशन स्कीम पॉलिसी ली गई है, जिसमें सभी योग्य कर्मचारी शामिल है। भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा निर्धारित दायित्व वर्ष 31.03.2023 तक का भुगतान किशतों में आपसी समझौते के अनुसार किया जाना है, जो कि वर्ष के दौरान रुपये 12,31,463 /- (पिछले वर्ष 18,93,690 /-)। कम्पनी के द्वारा शेष रहे कर्मचारियों के लिये वर्ष 2018 में एक अन्य पॉलिसी ली गई, जिसका दायित्व एलआईसी के द्वारा 31.03.2023 तक राशि रु. 17,47,506 /- (पिछले वर्ष 29,39,398 /-) तृतीय पॉलिसी शेष रहे / नये जोड़े गये कर्मचारियों के लिए ली गयी है। जिसके अनुसार 31.03.2023 को पूर्वदत्त दायित्व रु. 6,87,125 /- बताया गया है। (पूर्व वर्ष निल)
- (स) स्कीम का विवरण निम्नानुसार है।

विवरण	अवकाश नकदीकरण स्कीम	ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम
(अ) सर्विस लाभ का वर्तमान मूल्य	रु. 3,63,85,448/-	रु. 5,99,54,433/-
(ब) सम्पत्तियों का मूल्य वर्ष के अन्त में	रु. 3,33,02,508/-	रु. 5,76,62,589/-
(स) कोष स्थिति (दायित्व) / सम्पत्तियों	दायित्व रु. (30,82,940/-)	दायित्व रु. (22,91,844/-)
(द) भुगतान करना है	दायित्व रु. (8,38,913/-)	(रु. 22,91,844/-)
(य) प्रारम्भ में प्रावधान किया गया	रु. 22,44,027/-	
(र) खर्च के लिए भुगतान		
(ल) लाभ-हानि खातों में दिखाया गया	रु. 16,60,425/-	रु. 29,64,701/-

28. ओ. पी. पी. योजना के तहत प्राप्त फार्मों के विकास हेतु अनुदान एवं यू.एन.डी.पी. योजना में प्राप्त फण्ड के अन्तर्गत कम्पनी नोडल एजेन्सी की तरह कार्य कर रही है।
29. लाभांश:- रूपयें 75,92,858 /- का प्रावधान एवं राशि रु. निल लाभांश कर प्राप्ति के समय लागू है के लिये खातों में प्रावधान किया गया है। (पूर्व वर्ष में राशि रु. 75,92,859 /- एवं राशि रु. निल)

30 नकद एवं नकद तुल्य :-

- (अ) राशि रु. 99000/- (गत वर्ष 99000) नगद एवं बैंक शेष (चालू अस्तियाँ) शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया है जो कि बैंक एम. टी. (मनी ट्रान्सफर) के माध्यम से कम्पनी की ईकाइयों द्वारा उसके प्रधान कार्यालय को स्थानान्तरित राशि से सम्बन्धित है और वर्ष 1982-83 से 1986-87 के दौरान संग्रहण खाते में उन बैंकों की प्राप्तकर्ता शाखाओं के द्वारा 31 मार्च 2023 तक पावती नहीं की। कम्पनी द्वारा 2000-01 में उक्त वसूली के लिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के विरुद्ध सिविलसूट दायर किया लेकिन वर्ष 2003-04 के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा दावा खारीज कर दी गई है, जिसके लिये द्वितीय अपील माननीय उच्च न्यायालय में की गई है। निर्णय अभी लम्बित है।
- (ब) कम्पनी अवधि पार चैक को (जो कि पार्टी के द्वारा नहीं लगाये गये) उनको डैड चैक में स्थानान्तरित करती है।
- (स) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सीसी लिमिट पर गलती से कमिटेन्ट व्यय रु. 73,69,528.14 लगाये गये थे जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक द्वारा रिवर्ट कर दिये गये जो कि चालू सम्पति में क्लेम वसूली योग्य में दर्शाये गये है।

31. लीज पर फार्म :-

- (अ) राज्य सरकार के द्वारा कृषि फार्म भूमि पूर्व के वर्षों में लीज-होल्ड आधार पर आवंटित किये गये थे। लीज रेंट का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा नहीं किये जाने के कारण कम्पनी के द्वारा लीज रेंट का दायित्व लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया है।
- (ब) कम्पनी के द्वारा फार्म के विकास पर किये गये खर्चों को लाभ हानी खाते से चार्ज किया गया है। चाहें वह रेवन्यु या खर्चा हों।

32. कम्पनी के प्रबन्धन के द्वारा वर्ष के दौरान के डुबत ऋण पेटे राशि रु. 86,23,729/- (पिछले वर्ष 68,90,505/-) का प्रावधान किया गया है, जिसमें से विविध देनदारों की तरफ रु 94,60,957/- रिवर्ट किये गये हैं। (पिछले वर्ष 87,00,461/-) एवं बीज उत्पादकों की तरफ रु. (-) 8,37,228/- (पिछले वर्ष (-) 18,09,956/-) एवं ऋण एवं अग्रिम के पेटे राशि रु. निल (पिछले वर्ष रु. निल) थे।
33. भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स संस्था द्वारा जारी "आय पर कर के लिए लेखाकंन" के सम्बन्ध में लेखा मानक-22 (AS&22), जिसे बनाना दिनांक 01.04.2002 से आवश्यक हुआ है, महत्वपूर्ण समय में अन्तर का संचय कर प्रभाव परिणामस्वरूप डैफर्ड टैक्स सम्पत्तियों एवं दायित्व एवं उन मदों जिनके कारण ये अन्तर उत्पन्न हुये, का विवरण निम्न है :-

	डैफर्ड टैक्स सम्पत्तियाँ / (दायित्व) 01.04.2022 को	चालू वर्ष (चार्ज) / जमा	डैफर्ड टैक्स सम्पत्तियाँ / (दायित्व) 31.03.2023 को
अ. डैफर्ड टैक्स सम्पत्तियाँ			
—अवकाशनकदीकरण	12,09,329	(3,11,578)	8,97,751
— डुबत ऋण	3,54,94,556	25,11,230	3,80,05,786
— ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान	10,91,700	(7,40,010)	3,51,690
योग (अ)	3,77,95,585	14,59,642	3,92,55,227
ब डैफर्ड टैक्स (दायित्व) / सम्पत्तियाँ			
—ह्रास	(1,03,74,389)	(17,04,486)	(1,20,78,875)
स्टेट नवीनीकरण कोष	(14,45,183)	4,42,208	(10,02,975)
योग (ब)	(1,18,19,572)	(12,62,278)	(1,30,81,850)
शुद्ध डैफर्ड टैक्स सम्पत्तियाँ / (दायित्व) (अ)+(ब)	2,59,76,013	1,97,364	2,61,73,377

34. (अ) निदेशक कृषि लिफ्ट सिंचाई :-

लिफ्ट सिंचाई हेतु रु. 6.06 लाख पत्रांक एफ 4 (2) बजट/प्लान/89-90/22 दिनांक 6.04.1989 के द्वारा दिनांक 07.06.1989 को राशि प्राप्त हुई। राशि रु. 5.93 लाख अभी तक भी उपयोग किये जाने है।

(ब) बाजरा बीज के लिए उत्पादन अनुदान :-

निजी बीज उत्पादकों के द्वारा हाईब्रिड बाजरा बीज उत्पादन के लिए कृषि विभाग के द्वारा जारी स्वीकृति पत्रांक एफ (24)(277)/डीए/आरकेवीवाई/2010-11/15569-578 दिनांक 28.03.2011 के द्वारा राशि रु. 3.00 करोड़ की राशि दी गई थी जो कि अभी तक उपयोग नहीं हो पाई है। इसलिए इसे अनुदान वापसी योग्य सरकार को चालू दायित्व के अन्तर्गत दिखाया गया है।

35. वर्ष 2006-07 के दौरान रु. 6.26 लाख विभिन्न कृषकों को अच्छी गुणवत्ता का बीज विक्रय करने की वजह से क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया, जो कि मै0 रियल मार्केटिंग जलना एवं मै0 साईं सीड्स कारपोरेशन, आन्ध्रप्रदेश के द्वारा सप्लाई किया गया था। निगम द्वारा इन आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध दिनांक 21.05.07 को रु. 27.33 लाख का दावा किया गया। अनिश्चितता के कारण इसको खातों में नहीं लिया गया। न्यायालय के पास अभी तक इस केस का निर्णय लम्बित है।
36. 31 मार्च 2023 को कम्पनी के तरफ छोटे एवं लघु उपक्रमों के कोई देयतायें नहीं हैं जो कि 45 दिन से अधिक बकाया है। यह सूचना कम्पनी के पास उपलब्ध विवरण के आधार पर दी गई है जो कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के तहत दी जानी आवश्यक है।
37. वर्ष 2014-15 के लिये रही अनपेड डिवेडेन्ड की राशि क्रमशः रु. 1,20,046/- (पिछले वर्ष 93,390/-) को वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा और सुरक्षाकोष में नहीं जमा करवायी गई।
38. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार सीएसआर निती के पेटे राशि रु. 31,82,648/- का प्रावधान वर्ष के दौरान कम्पनी के द्वारा किया गया है। (पूर्व वर्ष राशि रु. 22,21,469/-)

(A) कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कम्पनी एक्ट की धारा 135 के अनुसार सीएसआर गतिविधियां

(a)	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि,	31,82,648/-
(b)	किए गए व्यय की राशि,	1,92,799/-
(c)	वर्ष के अंत में कमी,	29,89,449/-
(d)	पिछले वर्षों की कुल कमी,	14,80,553/-
(e)	कमी का कारण,	प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण
(f)	सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति,	समाज कल्याण
(g)	संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, ई. जी., प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान,	N/A
(h)	जहां एक संविदात्मक दायित्व में शामिल होने से उत्पन्न दायित्व के संबंध में प्रावधान किया गया है, वर्ष के दौरान प्रावधान में होने वाली गतिविधियों को अलग से दिखाया जाना चाहिए।	-

39. विगत वर्ष के आंकड़ों को इस वर्ष के आंकड़ों के तुलनीय बनाने के दृष्टिकोण से जहाँ आवश्यक हो को पुनः ग्रुपिंग/पुनः व्यवस्थित/पुनर्गणना की गई है।
40. विविध देनदार, लेनदार, ऋण एवं अग्रिम, सिक्यूरिटी जमा, चालू दायित्व, अदत्त दायित्व, कृषि विभाग के पास जमा, रिवोलिंग फण्ड एवं बीज बैंक को उनके पुस्तक मूल्यों पर लिया गया है। सम्बन्धित से पुष्टि/मिलान किया जाना लम्बित है।

- (अ) पिछले वर्षों के नियमित आधार पर कम्पनी के द्वारा 03 वर्ष के पूर्व के देनदारों एवं बीज उत्पादकों की तरफ बकाया राशि के लिए डुबत ऋण मानते हुए खातों में प्रावधान बनाया जाता है।
- (ब) मैसर्स जे.के. एग्री जैनेटिक्स लिमिटेड की तरफ कानूनी केश चल रहा है, जिसको चालू दायित्व के अन्तर्गत विविध देनदार माल के पेटे अन्डरलिटिगेशन में दिखाया गया है जो कि वाणिज्यिक कोर्ट, जयपुर में मामला चल रहा है एवं जिसका स्टेटस अभी बकाया है।
- (स) व्यापारिक देयताएँ आयुवार सारांश

31.03.2023

विवरण	भुगतान की देय/बिल तिथि के अनुसार बकाया राशि (राशि रु. लाखों में)				योग (रु. लाखों में)
	01 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	1020.42	438.23	340.21	310.25	2109.11
(iii) विवादाग्रस्त बकाया एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादाग्रस्त बकाया अन्य	-	-	-	-	-

31.03.2022

विवरण	भुगतान की देय/बिल तिथि के अनुसार बकाया राशि (राशि रु. लाखों में)				योग (रु. लाखों में)
	01 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	460.51	290.05	187.58	271.21	1209.35
(iii) विवादाग्रस्त बकाया एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादाग्रस्त बकाया अन्य	-	-	-	-	-

(द) व्यापारिक प्राप्तियों योग्य आयुवार सारांश

विवरण	भुगतान की देय/बिल तिथि के अनुसार बकाया राशि (राशि रु. लाखों में)					योग (रु. लाखों में)
	06 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	
31.03.2023						
(i) अविवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियों योग्य जो कि अच्छी मानी गई है।	2668.54	1232.36				3900.90
(ii) अविवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियों योग्य जो कि संदिग्ध मानी गई है।	-	-	863.00	179.24	-	1042.24
(iii) विवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियों योग्य जो कि अच्छी मानी गई है।	-	-	-	-	-	-

(iv) विवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियों योग्य जो कि संदिग्ध मानी गई है।	-	-	-	-	1193.51	1193.51
31.03.2022						
(i) अविवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियों योग्य जो कि अच्छी मानी गई है।	2333.72	587.64				2921.36
(ii) अविवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियों योग्य जो कि संदिग्ध मानी गई है।	-	-	477.16	244.12	-	721.28
(iii) विवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियों योग्य जो कि अच्छी मानी गई है।	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादाग्रस्त व्यापारिक प्राप्तियों योग्य जो कि संदिग्ध मानी गई है।	-	-	-	-	1098.90	1098.90

41. अनुदान उपयोग का विवरण:-

		31.03.2023	31.03.2022
अ	पूँजीगत अनुदान		
1.	इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुदान (गोदाम)	-	-
2.	सीड बैंक अनुदान (गोदाम)	-	-
ब	आयगत अनुदान		
1.	उत्पादन अनुदान	28,99,88,466/-	22,44,46,113/-
2.	विपणन अनुदान	13,42,70,670/-	27,91,46,469/-
3.	सी.एस.एस.	11,54,56,840/-	13,20,72,057/-
4.	एन.एफ.एस.एम. (प्रमाणित बीज)	6,47,81,880/-	22,77,28,034/-
5.	सीड बैंक की व्यवस्था	48,62,564/-	17,85,000/-

42. आंकड़ों को निकटतम रूप में अंकित किया गया है।

43. (अ) निगम के पास विभिन्न किस्मों का बीज कुल मात्रा 63932 क्विंटल 31.03.2023 को थी (पिछले वर्ष 50352 क्विंटल) जो कि बीज उत्पादकों से लिया गया था एवं जो कि ग्रेडिंग एवं प्रमाणिकरण की प्रक्रिया में था। निगम के द्वारा इसके पेटे बीज अग्रिम राशि रु. 40,72,99,175 /- (पिछले वर्ष 31,97,52,257 /-) था।
- (ब) रबी बीजों का स्टेटस (फीट/अनफिट) अक्टूबर-2023 तक का लिया गया है, जिसकी वजह से स्टॉक की मूल्य में राशि रु. 182.05 लाख (पिछले वर्ष 196.34 लाख) से कम किया गया है।

44. पूर्व अवधि की मदें :-

पिछले वर्ष के आधार पर, पिछले वर्ष की आय राशि रु. (37,16,416 /-) (पिछले वर्ष रु. 54,49,359 /-) एवं खर्च राशि रु. (6,086 /-) (पिछले वर्ष रु. 1,44,760 /-)।

45. **संगमेन्ट रिपोर्टिंग :-** सीड संगमेन्ट ही मुख्य गतिविधि है ।
46. लेखा मानक 17 जो कि सेगमेन्ट रिपोर्टिंग के लिए है जिसमें कम्पनी को सभी तरह के खर्च जो कि स्थायी सम्पत्तियाँ एवं इन्टेलिजिबल सम्पत्तियों को प्राप्त करने के लिए खर्च की गई है । उनका लेखा भौगोलिक अनुसार रखा जाना था । हालांकि कम्पनी के द्वारा स्थायी सम्पत्ति एवं इन्टेलिजिबल सम्पत्तियों को भौगोलिक आधार पर नहीं रखा गया है । इसलिए हम लेखा मानक 17 के अनुसार सेगमेन्ट रिपोर्टिंग लागू नहीं है ।
47. आयकर विभाग के दौरान वर्ष 2017-18 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.12.2019 में राशि रु. 2,18,82,718/- की आय को जोड़ा गया, जिसको निगम के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया एवं सीआईटी अपील के यहाँ उसके विरुद्ध अपील दाखिल की गई है ।
48. लेखांकन अनुपात

क्र.सं.	विवरण	अंश	मार्च 31, 2023	मार्च 31, 2022	अन्तर का कारण
		हर			
(अ)	स्टॉक टर्नओवर अनुपात	टर्नओवर/औसत स्टॉक	2.98	3.38	बिक्री राजस्व में वृद्धि और स्टॉक में हलचल बहुत कम है, इ स प्रकार स्टॉक टर्नओवर अनुपात में वृद्धि हुई है ।
(ब)	व्यापारिक देयताये टर्नओवर अनुपात	टर्नओवर/औसत व्यापारिक देयताये	2.69	9.52	टर्नओवर एक स्तर पर कम हो गया है जबकि Ach . व्यापार देय गतिविधि टर्नओवर की तुलना में अधिक है
(स)	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	EBITDA- Capex	16.47	9.18	कंपनी ने एसबीआई से सीसी सीमा ले ली है, और वर्ष के दौरान सीसी सीमा के न्यूनतम उपयोग के कारण ब्याज लागत कम हो गई है और कैपेक्स भी पीवाई की तुलना में कम मूल्य पर रहा है, इस प्रकार उच्च डीएससीआर है ।
		Debt Service			
(द)	चालू अनुपात	चालू सम्पत्तियाँ	2.83	2.84	देनदारों की अधिक वसूली होने के कारण कम्पनी की तरलता में वृद्धि हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान अनुपात में वृद्धि हुई है ।
		चालू दायित्व			
(य)	ऋण अंश अनुपात	ऋण	-	-	कम्पनी के पास कोई दीर्घकालीन ऋण नहीं है और किसी भी प्र कार का डिबेंचर जारी नहीं किया हुआ है । इस प्रकार ऋण इक्विटी अनुपात लागू नहीं होता है ।
		अंश			
(र)	इक्विटी अनुपात पर वापसी	कर के बाद लाभ औसत शेयरधारकों की इक्विटी	5.80	11.34	बढ़े हुए राजस्व के कारण अनुपात में वृद्धि हुई है और इसके विपरीत, अधिक देन दार वसूली के कारण सीसी सीमा की ब्याज लागत में गिरावट आई है ।

(ल)	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में)।	शुद्ध क्रेडिट बिक्री	5.33	8.82	मूवमेंट 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है, इसलिए कारण बताने की जरूरत नहीं है।
		औसत व्यापार प्राप्य			
(व)	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (समय में)	टर्नओवर	1.42	1.82	मूवमेंट 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है, इसलिए कारण बताने की जरूरत नहीं है।
		कार्यशील पूंजी			
	शुद्ध लाभ अनुपात	कर के बाद लाभ कुल बिक्री	4.31	6.46%	बढ़े हुए राजस्व के कारण अनुपात में वृद्धि हुई है और इसके विपरीत, अधिक देनदार वसूली के कारण सीसी सीमा की ब्याज लागत में गिरावट आई है, साथ ही परिवर्तनीय लागत में वृद्धि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है और बढ़े हुए राजस्व के लिए फिक्स्ड स्थिर रहता है।
	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	परिचालन लाभ कुल नियोजित पूंजी	0.08	0.17	मूवमेंट 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है, इसलिए कारण बताने की जरूरत नहीं है।
	निवेश पर प्रतिफल।	कर के बाद लाभ निवेश का प्रारंभिक मूल्य	1.30	2.34	अनुपात में वृद्धि इस कारण से हुई है कि निवेश का प्रारंभिक मूल्य पिछले वर्षों से स्थिर है और दूसरी ओर लाभ में लगभग वृद्धि हुई है। 1.6 गुना.

49. आयुवार पूंजी कार्य प्रगतिधीन

31.03.2023

विवरण	भुगतान की देय/बिल तिथि के अनुसार बकाया राशि (राशि रु. लाखों में)				योग (रु. लाखों में)
	01 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	
(i) योजना प्रगति में	-	76.96	-	-	76.96
(ii) योजना छोटे अवधि की	-	-	-	-	-

31.03.2022

विवरण	भुगतान की देय/बिल तिथि के अनुसार बकाया राशि (राशि रु. लाखों में)				योग (रु. लाखों में)
	01 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	
(i) योजना प्रगति में	-	-	-	-	-
(ii) योजना छोटे अवधि की	-	-	-	-	-

50. कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VI के भाग II के अनुच्छेद तीन और चार के क्रम में अतिरिक्त सूचनाएँ निम्नानुसार हैं:-

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय तृतीय तल, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर – 302005

CIN NO. U75132RJ1978SGC001781

www.rajseeds.org, email : csrajseeds@gmail.com, Tel.: 0141-2227665, 2227514

(अ) 31 मार्च 2023 को स्टॉक विवरण

	प्रमाणित बीज		आधार एवं प्रजनक बीज		रुई		बेकार एवं न्यून बीज		रॉ / ग्रेडेड बीज	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
प्रारम्भिक स्टॉक										
मात्रा (क्वि.)	89941	167243	13893	18447	-	-	11607	35382		
मूल्य (रु.)	309221056	464326283	56653950	72714135	-	-	21770550	101978573	2858960	2898448
परिवाहनधीन माल										
मात्रा (क्वि.)		-		-						
मूल्य (रु.)		-		-						
खरीद / जोड़ा वर्ष के दौरान										
मात्रा (क्वि.)	269731	414348	30187	38471			27248	79486		
मूल्य (रु.)	1522674326	1546717438	160453630	198785754						
कनवर्जन (क्वि.)	4412	2302	5959	9772						
विक्री										
मात्रा (क्वि.)	291273	415788	33718	42318			954	103069		
मूल्य (रु.)	2140134854	2291459076	146757957	161976916			3345752	299325249		
कनवर्जन (क्वि.)	6586	9772	3785	2302						
बेकार (क्वि.)	19150	68180	4959	8109						
अन्तिम स्टॉक										
मात्रा (क्वि.)	47082	89941	7531	13893			37887	11607		
मूल्य (रु.)	260191192	309221056	42629800	56653950			102139617	21770550	2361698	2858960
परिवाहनधीन माल										
मात्रा (क्वि.)		-								
मूल्य (रु.)										
कमी (क्वि.)	7	212	46	68			13	192		

नोट:-

- वर्ष के दौरान निल विव0 कपास क्रय की गई (पिछले वर्ष निलवद, जिसमें रुई - निल विव. बीज - निल विव. और निल विव. न्यून बीज (पिछले वर्ष रुई निल बीज निल न्यून बीज निल) उत्पाद बनाये गये। जिसका मूल्य प्रमाणित बीज रॉ कपास एवं अन्य मात्राओं में रॉ / ग्रेडेड बीजों में सम्मिलित है।
- उपरोक्त दर्शायी गई मात्रा 31 मार्च के हिसाब से ली गई है, जबकि इसका मूल्यांकन प्रतिवर्ष 30 अप्रैल की स्थिति रिपोर्ट (फिट / अनफिट) के आधार पर किया गया है। मात्रा को विवन्टलस में पूर्णांकित किया गया है।
- प्रमाणित बीजों के क्रय मूल्य में क्रय व्यय सम्मिलित है, एवं उत्पादन अनुदान घटाने के पश्चात् है।
- प्रमाणित बीजों के विक्रय मूल्य में विपणन अनुदान सम्मिलित है, एवं व्यापारिक छूट घटाने के पश्चात् है।

ब. विधायन संयंत्र की संस्थापित क्षमता व उपयोग का विवरण :-

	2022-23	2021-22
1. संस्थापित क्षमता (क्वि. में)	2074000	2074000
2. क्षमता का उपयोग (क्वि. में)	387295	535543

स. अन्य सूचनाएँ :-

अ. आयातित कच्चा माल एवं स्पेयर पार्टस एवं पूंजीगत माल का मूल्य	शुन्य	शुन्य
ब. रायल्टी, नो-हारुस पेशेवर, परामर्श फीस ब्याज एवं अन्य मालों के पेटे विदेशी मुद्रा में व्यय	शुन्य	शुन्य
स. आयातित कच्चे माल इत्यादि का मूल्य	शुन्य	शुन्य
द. लाभांश इत्यादि के पेटे विदेशी मुद्रा में भेजी गई राशि	शुन्य	शुन्य
य. विदेशी मुद्रा में आय	शुन्य	शुन्य

कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VI के भाग IV की अनुपालना में तुलन पत्र सार एवं कम्पनी के सामान्य व्यवसाय प्रोफाईल निम्नानुसार है :-

1. पंजीयन विवरण पंजीयन नं.: 1781 तुलन-पत्र दिनांक 31.03.2023	राज्य कोड : 17
2. वर्ष के दौरान पूंजी में वृद्धि (राशि लाखों में) सार्वजनिक निर्गम : निल बोनस निर्गम : निल	राईट निर्गम : निल निजी नियोजन : निल
3. निधि के स्रोत एवं उपयोग की स्थिति (राशि लाखों में) साम्य और दायित्व: 28198.87 निधि का स्रोत : 17448.24 नॉन चालू दायित्व: 1965.86 चालू दायित्व : 8784.77	सम्पत्तियाँ : 28198.87 नॉन चालू सम्पत्तियाँ: 3341.89 चालू सम्पत्तियाँ : 24856.98 विनियोग : शुन्य
4. कम्पनी का मूल्यांकन (राशि लाखों में) टर्न ओवर : 23235.40 लाभ हानि (कर एवं विगत वर्ष मद पूर्व) : लाभ : 1279.20 आय प्रति अंश (रु.) : 129.78	कुल खर्च : 21956.20 लाभ/हानि (कर पश्चात): लाभ : 986.28 लाभांश दर : 10 प्रतिशत
5. मुख्य उत्पाद/कम्पनी की सेवाओं के तीन जैनरिक नाम (आर्थिक दशानुसार):- आइटम कोड न. 120900 (आई.टी.सी. कोड) उत्पादन विवरण : बीज उगाने के लिए (नोट 1 से 23 तक हस्ताक्षरित)	

ह./-

राकेश मामनानी
कम्पनी सचिव
M.No. F8834

ह./-

मन मोहन मीणा
वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त)

ह./-

के.सी. मीणा
महाप्रबन्धक

ह./-

सुवा लाल यादव
निदेशक
DIN 09029096

ह./-

चर्मेश शर्मा
निदेशक
DIN 10146109

ह./-

जसवंत सिंह
प्रबन्ध निदेशक
DIN 08383856

इसी तिथि को हमारे संलग्न पृथक प्रतिवेदन के अध्यक्षीन कृते: गोपाल शर्मा एण्ड कम्पनी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
FRN No. 002803C

स्थान :-जयपुर

दिनांक :- 01.12.2023

UDIN : 23437669BGWUA2438

(प्रीतम शर्मा)

भागीदार

M No. 437669



GOPAL SHARMA & CO.
Chartered Accountants



INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,
The Members of Rajasthan State Seeds Corporation Limited,
Report on the audit of the financial statements

Qualified Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Rajasthan State Seeds Corporation Limited (“the Company”), which comprise the balance sheet as at March 31, 2023, and the Statement of Profit and Loss and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the basis of qualified opinion paragraph, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ('Act') in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2023, its profit and cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

We draw attention to the following matters described herewith:

1. Refer para no. 5 (a) of Note no. B of “ Significant Accounting Policies & Notes to Accounts” regarding Valuation of inventories, the Certified and Foundation seeds are valued at prime cost or market price whichever is lower by considering their status report (Fit/Unfit) as on 30th April of next financial year, However in financial year 2022-23 the company has considered the status report (Fit/Unfit) of the seeds as on 30th October 2023 for the purpose of valuation of inventory, which is not in line with the company's Accounting policy. Resultant, the valuation of inventories under current assets are understated by Rs. 182.05 lakhs and the profit for the year (Reserves and Surplus) is also understated by Rs. 182.05 lakhs.
2. With reference to Note no. 7 and 11, it was observed that sundry debtors having credit balance of Rs. 120.80 Lakhs (out of total sundry debtors having credit balance of Rs. 832.58 Lakhs) were not reconciled and adjusted against the subsidy receivable under the head trade receivables. As a result of which, the other current liabilities and trade receivable in note no. 7 and 11 respectively, are overstated by Rs 120.80 Lakhs each.

We conducted our audit in accordance with the standards on auditing specified under section 143 (10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the auditor's responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We are independent of the Company

G-2, Plot No. – L-2-A, Golden Palace, Krishna Marg, C-scheme,
Jaipur-302001, Rajasthan



GOPAL SHARMA & CO.
Chartered Accountants



in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to following matters related with the financial statements:

1. Refer to Note No. 3 of Balance Sheet in respect of Other Long-term liabilities including revolving fund for drought prone area for Rs. 2.60 crore, the company has not maintained separate account for their utilization. Therefore, we are unable to comment on the utilization of the same as necessary documents were not available with the company.
2. The company has stated in Para No. 14 of Note No.-A of "Significant Accounting Policies & Notes on Accounts" that the management has reviewed as on balance sheet date about impairment of assets as per Accounting Standard – 28. However, in the absence of procedure and valuation adopted for impairment of Property, plant & equipment by the company, we are unable to comment whether any impairment loss has remained un-assessed or un-provided for in accordance with Accounting Standard - 28 "Impairment of Assets".
3. Refer para no. 38 of Note No. - C of "Significant Accounting Policies & Notes on Accounts" regarding Corporate Social Responsibility, the company has made the provision for CSR of Rs.31,82,648 /-as per section 135(5) of Companies Act, 2013 and spent Rs. 1,92,799/- in respect of CSR activities. The company has as on 31.03.2023, total unspent amount of Rs. 44,70,002/- (Including unspent amount of Rs. 14,80,553/- of previous years) which should have been transferred to notified fund specified in Schedule VII of the Companies Act, 2013 as per section 135(6) of the Act. However, the company has not transferred the unspent amount to the notified fund within the prescribed time limit, which is non-compliance of the CSR provisions as per Companies Act, 2013.
4. Refer para no. 40 of Note No. - C of "Significant Accounting Policies & Notes on Accounts" in respect of Sundry Debtors, Creditors, Loans & Advances, Security Deposits, Current Liabilities, Outstanding Liabilities, Deposit with Agriculture Department and Revolving fund with seed banks are subject to confirmations and necessary adjustments upon reconciliation. The company has not complied with the requirements of SA 505 (Revised) – "External Confirmations", in absence of the same; we are unable to comment about the impact thereof on the financial statements.
Our Opinion is not modified in respect of these matters.

G-2, Plot No. – L-2-A, Golden Palace, Krishna Marg, C-scheme,
Jaipur-302001, Rajasthan



GOPAL SHARMA & CO.
Chartered Accountants



Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. There were no Key audit matters observed during the period.

Other Matter

1. The company is still practicing the policy of inter-unit transfer of seeds with approval of respective plant manager / HO and transferring the inventory from one unit to another only on quantity basis without taking into effect the monetary value. Thus, the individual profitability of the units could not be determined.
2. The company has strict directives for cash sales only to the private dealers and credit sales can be made only to the government agencies/customers. It is observed that credit sale has been made to private parties too during the year. However, the company has made recovery of interest on credit sales from the private dealers.

Our Opinion is not modified in respect of these other matters.

Information other than the financial statements and auditors' report thereon

The Company's board of directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including

Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report but does not include the financial statements and our Auditors report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.



GOPAL SHARMA & CO.
Chartered Accountants



Management's responsibility for the financial statements

The Company's board of directors are responsible for the matters stated in section 134 (5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards specified under section 133 of the Act.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The board of directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are

considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

G-2, Plot No. – L-2-A, Golden Palace, Krishna Marg, C-scheme,
Jaipur-302001, Rajasthan

**GOPAL SHARMA & CO.**
Chartered Accountants

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the annual financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on other legal and regulatory requirements

1. As required by the 'Companies (Auditors Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in Annexure "A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
2. Based on Information and explanations given to us and verification of Records of the Company, our report on

G-2, Plot No. – L-2-A, Golden Palace, Krishna Marg, C-scheme,
Jaipur-302001, Rajasthan



GOPAL SHARMA & CO.
Chartered Accountants



Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of Sec 143(5) of the Companies Act, 2013 is given in Annexure "B".

3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:


- (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
- (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;
- (c) The balance sheet, the statement of profit and loss, and the cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;
- (d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the accounting standards specified under section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;
- (e) Being Government Company pursuant to notification no. GSR 463 (E) dated 05/06/2015 issued by Ministry of Corporate Affairs; the provisions of section 164(2) of the Act are not applicable to the Company.
- (f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in Annexure "C". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting;
- (g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197 (16) of the Act, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the remuneration paid by the Company to its directors during the year is in accordance with the provisions of section 197 of the Act; and
- (h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us;
 - a. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Financial Statements – Refer para no. 16 of Note No.-C of "Significant Accounting Policies & Notes to Accounts"
 - b. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses; and

G-2, Plot No. – L-2-A, Golden Palace, Krishna Marg, C-scheme,
Jaipur-302001, Rajasthan

**GOPAL SHARMA & CO.**
Chartered Accountants

- c. The Company has not transferred Rs.1,20,046/- to the Investor Education and Protection Fund during the year being unpaid dividend amount for the FY 2014-15. Further, the corresponding shares have also not been transferred.
- d. The Board of Directors of the Company have proposed final dividend for the year which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The amount of dividend proposed is in accordance with section 123 of the Act as applicable.
- e. As proviso to rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is mandatory only w.e.f. April 1, 2023, for the Company, reporting under this clause is not applicable.

For Gopal Sharma & Co,
Chartered Accountants
FRN 002803C



CA Preetam Sharma
Partner
Membership No. 437669
UDIN – 23437669BGWUA2438
Place: Jaipur
Date: 01.12.2023

G-2, Plot No. – L-2-A, Golden Palace, Krishna Marg, C-scheme,
Jaipur-302001, Rajasthan



GOPAL SHARMA & CO.
Chartered Accountants



ANNEXURE (A) TO THE AUDITORS' REPORT

(Referred to in paragraph 1 of our report of even date under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" to the members of Rajasthan State Seeds Corporation Limited on the financial statements as of and for the year ended March 31, 2023)

Based on our audit procedures performed for the purpose of reporting the true and fair view of the financial statements of the Company and taking into consideration the information and explanations given to us and the books of account and other records examined by us in the normal course of audit and to the best of our knowledge and belief, we report that:

(i) **In respect of Asset**

- (a)
- (A) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment.
- (B) The Company has maintained proper records showing full particulars of Intangible Assets.
- (b) The Property, Plant and Equipment of the company have been physically verified by the management at reasonable intervals during the year and no material discrepancies were noticed on such verification.

Relevant Line Item in the Balance Sheet	Description of item of Property	Gross Carrying Value	Title deeds held in the name of	whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter/director or employee of promoter/director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of the company
PPE	Land & Building - Administrative Building	Rs. 53.54 Lakhs	State Govt. - Agriculture Dept.	Agency of the Promoter - State Govt.	F.Y.1989 -90	The matter of receipt of title deeds from the State Govt. in favour of the Company is still pending.

- (c) According to the information and explanation given to us, the title deeds of the immovable properties (other than properties where the company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee) are held in the name of the company except the administrative building as reported in note para no. (21 A) of Note No.-C of "Significant Accounting Policies & Notes to Accounts".

G-2, Plot No. – L-2-A, Golden Palace, Krishna Marg, C-scheme,
Jaipur-302001, Rajasthan



GOPAL SHARMA & CO.
Chartered Accountants



- (d) The Company has not revalued its Property, Plant and Equipment (including Right of Use assets) or intangible assets or both during the year.
- (e) According to the information and explanation given to us, no proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder during the year.
- (ii) In respect of Inventory**
- (a) The management has conducted physical verification of inventory at reasonable intervals during the year, on the basis of representation made to us, the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate. As informed to us, any discrepancies of 10% or more in the aggregate for each class of inventory were not noticed on such verification.
- (b) The company has been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets, the quarterly returns or statements were filed by the company with banks or financial institutions and are in agreement with the books of account of the Company.
- (iii)** The Company has during the year, not made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties. Accordingly, the provisions of clauses 3(iii) of the Order are not applicable.
- (iv)** The company has not granted any loan, made investment, given guarantees as explained to us. Further, the provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 have been complied by the company.
- (v)** The Company has not accepted any deposits or amounts which are deemed to be deposits under the directives of the Reserve Bank of India and the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the rules framed thereunder, where applicable. Accordingly, the provisions of clause 3(v) of the Order are not applicable.
- (vi)** To the best of our knowledge and belief, the Central Government has not specified maintenance of cost records under sub-section (1) of Section 148 of the Act, in respect of Company's products/ services. Accordingly, the provisions of clause 3(vi) of the Order are not applicable.
- (vii)** (a) The Company is regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues, as applicable, with the appropriate authorities. Further, the undisputed amounts payable in respect thereof were outstanding at the year-end for a period of more than six months from the date they became payable, as below :

Name of the statute	Nature of dues	Amount (₹ in Lakhs)	Period to which the amount relates
INCOME TAX	Income Tax Demand	0.80	AY-2020
INCOME TAX	Income Tax Demand	0.24	AY-2018

G-2, Plot No. – L-2-A, Golden Palace, Krishna Marg, C-scheme,
Jaipur-302001, Rajasthan



GOPAL SHARMA & CO.
Chartered Accountants



- (b) The dues outstanding in respect of Goods and Services Tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues on account of any dispute is NIL.
- (viii)** According to the information and explanation given to us, company has not surrendered or disclosed any transaction, previously unrecorded in the books of account, in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 as income during the year. Accordingly, the requirement to report on clause 3(viii) of the Order is not applicable to the Company.
- (ix)** The Company has no borrowing, including debt securities during the year; Accordingly, the requirement to report on clause 3(ix) of the Order is not applicable to the Company.
- (x)**
- (a) The Company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year;
- (b) According to the information and explanation given to us, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally convertible) during the year. Accordingly, the requirement to report on clause 3(x) of the Order is not applicable to the Company.
- (xi)**
- (a) According to the information and explanation given to us, any fraud by the company or any fraud on the company has not been noticed or reported during the year;
- (b) According to the information and explanation given to us, no report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed by the auditors in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government;
- (c) According to the information and explanation given to us, no whistle-blower complaints, received during the year by the company;
- (xii)** Company is not a Nidhi company, accordingly provisions of the Clause 3(xii) of the Order is not applicable to the company.
- (xiii)** According to the information and explanations given to us, we are of the opinion that all transactions with related parties are in compliance with Section 177 and 188 of Companies Act, 2013 where applicable and the details have been disclosed in the Financial Statements etc., as required by the Accounting Standards and the Companies Act, 2013.
- (xiv)**
- (a) According to the information and explanations given to us, the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business;
- (b) The internal audit reports of the Company issued till the date of the audit report, for the period under audit have been considered by us.
- (xv)** According to the information and explanations given to us, we are of the opinion that the company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him and accordingly, the provisions of clause 3(xv) of the Order is not applicable.




GOPAL SHARMA & CO.
Chartered Accountants



- (xvi) The provisions of section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) are not applicable to the Company. Accordingly, the requirement to report on clause 3(xvi) of the Order is not applicable to the Company.
- (xvii) According to the information and explanations given to us and based on the audit procedures conducted we are of opinion that the company has not incurred any cash losses in the financial year and the immediately preceding financial year;
- (xviii) There has been no resignation of the statutory auditors during the year and accordingly, the provisions of clause 3(xviii) of the Order is not applicable;
- (xix) On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that company is incapable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the company as and when they fall due.
- (xx) The company has not transferred unspent amount to a Fund specified in Schedule VII to the Companies Act within a period of six months of the expiry of the financial year in compliance with second proviso to sub-section (5) of section 135 of the said Act. Refer point no. 3 of Emphasis of Matter of our Independent Auditor's Report of even date.
- (xxi) The reporting under clause (xxi) is not applicable in respect of audit of standalone financial statements of the Company. Accordingly, no comment has been included in respect of said clause under this report.

For Gopal Sharma & Co,
Chartered Accountants
FRN 002803C

CA. PREETAM SHARMA

Partner

Membership No. 437669

UDIN – 23437669BGWUA2438

Place: Jaipur

Date: 01.12.2023

G-2, Plot No. – L-2-A, Golden Palace, Krishna Marg, C-scheme,
Jaipur-302001, Rajasthan



GOPAL SHARMA & CO.
Chartered Accountants



Annexure “B” to the Independent Auditors' Report

(Referred to in paragraph 2 under 'Report on other legal and regulatory requirements' section of our report to the Members of Rajasthan State Seeds Corporation Limited of even date)

As required by section 143(5) of the Companies Act 2013, we give a statement on compliance to the Directions issued by the Comptroller & Auditor General of India as under:


1. According to the information and explanations given to us and on overall examination the company is processing all accounting transactions through IT systems except Stock Records which are still being maintained manually.
2. According to the information and explanations given to us and on an overall examination there is no case of any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan.
3. According to the information and explanations given to us and on an overall examination the subsidies/grants have been utilized for the purpose for which it were received and accounted for in consonance with the operational guidelines / terms and conditions attached except as referred to in point no. 2 of Basis of Qualification and point no. 1 of Emphasis of Matters of our Independent Auditor's Report of even date.
4. According to the information and explanations given to us and on an overall examination the Financial Statements of the Company are prepared in the format prescribed in the schedule III to the Companies Act 2013 with adequate disclosures subject to the notes.
5. According to the information and explanations given to us and on an overall examination the Financial Statements of the Company comply with the accounting standards as prescribed under section 133 of the Companies Act 2013.
6. According to the information and explanations given to us and on an overall examination the Financial Statements of the Company have been prepared on accrual basis subject to Basis of Qualified Opinion, Emphasis of matters and others matters of our Independent Auditor's report.
7. According to the information and explanations given to us and on an overall examination the books of accounts together with the vouchers have been kept in good order.
8. According to the information and explanations given to us a statement of pending legal/arbitration cases as at the year-end is enclosed as part of the notes to the financial statement. However, age-wise

G-2, Plot No. – L-2-A, Golden Palace, Krishna Marg, C-scheme,
Jaipur-302001, Rajasthan

**GOPAL SHARMA & CO.**
Chartered Accountants

- analysis of pending legal/arbitration cases including reasons for pendency is not made available by the Company.
9. Apart from the qualifications, Emphasis of Matters and other matters reported in the auditor's report and CARO-2020 answered in negative or with a qualification, there are no other matters included in the auditor's report.
 10. According to the information and explanations given to us and on an overall examination the closing stock of old seeds have been valued as per their status report taking into account the deterioration in the quality.
 11. According to the information and explanations given to us, the Company's pricing policy for marketing of seeds was legitimate and rational for effective achievement of its objectives.
 12. According to the information and explanations given to us, the sale of seeds as grain by the company was on the basis of certification of State Testing Laboratories and with declaration from the buyer that it is not for human consumption.
 13. According to the information and explanations given to us and on an overall examination the Company is regularly monitoring receipts of subsidy from Government. It is further informed during discussions that the some outstanding subsidies from Government is due shortage of budget allocation in the previous years.
 14. According to the information and explanations given to us, Interest earned on parking of funds received for specific purpose from Government was accounted for properly.

For Gopal Sharma & Co,
Chartered Accountants
FRN 002803C



CA. PREETAM SHARMA
Partner
Membership No. 437669
UDIN – 23437669BGWUA2438
Place: Jaipur
Date: 01.12.2023

G-2, Plot No. – L-2-A, Golden Palace, Krishna Marg, C-scheme,
Jaipur-302001, Rajasthan



GOPAL SHARMA & CO.
Chartered Accountants



Annexure “C” to the Independent Auditors’ Report

(Referred to in paragraph 2 (f) under 'Report on other legal and regulatory requirements' section of our report to the Members of Rajasthan State Seeds Corporation Limited of even date)

Report on the internal financial controls over financial reporting under clause (i) of sub – section 3 of section 143 of the Companies Act, 2013 (“the Act”)

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Rajasthan State Seeds Corporation Limited (“the Company”) as at March 31, 2023, in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's responsibility for internal financial controls

The board of directors of the Company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the internal financial controls over financial reporting of the Company based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the standards on auditing prescribed under Section 143 (10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those standards and the guidance note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over

G-2, Plot No. – L-2-A, Golden Palace, Krishna Marg, C-scheme,
Jaipur-302001, Rajasthan



GOPAL SHARMA & CO.
Chartered Accountants



financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement in the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial control system over financial reporting.

Meaning of internal financial controls over financial reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

- (i) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;
- (ii) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and
- (iii) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.


Limitations of internal financial controls over financial reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management of override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

**GOPAL SHARMA & CO.**
Chartered Accountants**Opinion**

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial control system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For Gopal Sharma & Co,
Chartered Accountants
FRN 002803C



CA. PREETAM SHARMA
Partner
Membership No 437669

UDIN –23437669BGWUA2438
Place: Jaipur
Date: 01.12.2023

RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED**ANEXURE "A" TO DIRECTORS REPORT****REPLY TO AUDITOR'S REPORT 2022-23****Audit Report (Basis for Qualified opinion)**

1. This fact has been already mentioned in Note No.-23 significant accounting policies and Notes on Accounts at Point No. (43) B.
2. After reconciliation The credit balance of sundry debtors is to be adjusted in concerning parties.

(Emphasis of Matter)

1. Revolving fund of Rs. 2.60 Crore was made available to RSSC in the Year 1995 for the basic purpose of Seed Production Programme in DPAP area of the State. This amount has been shown in current liabilities at Note No.-3 and it is refundable to Government as and when demanded.
2. At present no impair able assets as on 31.03.2023 as per A.S. 28. In future if any assets exist impair able. We will follow norms as per A.S. 28.
3. The matter will be presented before the CSR Committee and necessary action will be taken accordingly.
4. These are continuous/running account we are trying for receiving conformation.

Other Matters

1. The company is following same practice since beginning. As per accounting policy & practices of the Corporation. Individual unit's Profit & Loss Accounts Statement is not prepared as a part of Annual Report / Financial Statement. Stock Transfers are therefore not recorded at monetary value. For internal reporting, individual profit & loss are/and /or may be calculated but the same is not part of accounts of the Corporation.
2. Goods sold on credit to Govt. Department only. Goods sold to Dealers on credit for which interest has been recovered from them and adjusted accordingly in books of account.

Annexure "A" to Independent Audit report.

(i) to (xxi) Statement of fact needs no comments.

Annexure "C" to Independent Audit report.

Statement of fact needs no comments.

Annexure-(B) to independent Audit report.

Point No. (1) to (14) Statement of fact needs no comments.

RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED

Regd. Office : 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath, Jaipur-302005

CIN NO. U75132RJ1978 SGC001781

www.rajseeds.org, email : csrajseeds@gmail.com, Tel.: 0141-2227665, 2227514

Balance Sheet As At 31st March 2023

Particulars		Note No.	Figures for the current reporting period ended 31.03.2023	Figures for the Previous reporting period ended 31.03.2022
			₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
A	EQUITY AND LIABILITIES			
1	Shareholders' Funds			
	(a) Share Capital	1	759.29	759.29
	(b) Reserves and Surplus	2	16,688.95	15,778.60
	(c) Money Received Against Share Warrants		-	-
			17,448.24	16,537.89
2	Share Application Money Pending Allotment		-	-
3	Non-Current Liabilities			
	(a) Long-Term Borrowings		-	-
	(b) Deferred Tax Liabilities (Net)		-	-
	(c) Other Long-Term Liabilities	3	1,912.12	1,912.12
	(d) Long-Term Provisions	4	53.74	89.86
			1,965.86	2,001.98
4	Current Liabilities			
	(a) Short-Term Borrowings	5	-	-
	(b) Trade Payables	6	2,109.11	1,209.35
	(c) Other Current Liabilities	7	6,223.02	6,170.42
	(d) Short-Term Provisions	8	452.64	816.74
			8,784.77	8,196.51
	TOTAL		28,198.87	26,736.38
B	ASSETS			
1	Non-Current Assets			
	(a) Property Plants & Equipments and Intangible Assets			
	Property Plants & Equipments	9A	2,983.33	3,170.00
	Capital Work-In-Progress	9A	76.96	-
	(b) Non-Current Investments		-	-
	(c) Deferred Tax Assets (Net)	21	261.73	259.76
	(d) Other Non-Current Assets	22	19.87	20.27
			3,341.89	3,450.03
2	Current Assets			
	(a) Current Investments		-	-
	(b) Inventories	10	6,415.44	4,751.51
	(c) Trade Receivables	11	4,943.14	3,642.64
	(d) Cash and Cash Equivalents	12	5,126.79	5,459.94
	(e) Short-Term Loans and Advances	13	8,286.09	9,341.42
	(f) Other Current Assets	14	85.52	90.84
			24,856.98	23,286.35
	TOTAL		28,198.87	26,736.38
	See accompanying notes forming part of the Financial Statements	23		

sd/-
Rakesh Mamnani
Company Secretary
M.No. F8834

sd/-
Man Mohan Meena
Sr. Manager (Fin.)

sd/-
K.C. Meena
General Manager

sd/-
Suwa Lal Yadav
Director
DIN No.09029096

sd/-
Charmesh Sharma
Director
DIN No. 10146109

sd/-
Jaswant Singh
Managing Director
DIN No. 08383856

As per our separate report of even date annexed hereto,
For **Gopal Sharma & Co.**
Chartered Accountants
FRN No. 002803C

Place : Jaipur
Date : 01-12-2023
UDIN - 23437669BGWUA

(Preetam Sharma)
Partner
M.No.437669

RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED

Regd. Office : 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath, Jaipur-302005

CIN NO. U75132RJ1978 SGC001781

www.rajseeds.org, email : csrajseeds@gmail.com, Tel.: 0141-2227665, 2227514

Statement of Profit And Loss for the year ended 31st March, 2023

	Particulars	Note No.	Figures for the current reporting period ended 31.03.2023	Figures for the Previous reporting period ended 31.03.2022
			₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
A 1.	Revenue From Operations (Net)	15	22,902.39	27,527.61
2	Other Income	16	333.01	316.83
3	TOTAL INCOME (1+2)		23,235.40	27,844.44
4	Expenses			
	(a) Cost of Material Consumed		-	-
	(b) Purchase of Stock-in-Trade	17A	16,831.28	17,455.03
	(c) Changes in Inventories of FG, WIP and Stock-in-Trade	17B	-168.18	2,514.13
	(d) Employee Benefits Expenses	18	1,582.30	1,715.22
	(e) Finance Cost	19	92.18	317.58
	(f) Depreciation and Amortisation Expenses	9B	227.84	256.73
	(g) Other Expenses	20	3,390.78	3,142.94
	TOTAL EXPENSES		21,956.20	25,401.63
5	Earnings Before Exceptional & Extraordinary Items, Tax (EBIT) (3 - 4)		1,279.20	2,442.81
6	Exceptional Items		-	-
7	Profit / (Loss) Before Extraordinary Items and Tax (5 - 6)		1,279.20	2,442.81
8	Extraordinary items		-	-
9	Profit before Prior Period Items and Tax (7 - 8)		1,279.20	2,442.81
10	Prior Period Income/(Expense)	19 (iii)	37.11	53.05
11	Profit / (Loss) before Tax (9 - 10)		1,316.31	2,495.86
12	Tax Expense:			
	(a) Current Year Tax		332.00	726.00
	(b) Previous Year Tax		-	-
	(c) Deferred tax	21	-1.97	-8.87
13	Profit / (Loss) from continuing operations (11 - 12)		986.28	1,778.73
B.14	DISCONTINUING OPERATIONS			
(i)	Profit / (Loss) from Discontinuing Operations (Before Tax)		-	-
(ii)	Gain / (Loss) on Disposal of Assets / Settlement of Liabilities Attributable to the Discontinuing Operations		-	-
(iii)	Add / (Less): Tax Expense of Discontinuing Operations		-	-
	(a) On Ordinary Activities Attributable to the Discontinuing Operations		-	-
	(b) On gain / (loss) on Disposal of Assets / Settlement of Liabilities		-	-
15	Profit / (Loss) from Discontinuing Operations (14(i) ± 14(ii) ± 14(iii))		-	-
	TOTAL OPERATIONS		-	-
16	Profit / (Loss) for the Year (13 - 15)		986.28	1,778.73
C.	Earnings per share (of 129.78 each):			
	(a) Basic			
	Continuing operations		129.78	234.05
	Total operations		129.78	234.05
	(b) Diluted			
	Continuing operations		129.78	234.05
	Total operations		129.78	234.05
17	Earnings per share (excluding extraordinary items) (of 129.78 each):			
	(a) Basic			
	Continuing operations		129.78	234.05
	Total operations		129.78	234.05
	(b) Diluted			
	Continuing operations		129.78	234.05
	Total operations		129.78	234.05
	Significant Accounting Policies & Notes on Accounts	23		
	See accompanying notes forming part of the Financial Statements			

sd/-
Rakesh Mamnani
Company Secretary
M.No. F8834

sd/-
Man Mohan Meena
Sr. Manager (Fin.)

sd/-
K.C. Meena
General Manager

sd/-
Suwa Lal Yadav
Director
DIN No.09029096

sd/-
Charmesh Sharma
Director
DIN No. 10146109

sd/-
Jaswant Singh
Managing Director
DIN No. 08383856

As per our separate report of even date annexed hereto,
For **Gopal Sharma & Co.**
Chartered Accountants
FRN No. 002803C

Place : Jaipur
Date : 01-12-2023
UDIN - 23437669BGWUA

(Preetam Sharma)
Partner
M.No.437669

RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED

Regd. Office : 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath, Jaipur-302005

CIN NO. U75132RJ1978 SGC001781

www.rajseeds.org, email : csrajseeds@gmail.com, Tel.: 0141-2227665, 2227514

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

Particulars	Figures as at	Figures as at
	March 31, 2023	March 31, 2022
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Profit before Tax for the year	1,316.31	2,495.86
Adjustments for :		
Depreciation	227.84	256.73
Excess Income Tax Provisions/Demand related to previous year	-	3.24
Depreciation/Amortization adjustments related to previous year	-	-
Interest income	-27.59	-25.00
Interest & Finance Charges	92.18	317.58
Bad debts written off	86.24	68.91
Income relating to earlier years		
Operating Profit before working capital changes	1,694.99	3,117.32
(Increase)/ Decrease in Sundry Debtors	-1,395.11	-1,128.89
(Increase)/ Decrease in Inventories	-1,663.94	2,327.67
(Increase)/ Decrease in Loans & Advances	1,068.99	2,232.91
Increase/(Decrease) in Trade and Other Payables & Provisions	981.03	-2,316.11
Cash Generated from Operations	685.96	4,232.90
Taxes Paid	726.00	305.00
NET CASH USED IN OPERATING ACTIVITIES (A)	-40.04	3,927.90
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Purchase of Fixed Assets	-118.13	-17.50
Increase/ (Decrease) in Non Current Assets	0.39	-
Increase/ (Decrease) in Non Current liabilities	-36.12	48.30
Interest Received	27.59	25.00
NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	-126.26	55.80
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Proceeds from Share Capital	-	0.00
Dividend paid	-74.71	-75.65
Interest paid	-92.18	-317.58
NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES (C)	-166.89	-393.23
Net Increase/(Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)	-333.18	3,590.47
Cash and Cash equivalents being Cash and Bank balances as at the beginning of the year	5,459.94	1,869.47
Cash and Cash equivalents being Cash and Bank balances as at the end of the year	5,126.79	5,459.94

Note- Cash and Cash equivalents Includes Rs. 9.06 Lakhs- (previous year Rs. 7.84 Lakhs) on account of unclaimed dividend, and Rs. 0.99 Lakhs (Previous year Rs. 0.99 Lakhs) on account of collection a/c which are not available for use by the company.

sd/-
Rakesh Mannani
Company Secretary
M.No. F8834

sd/-
Man Mohan Meena
Sr. Manager (Fin.)

sd/-
K.C. Meena
General Manager

sd/-
Suwa Lal Yadav
Director
DIN No.09029096

sd/-
Charmesh Sharma
Director
DIN No. 10146109

sd/-
Jaswant Singh
Managing Director
DIN No. 08383856

As per our separate report of even date annexed hereto,
For **Gopal Sharma & Co.**
Chartered Accountants
FRN No. 002803C

Place : Jaipur
Date : 01-12-2023
UDIN - 23437669BGWUA

(Preetam Sharma)
Partner
M.No.437669

Note 1 Share capital

		₹ in Lakhs			
	PARTICULARS	OPENING BALANCE	ADDITIONS	DEDUCTIONS	CLOSING BALANCE
	AUTHORISED SHARE CAPITAL				
	3900000 EQUITY SHARES OF RS.100 EACH.	3900.00	0	0	3900.00
	100000 PREFERENCE SHARES OF RS.100 EACH.	100.00	0	0	100.00
	ISSUED SHARE CAPITAL				
	849543 EQUITY SHARES OF RS.100 EACH.	849.54	0	0	849.54
	SUBSCRIBED AND FULLY PAID-UP CAPITAL				
	759976 EQUITY SHARES OF RS.100 EACH.	759.98	0	0	759.98
Less:	CALLS UNPAID*	0.69	0	0	0.69
Less:	FORFEITED SHARES	-	-	-	-
	TOTAL	759.29	-	-	759.29

* Calls Unpaid on 875 (Previous Year 875) Equity Shares.

(I) RECONCILIATION OF SHARES

TYPE OF SHARES	As on 31 March 2023		As on 31 March 2022	
	NO. OF SHARES (Figures in Lakhs)	₹ in Lakhs	NO. OF SHARES (Figures in Lakhs)	₹ in Lakhs
Equity shares				
Shares outstanding at the beginning of the year	7.60	759.98	7.60	759.98
Shares issued during the year	-	-	-	-
Shares outstanding at the end of the year	7.60	759.98	7.60	759.98
Preference Shares				
Shares outstanding at the beginning of the year	-	-	-	-
Shares redeemed during the year	-	-	-	-
Shares outstanding at the end of the year	-	-	-	-

(II) LISTS OF SHAREHOLDER'S HOLDING MORE THAN 5% OF SHARES

The name of the shareholder's holding more than 5% shares as on the balance sheet date is given below:

Sr No.	Name of the shareholder	No. of shares held	% Of shares held
1	GOVERNMENT OF RAJASTHAN STATE	6.33	83.37%
2	NATIONAL SEEDS CORPORATION NEW DELHI	1.14	15.00%
	Total	7.47	98.37%

(III) LISTS OF SHARES HELD BY PROMOTERS

Sr No.	Name of the Promoter	No. of shares held	% Of shares held	% of Change During the Year
1	GOVERNMENT OF RAJASTHAN STATE	6.33	83.37%	-
2	NATIONAL SEEDS CORPORATION NEW DELHI	1.14	15.00%	-
	Total	7.47	98.37%	-

(IV) RIGHT AND RESTRICTION ON EQUITY SHARES

Right and restriction on Equity Shares The Company has only one class of Equity Shares having a face value of '100/- per share which are issued and subscribed. Each shareholder is eligible for one vote per share held. The dividend proposed by the Board of Directors is subject to the approval of the share holders in the ensuing Annual General Meeting, except in case of interim dividend. In the event of the winding up of the Company, the holder of equity shares will be entitled to receive the remaining assets of the Company in proportion to the number of equity shares held by the shareholders and the amount paid up thereon.

Note 2 Reserves and Surplus

Particulars	Figures as at March 31, 2023	Figures as at March 31, 2022
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Capital Reserve		
Opening Balance	0.45	0.45
Add: Additions During the Year	-	-
Less: Utilised / Transferred During The Year	-	-
Closing Balance	0.45	0.45
(b) General Reserve		
Opening Balance	0.17	0.17
Add: Transferred from Surplus in Statement of Profit and Loss	-	-
Less: Utilised / Transferred During the Year for:	-	-
Issuing Bonus Shares	-	-
Others	-	-
Closing Balance	0.17	0.17
(k) Surplus / (Deficit) in Statement of Profit and Loss		
Opening Balance	15,777.98	14,071.94
Add: Profit / (Loss) for the Year	986.28	1,778.73
Less: Income Tax Demand For Earlier Years	-	-
Add: Income Tax Refund/ Excess Provision Return Back For Earlier Years	-	3.24
Less : Dividends Proposed to be Distributed to Equity Shareholders	75.93	75.93
Tax on Dividend	-	-
Closing Balance	16,688.33	15,777.98
Total	16,688.95	15,778.60

Note 3 Other Long-Term Liabilities

Particulars	Figures as at March 31, 2023	Figures as at March 31, 2022
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(i) Deposit of Agriculture Department	18.14	18.14
(ii) Revolving Fund For Drought Prone Area	260.00	260.00
(iii) Revolving Fund for Seed Bank	8.62	8.62
(iv) Sundry Creditors for Goods (Under Litigation)	1,613.85	1,613.85
(v) Interest Payable Against AG para	10.97	10.97
(vi) Sundry Creditors for others	0.54	0.54
Total	1,912.12	1,912.12

Note 4 Long-Term Provisions

Particulars	Figures as at March 31, 2023	Figures as at March 31, 2022
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Provision for Employee Benefits:		
(i) Provision for Group Gratuity Scheme	22.92	48.33
(ii) Provision for Leave Encashment	30.82	41.53
Total	53.74	89.86

Note 5 Short-Term Borrowings

Particulars	Figures as at March 31, 2023	Figures as at March 31, 2022
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Cash Credit (Secured by Way of Hypothecation of all Movable Property of Every Description Including all Money, Deposit Receipt for Money etc. (On Demand))	-	-
Total	-	-

Note 6 Trade Payables

Particulars	Figures as at March 31, 2023	Figures as at March 31, 2022
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Trade Payables:		
(i) Sundry Creditors for Goods	2,109.11	1,209.35
Total	2,109.11	1,209.35

Refer Ageing at Note No. (40)C

Note 7 Other Current Liabilities

Particulars	Figures as at March 31, 2023	Figures as at March 31, 2022
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(i) Unpaid Dividends	9.06	7.84
(ii) Other Payables		
(i) Sundry Creditors For Expenses	925.33	995.73
(ii) Sundry Creditors for Others	770.14	866.36
(iii) Sundry Creditors for Capital Goods	21.49	21.42
(iv) Outstanding Liabilities	534.42	438.28
(v) Subsidy Advance	249.67	249.67
(vi) Subsidy Refundable to Govt.	1,065.34	1,064.34
(vii) Subsidy under Central Sector Scheme	-	-
(vii) Advances from Customers Against Seed & Others	14.79	14.98
(viii) Seed Growers having Credit Balances	330.66	281.68
(ix) Sundry Debtors having Credit Balance	832.58	807.56
(x) Security Deposits Dealers, Suppliers, Contractors & Wholesellers	767.34	719.60
(xi) Provision for EMD & Security Deposit	0.34	0.34
(xii) Infrastructure Development Subsidy (GOI)	694.25	694.25
(xiv) Advances to Employees Unsecured, Considered Good	7.61	8.37
Total	6,223.02	6,170.42

Note 8 Short-Term Provisions

Particulars	Figures as at March 31, 2023	Figures as at March 31, 2022
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Provision :		
(i) Provision for Income Tax	332.00	726.00
(ii) Provision for Proposed Equity Dividend & Tax	75.93	75.93
(iii) Provision for CSR	44.70	14.81
Total	452.64	816.74

PROPERTY PLANTS AND EQUIPMENTS

Note 9 A

in Lakhs

Particulars	GROSS BLOCK			DEPRECIATION / AMORTIZATION				NET BLOCK			
	As at April 1, 2022	Addition during the year	Ded/Adj during the year	As at March 31, 2023	Upto March 31, 2022	For the year	Ded/Adj during the year	Effect on Dep. as per Co. Act, 2013	Upto March 31, 2023	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
PROPERTY PLANTS & EQUIPMENTS											
FREEHOLD LAND	28.42	-	-	28.42	-	-	-	-	-	28.42	28.42
LEASEHOLD	245.16	-	-	245.16	-	-	-	-	-	245.16	245.16
PROCESSING BUILDINGS	1,485.70	-	-	1,485.70	684.96	74.49	-	-	759.45	726.25	800.74
PLANT AND EQUIPMENTS	1,395.39	5.01	-	1,400.40	1,099.45	44.58	-	-	1,144.03	256.37	295.94
FURNITURE & FIXTURES	147.82	21.16	-	168.98	128.64	5.49	-	-	134.13	34.85	19.18
OTHER VEHICLES	7.93	-	-	7.93	7.54	-	-	-	7.54	0.39	0.39
OFFICE EQUIPMENT	50.14	1.56	-	51.71	46.44	0.79	-	-	47.23	4.48	3.70
GODOWN	2,031.26	-	-	2,031.26	775.68	61.07	-	-	836.75	1,194.51	1,255.58
STAFF QUARTER	82.33	-	-	82.33	55.69	1.29	-	-	56.98	25.35	26.64
STEEL CRATES	1,072.17	-	-	1,072.17	943.13	18.89	-	-	962.02	110.15	129.05
COMPUTER	59.30	13.44	-	72.73	55.13	2.95	-	-	58.08	14.65	4.17
MOTOR CAR	76.35	-	-	76.35	69.95	1.06	-	-	71.01	5.34	6.40
OFFICE BUILDING	537.73	-	-	537.72	193.40	16.75	-	-	210.15	327.57	344.32
ADMINISTRATIVE BUILDING	53.54	-	-	53.54	43.23	0.49	-	-	43.72	9.82	10.31
WELL AT FARM	2.26	-	-	2.26	2.26	-	-	-	2.26	0.00	0.00
TOTAL :	7,275.50	41.17	-	7,316.67	4,105.50	227.84	-	-	4,333.34	2,983.33	3,170.00
CWIP	-	76.96	-	-	76.96	-	-	-	-	76.96	-
PREVIOUS YEAR TOTAL	7,122.17	153.33	-	7,275.50	3,848.77	256.73	-	-	4,105.50	3,170.00	3,273.39

Note (i)

The difference in Written Down Value of Fixed Assets held by the company arising due to estimation of depreciation charged as per Schedule II of Companies Act, 2013 and that already charged to Profit & Loss Account of preceding financial years as per Schedule XIV of Companies Act, 1956 has given effect in previous FY 2015-16. The difference arising consequent to such adjustment was charged off to General Reserves.

Note (ii)

Depreciation calculated on the opening value of block is on the basis of remaining life of asset and addition in value of asset is treated as new assets and life of such is taken as life of fresh asset and depreciation calculated on the basis of days of put in use.

Note (iii)

Depreciation on assets having value less than 5000 is charged @ 100%

Note 9B Property Plants & Equipments (contd.)

Particulars		Figures As At 31.03.2023 in Lakhs	Figures As At 31.03.2022 in Lakhs
C.	Depreciation and amortisation relating to continuing operations:		
	Particulars		
	Depreciation and amortisation for the year on tangible assets as per Note 9 A	227.84	256.73
	Depreciation and amortisation relating to continuing operations	227.84	256.73

Note 10 Inventories

Particulars	Figures as at March 31, 2023	Figures as at March 31, 2022
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Certified Seed	2,601.91	3,092.21
(b) Foundation & Breeder Seed	426.30	566.54
(c) Undersize & Rejected Seed	1,021.40	217.71
(d) Raw Seed and Graded Seed	23.62	28.59
(e) Cotton Lint		
(f) Processing, Chemical & Packing Material	2,342.21	846.46
(g) Stock in Transit		
Total	6,415.44	4,751.51

Note 11 Trade Receivables

Particulars	Figures as at March 31, 2023	Figures as at March 31, 2022
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Trade Receivables Outstanding for a Period Exceeding Six Months from the Date of Due for Payment		
Secured, Considered Good		
Unsecured, Considered Good		
Less than 6 Months	2,668.54	2,333.72
More than 6 Months	1,232.36	587.64
Doubtful/ More than 12 Months	2,235.75	1,820.18
	6,136.65	4,741.54
Less: Provision for Doubtful Trade Receivables	1,193.51	1,098.90
Total	4,943.14	3,642.64

Refer Ageing at Note No. (40)D**Note 12 Cash and Cash Equivalents**

Particulars	Figures as at March 31, 2023	Figures as at March 31, 2022
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Cash on Hand	0.63	0.68
(b) Balances with Banks		
(i) In Current Accounts	1,055.89	877.07
(ii) In Cash Credit Limit Account	256.88	4,327.36
(iii) In Collection Account	0.99	0.99
(v) FDR	3,803.34	-
(c) In Earmarked Accounts		
- Unpaid Dividend Accounts	9.06	7.84
(d) Remittance in Transit	-	246.00
Total	5,126.79	5,459.94

(ii) Balances with banks-other earmarked accounts include Rs. 9.06 Lakhs (As at 31 March,2022 Rs. 7.84 Lakhs) Which have restriction on repatriation.

Note 13 Short-Term Loans and Advances

Particulars	Figures as at March 31, 2023	Figures as at March 31, 2022
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Advance to Seed Growers	4,072.90	3,197.52
Less: Provision for Advances	104.81	113.18
	3,968.09	3,084.34
(b) Prepaid Expenses - Unsecured, Considered Good	0.58	34.02
	0.58	34.02
(c) Balances with Government Authorities Unsecured, Considered Good		
(i) Subsidy Recoverable from Government	2,480.99	4,718.00
(ii) Advance Income Tax	327.76	317.07
(iii) T.D.S.	13.94	21.66
(iv) Deposit Under Litigation	8.60	4.97
(v) Subsidy under Central Sector Scheme	1,031.64	523.86
(vi) Income tax recoverable	151.12	213.92
	4,014.05	5,799.48
(d) Sundry Creditors having Debit Balances Unsecured, Considered Good	39.22	31.81
Less: Provision	6.47	6.47
	32.75	25.34
(e) Others Advances/ Recoverable Unsecured, Considered Good	270.62	398.24
Total	8,286.09	9,341.42

Note 14 Other Current Assets

Particulars	Figures as at March 31, 2023	Figures as at March 31, 2022
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Interest Accrued But not Recieved On FDR	5.88	-
(b) Accrued Farm Income/Other Income	79.64	90.84
Total	85.52	90.84

Note 15 Revenue from Operations

Particulars	Figures as at March 31, 2023	Figures as at March 31, 2022
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Sale of Products:		
(i) Certified Seeds	19,410.82	17,845.85
(ii) Foundation & Breeder Seed	1,467.58	1,619.77
(iii) Cotton Lint	-	-
(iv) Auction Sale	33.46	2,993.25
(v) Marketing Subsidy	1,342.71	2,791.46
(vi) NFSM Subsidy	647.82	2,277.28
Total	22,902.39	27,527.61

Note 16 Other Income

Particulars	Figures as at March 31, 2023	Figures as at March 31, 2022
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Interest Income (Refer Note (i) below)	27.59	25.00
(b) Other Non-Operating Income (Refer Note (ii) below)	305.42	291.83
Total	333.01	316.83

Note (i)

Particulars	Figures as at March 31, 2023	Figures as at March 31, 2022
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Interest Income Comprises:		
Interest from Banks on:		
Saving Bank Accounts	26.52	21.53
Interest on Staff Loan	-	-
Other Interest	1.07	3.47
Total - Interest Income	27.59	25.00

Note (ii)

Particulars	Figures as at March 31, 2023	Figures as at March 31, 2022
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Other Non-Operating Income Comprises:		
Income From Farms	226.85	226.85
Recovery From Penalty	14.20	14.39
Enrollment Fees	0.36	0.45
Other Receipts	9.68	20.80
Reimbursement of Maintenance Seed Bank Subsidy	48.63	17.85
Auction of Processing Material	5.70	11.49
Total Other Non-Operating Income	305.42	291.83

Note 17 A Purchase of Traded Goods

Particulars	Figures as at March 31, 2023	Figures as at March 31, 2022
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Certified Seed	18,007.72	17,614.69
Raw Seed	100.38	94.13
Foundation & Breeder Seed	1,604.54	1,987.86
Purchase Expenses	18.52	2.81
Less: Subsidy for Production	(2,899.88)	(2,244.46)
Total	16,831.28	17,455.03

Note 17 B Changes in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock-in-Trade

Particulars	Figures as at March 31, 2023	Figures as at March 31, 2022
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Inventories at the End of the Year:	4,073.22	3,905.04
Inventories at the Beginning of the Year:	3,905.04	6419.17
Net (Increase) / Decrease	(168.18)	2,514.13

Note 18 Employee Benefits Expense

Particulars	Figures as at March 31, 2023	Figures as at March 31, 2022
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Salary & Allowances	1,363.53	1,373.56
Pension Contribution	26.78	34.14
Medical Expenses	0.01	26.99
Contribution to MedicaI Relief Fund	14.07	2.15
Training & Recruitment	-	-
Liveries Expenses	0.53	0.92
LIC Goup Gratuity Plan	29.65	77.80
Employers Contribution to PF	104.95	112.94
Leave Encashment	16.60	60.78
EX Gratia to Staff	7.76	11.58
Staff Welfare	17.79	10.29
Incentive to Staff	0.21	1.39
NPS Contribution	-	1.15
Gift to Staff	0.42	1.03
CPF Contribution to Govt.	-	0.50
Total	1,582.30	1,715.22

Note 19 Finance Cost

Particulars	Figures as at March 31, 2023	Figures as at March 31, 2022
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(a) Interest Expense on:		
(i) Borrowings	92.18	317.58
Total	92.18	317.58

Notes: 19 (ii)

Particulars	Figures as at March 31, 2023	Figures as at March 31, 2022
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
(i) Payments to the Auditors Comprises (Net of GST Input Credit, wherever applicable):		
As Auditors - Statutory Audit	1.30	1.30
For Taxation Matters	0.65	0.65
Reimbursement of Expenses & GST	1.35	2.67
Total	3.30	4.62
(ii) Details of Prior Period Items (net)		
Prior Period Expenses		
(i) H&T	-	-
(ii) Advertisements	-	0.49
(iii) Consultancy	-	-
(iv) Testing Fees	-	-
(v) Payment to Labour Contract	0.06	0.60
(vi) Power & Water	-	0.23
(vii) Statutory Dues - EPF	-	0.10
(viii) Office Expenses	-	0.02
Total	0.06	1.44
Prior Period Income		
(i) Excess Provision Written Back	37.17	54.49
(ii) H & T	-	-
(iii) Depreciation	-	-
Total	37.17	54.49
Net	(37.11)	(53.05)

Note 20 Other expenses

Particulars	Figures as at March 31, 2023	Figures as at March 31, 2022
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Wages to Labour & Labour Contractor	545.93	601.26
Processing & Ginning	58.41	87.37
Consumption of Packing & Processing Materials	917.70	639.67
Running & Maintenance of Plant	47.65	71.73
Testing & Certification charges	201.57	242.08
Power and Water	77.74	92.41
Farm Expenses	5.13	5.99
Travelling Expenses (Including Director Exp & Sitting Fees)	48.32	30.25
Postage Telegram & Telephones	6.60	7.19
Advertisement	80.13	52.90
Insurance	67.91	49.70
Books & Periodicals	0.76	0.72
Rent, Rates and taxes	34.46	14.36
Entertainment	8.41	4.43
Payment to Auditors	3.30	4.62
Filling Fees	2.83	2.38
Printing and stationery	31.59	18.54
Light and Water	5.41	2.75
Repairs & Maintenance others	66.78	67.57
Repairs & Maintenance vehicles	78.80	65.90
A.G.M. & Other Meeting Expenses	11.57	9.63
Office Expenses	31.01	69.46
Contribution to State Renewal fund	15.19	15.19
Security Guard Expenses	244.10	209.03
Internal Audit fees	3.88	4.36
Legal and Professional	20.17	42.73
Contribution to CSR	31.83	22.21
Payment to Contractor (operator/ Driver/Astt.)	79.45	79.86
Handling & Transportation of Seed	481.43	355.66
Storage Charges	92.25	193.19
Promotion & Publicity Expenses	1.11	3.26
Compensation	0.28	5.33
Bank Charges	2.84	2.30
Donation to CMRF	-	-
Provision for Doubtful Trade & Other Receivables, Loans & Advances (net) #	86.24	68.91
Total	3,390.78	3,142.94

Note 21 Deferred Tax (Liability) / Asset

Particulars	Figures as at March 31, 2023	Figures as at March 31, 2022
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Net Deferred Tax (Liability) / Asset at the beginning of year	259.76	250.89
Add/Less: deferred tax effect during the year		
<u>Tax Effect of Items Constituting Deferred Tax Liability</u>		
On Difference Between Book Balance and Tax Balance of Fixed Assets	(58.53)	(52.67)
On Expenditure Deferred in the Books but Allowable for Tax Purposes		
Tax Effect of Items Constituting Deferred Tax Liability @29.12%	(17.04)	(15.34)
<u>Tax Effect of Items Constituting Deferred Tax Assets</u>		
Provision for Compensated Absences, Gratuity and Other Employee Benefits	(20.93)	14.24
Provision for Doubtful Debts / Advances	86.24	68.91
Disallowances under Section 40(a)(i), 43B of the Income Tax Act, 1961		
On Difference Between Book Balance and Tax Balance of Fixed Assets		
Tax Effect of Items Constituting Deferred Tax Assets	19.02	24.21
Net Deferred Tax (Liability) / Asset at the end of Year	261.73	259.76
Total Reversal of Deferred Tax Assets	1.97	8.87

Note 22 Other Non-Current Assets

Particulars	Figures as at March 31, 2023	Figures as at March 31, 2022
	₹ in Lakhs	₹ in Lakhs
Subsidy Recoverable From Government	2.17	2.17
Security Deposits from Government	17.70	18.10
Total	19.87	20.27

Note “23” Significant Accounting Policies & Notes on Accounts.**A. COMPANY INFORMATION:-**

The Govt. of India with the aim of increasing the agricultural production incorporated the National Seed Corporation with the help of World Bank's International Development agency, and under its second phase incorporation of "Rajasthan State Seeds Corporation Limited was made dated 28th March, 1978 under The Companies Act, 1956 as Public Limited Company with the joint holding of Central Govt. and State Govt. of Rajasthan and Local Farmers. The Company started its business operation with effect from 26th May, 1978 after receiving the Commencement of Business Certificate. The Corporate Identification Number of our Company is U75132RJ1978SGC001781. The Central Govt. and State Govt. of Rajasthan and the Local Farmers were the initial subscriber of the company.

B. ACCOUNTING POLICIES:-

- (1) **Basic of Accounting:** -The financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis of accounting in accordance with the generally accepted accounting principles in India, and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 including accounting standards notified there under.
- (2) **Use of Estimates:-**The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles which requires the management to make estimates and assumptions that affect the income and expenditure during the reporting period and the assets and liabilities including contingent liabilities at the date of financial statements. The differences between actual results and estimates are recognized in the period in which results are known.
- (3) **Property Plant & Equipment:** - Property, Plant and Equipment (other than land acquired free from State Government) are carried at the cost of acquisition or construction or book value less accumulated depreciation and impairment, if any. A capital work-in-progress amounting to 1,35,83,243/- of the F.Y. 2021-22 at 24 Various shops is completed and added to the value of OFFICE BUILDING fixed assets in 2021-22.
- (4) **Borrowing Costs:** -Company is availing working capital limit from bank. Borrowing Costs are recognized as expense in the period in which these are incurred.
- (5) **Inventories:-**
 - (a) **Seeds:-**
 - (i) Certified and Foundation Seeds are valued at prime cost (which include purchase price plus processing overheads as fixed by the Board on per quintal basis and in case of own production and purchase, price plus 3% as purchase expenses and in case of direct purchases on average of both. If the stocks consist of both of own production and direct purchases) or market price whichever is lower by considering their status report (fit/ unfit) as on 30th April of next financial year
 - (ii) Breeder seeds are valued at purchase cost (minus subsidy received thereon) or market price whichever is lower.

- (iii) Raw seeds are valued at their procurement price.
 - (iv) Rejected & undersized seeds are valued at estimated realisable value.
 - (v) Cotton seeds including certified, foundation seeds and raw seeds are valued at cost or at net realisable value, whichever is lower and in case of cotton lint (By product) are valued at estimated cost.
- (b) Packing & Processing Material are valued at cost except for used/rejected material which is not valued as its realisable value/cost will be known only at the time of its disposal.
- (c) The units are in a practice of maintaining stock records in a manual register only

(6) Depreciation:-

- (a) Depreciation has been charged on fixed assets as per the provisions of Part C of Schedule II of the Companies Act, 2013 based on useful life and residual value. Depreciation charged for the current year is INR 2,27,84,326/- (Previous Year INR 2,56,72,521/-)
- (b) Most of the plants are working in single shift. Some of the processing plants are operating in double shifts for a period of few days on account of time bound programmed for the purpose of grading such seeds in time. However, the Company has charged depreciation at the rate applicable to single shift.

(7) Revenue Recognition:-

- (a) Sale of all kinds of Seeds are accounted for after deducting there from the amount of GST, Mandi tax, trade discount etc. Marketing and NFSM subsidy received from the Department of Agriculture has been considered as a part of sale/revenue.
- (b) The CSS Subsidy from Rabi crop season 2022-23 has been changed by GOI and no specific guideline with regards to the Kharif-2022 issued from the GOI and company had already distributed the seed in Kharif-2022. Thus due to the absence of proper guideline company has not considered its subsidy income amounting to Rs. 86,04,478/- on the distributed Kharif-2022 seeds during the year. The Subsidy amount of Rs. 75.04 Lacs. which was reversed in previous financial year due to non approval has been received in current year and included in current year income.
- (c) CSS Subsidy: - 60 % & 40 % Subsidy has been reimbursed from Central Govt. & State Govt. respectively. This amount of the subsidy has been included in sale of Certified Seed.

(8) Purchase:-

- (a) Own procurement of seeds are accounted for when their germination reports are certified and other related formalities in respect thereof are complete. Advances given to seed Growers/Producers against seeds delivered at plant are adjusted only when such purchases are recognized.
- (b) Direct purchases are accounted for on receipt of seeds by the Company.
- (c) Raw seeds seasonal procurement cost is accounted for on their receipts of such seeds by the Company as decided by the Board of Directors at their each seasons Dhencha, Til and Maize are purchased on Raw Basis.

(9) Consumption of the Packing and Processing Materials:-

- (a) Consumption of the packing and processing materials are booked on the basis of balancing figures arrived at by purchases made during the year plus opening stock and deduction of physical closing stock available with the Company at the end of the accounting year.
- (b) Stores & Spares are treated as consumed & charged in Profit & Loss Account in the year in which they are purchased.

(10) The adjustment of disputes, if any, in respect of sales/purchases prices are accounted for in the year in which they are settled.

(11) Employee Benefit:-**(a) Gratuity:-**

The Company has created a Trust to administer the gratuity payment. The Trust in turn has taken Group Gratuity Cash Accumulation Scheme Policy in the year 2008-09 in place of Group Gratuity cum Assurance Policy covering the eligible employees with the Life Insurance Corporation and accordingly the premium is paid by the Company to Life Insurance Corporation as and when fall due.

(b) Leave Encashment:-

The Company has taken Leave Encashment -cum-Assurance Policy covering the eligible employees with the Life Insurance Corporation and accordingly the premium is paid by the Company to Life Insurance Corporation as and when fall due.

(12) Grants in Aid:-

- (a) Capital Grant-in-Aid received for the purpose of acquiring the specific fixed assets are deducted from the original cost of such fixed assets.
- (b) Production subsidy received from The Director of Agriculture is accounted for as per the actual production obtained from the seed growers during the year.
- (c) Marketing subsidy received from The Director of Agriculture is accounted for on the basis of actual sales of certified seeds as considered eligible for subsidy after verification done by the concerned Deputy Director (Agriculture), Govt. of Rajasthan.
- (d) Reimbursement of maintenance cost received from Government of India under the Seed Bank Scheme is accounted for in the year of its sanction by The Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi.
- (e) Subsidy received from Director of Agriculture for the purpose of treatment of seeds is accounted for in the year of its receipt.

(13) Deferred Tax Assets/Liabilities:

Deferred tax being the difference between tax profit and book profit is accounted for using the tax rates and laws for the time being in force or subsequent enacted law as on the balance sheet date. Deferred tax assets are recognized to the extent there is a reasonable certainty that those assets shall be realized in future.

(14) Impairment of Assets: -

The brought forward amount of assets is reviewed as on each Balance Sheet date. If there is any indication of their impairment based on internal/external factors, such asset is considered as impaired and accounted for accordingly. An impairment loss is charged to the Statement of Profit and Loss in the year in which such asset is identified as impaired.

(15) Earnings per share:-

S.No	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Earnings attributable to the equity share holder	9,86,27,942/-	Rs. 17,78,73,189/-
2	Number of Shares	759976	759976
3	Earnings Per Share	129.78	234.05

C. Notes on Accounts:**(16) Contingent Liabilities not provided for:**

(I) No provision has been made in respect of below mentioned disputed demands: -

	Particulars	Current Year	Previous year
(a)	Legal cases and o thers mainly related to dispute raised by daily workers working at different locations, seed growers etc., as pending before appropriate court.	Rs. 23,76,20,542/-	Rs. 24,10,80,816/-

(ii) Estimated amount of contracts remaining to be executed against various grants/subsidy or otherwise are at Rs. 30.92 Lakhs (Previous Year- 115.45 Lakhs)

(17) Taxation:-

In respect of various revenue taxation laws such as VAT, Income Tax, GST the liabilities which are under disputes are accounted for in the year of their finalization and settlement.

(18) Purchase, sale & closing stock of all kinds of certified seeds includes Truthful Label Seeds also. Purchase and sales also include goods produced at farm owned by the Company and given on lease to farmers on contract basis.

(19) Income from farms includes Leased Rent and sale of miscellaneous farm produce so obtained.

(20) Plant & Machinery & Buildings transferred by the State Govt. to the Company have been valued on ad-hoc estimated basis/ Notional Value and shown in the books of account accordingly. The depreciation on the same has been charged on such cost. The land transferred by the State Government to the Company is valued at Nil.

(21) A sum of Rs. 53.26 lakh has been transferred from Capital Works in Progress to Fixed Assets (Administrative Building) in the year 1989 - 1990, acquisition of such building and the possession of the same has been taken over by the Company. The matter of receipt of title deeds from the State Govt. in favour of the Company is still pending.

(21 A) Disclosure with respect to the Title Deed of immovable property not held in the name of the Company:

Relevant Line Item in the Balance Sheet	Description of item of Property	Gross Carrying Value	Title deeds held in the name of	whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter/director or employee of promoter/director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of the company
PPE	Land & Building - Administrative Building	Rs. 53.54 Lakhs	State Govt. - Agriculture Dept.	Agency of the Promoter - State Govt.	F.Y.1989 -90	The matter of receipt of title deeds from the State Govt. in favour of the Company is still pending.

(22) Related party disclosure:-

Company is not having any transactions with its Directors as described in the AS-18.

(23) Payments made to Chairman and Managing Director have been debited to the relevant accounting heads:

		31.03.2023 (Rs.)	31.03.2022 (Rs.)
1.	Salary & Allowances	46,66,644/-	26,52,445/-
2.	Travelling Expenses.	8,47,526/-	31,933/-
3.	Medical Reimbursement	-	51,800/-
	Total	55,14,170/-	27,36,178/-

(24) Detail of payments of Remuneration to the Auditors during the year:

		31.03.2023 (Rs.)	31.03.2022 (Rs.)
1.	Statutory Audit Fee	1,30,000/-	1,30,000/-
2.	Tax Audit Fee	65,000/-	65,000/-
3.	GST and Reimbursement of Expenses	1,34,717	2,67,259/-
	Total	Rs. 3,29,717/-	Rs. 4,62,259/-

- (25) IDBI has wrongly issued T.D.S. Certificate twice at Rs.53,630/- in the year 1999-2000 which was taken in to accounts, has been shown as Sundry Creditors (others) under the head Current Liabilities.
- (26) During the period of financial year 2003-04 to 2008-09 the Company did not contribute any fund towards State Renewal Fund as no such demand being raised by Bureau of Public Enterprises. From the Financial Year 2009-2010 BPE has raised demand of 2% of Share Capital or 20.00 Lakh whichever is lower. Hence the Company in this respect has made a provision of Rs.15,18,572/- during the year.(Previous Year Rs.15,18,572/-)
- (27) (a) The Company has taken Leave Encashment-cum-Assurance Policy in the year 2007-08 in respect of leave encashment as retirement benefit covering the eligible employees with Life Insurance Corporation of India. The liability up to year ended 31.03.2023 is Determination by the Life Insurance Corporation and is Rs. 17,35,476/- (Previous Year Rs. 22,44,027/-). Company has also taken another policy for the rest of the employees in 2018 for which liabilities has been ascertained by the LIC up to the Year 31.03.2023 amounting to Rs. 18,92,970/- (Previous Year Rs. 19,08,891/-) and third policy taken for remaining/newly added employee for which prepaid Liability up to year 31.03.2023 amounting to Rs. 5,45,506/- (Previous Year Nil).
- (b) The Company has taken Group Gratuity Cash Accumulation Scheme Policy in the year 2008-09 in place of Group Gratuity cum Assurance Policy in respect of Gratuity as retirement benefit covering the eligible employees with Life Insurance Corporation of India. The Liability up to 31.03.2023 as determined by the Life Insurance Corporation is to be paid in instalments as per mutual settlement which may be to the Charged of Rs. 12,31,463/- (Previous Year Rs. 18,93,690 /-) being provided for in the books of account. Company has also taken another policy for the rest of the employees in 2018 for which liabilities has been ascertained by the LIC up to the Year 31.03.2023 amounting to Rs. 17,47,506/- (Previous Year Rs. 29,39,398/-) and third policy taken for remaining/newly added employee for which prepaid Liability up to year 31.03.2023 amounting to Rs. 6,87,125/- (Previous Year Nil).
- (c) The details of such Scheme are as under:-

Particulars	Group Leave Encashment Scheme	Group Gratuity Scheme
(a) Present value of obligation service benefit	Rs. 3,63,85,448 /-	Rs. 5,99,54,433 /-
(b) Fair value of fund at the end of year	Rs. 3,33,02,508 /-	Rs. 5,76,62,589 /-
(c) Funded status (Liability)/Assets	Liability Rs. (30,82,940/-)	Liability Rs. (22,91,844/-)
(d) Payment to be made	Liability Rs. (8,38,913 /-)	(Rs. 22,91,844 /-)
(e) Provision already held as Opening	Rs. 22,44,027 /-	
(f) Payment made as expenses		
(g) Charged in P&L Account	Rs. 16,60,425/-	Rs. 29,64,701/-

- (28) Subsidy received against Farm Development under OPP Scheme and funds received under UNDP Scheme are managed by the Company as Nodal agency.
- (29) **Dividend:-**
Provision for Dividend & Dividend Tax have been made in the book of account at Rs. 75,92,858/- & NIL and now dividend is taxable in the hand of recipient only respectively (Previous Year Rs. 75,92,859/- & Rs. Nil)
- (30) **Cash and Cash Equivalents:-**
- a) A Sum of Rs. 99,000/- (previous year Rs. 99,000/-) shown under the head "Cash & Bank Balances (Current assets)" which is in respect of the amount transferred by a unit of the Company to its Head Office through Bank M.T. (Money Transfers) and Collection Account during the year 1982-83 to 1986-87 has not been acknowledged by the Transferee Branches of such banks till March 31, 2023. In the year 2000-01 the Company filed a civil suit against the State Bank of Bikaner & Jaipur for the purpose of recovery of the amount but claim was rejected by the Hon'ble Civil Court, Jaipur in the year 2003-2004 for which second appeal has been filed before to Hon'ble High Court. The decision is awaited.
- b) The Company transfers amount of expired cheques (which are not lodged/claimed by parties) to Dead Cheque ledger account.
- c) During the year State Bank of India has wrongly reported a Commitment charge in the CC Limit account of the company amounting to Rs. 73,69,528.14/-, which was later on identification with the bank have been reversed in the F.Y. 2023-24 by the Bank, thus the same has been reported as Claim Recoverable under the Asset head Current Assets.
- (31) **Farm on lease:-**
- (a) Agriculture farms land was allotted by Government of Rajasthan in earlier year on leasehold basis. In the absence of determination of amount of lease rent by Government of Rajasthan, the Company has not provided any such lease rent liability in its books of account. However, there is no segregation of farm allotted to company from which lease term can be determined.
- (b) Expenses incurred by the Company for the purpose of their development of Farms taken on lease, have been charged to P&L account being considered as revenue expenditure.
- (32) The Company has provided a sum of Rs. 86,23,729/- (PY Rs. 68,90,505/-) as provision for bad-debts in the year under consideration out of which Rs. 94,60,957/- has been Provided for bad-debts (PY Rs. 87,00,461/-) pertains to Sundry debtors & Rs. (-) 8,37,228/- has been recovered/adjusted (PY Rs. (-) 18,09,956/-) pertains to Advances to Seed Grower & Loans and advances by Rs. Nil/- (PY Rs. Nil) by the management.
- (33) In accordance with the Accounting Standard-22 (AS-22) regarding "Accounting for Taxes on Income" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, which become mandatory from 1.4.2002, the

cumulative tax effects of significant timing differences, that resulted in Deferred Tax Assets & Liabilities are as under :-

Particulars		Def. Tax Assets/ (Liabilities) As on 01-04-2022	Current year (Charge)/ Credit	Def. Tax Assets/ (Liabilities) As on 31.3.2023
A.	Deferred Tax Assets			
	-Leave Encashment	12,09,329	(3,11,578)	8,97,751
	- Bad-Debts	3,54,94,556	25,11,230	3,80,05,786
	- Provision for Gratuity	10,91,700	(7,40,010)	3,51,690
	Total (A)	3,77,95,585	14,59,642	3,92,55,227
B.	Deferred Tax (Liability)/ Assets			
	- Depreciation	(1,03,74,389)	(17,04,486)	(1,20,78,875)
	- State Renewal Fund	(14,45,183)	4,42,208	(10,02,975)
	Total (B)	(1,18,19,572)	(12,62,278)	(1,30,81,850)
	Net Deferred Tax Assets/ (Liability) (A+B)	2,59,76,013	1,97,364	2,61,73,377

(34) A. DAG Lift Irrigation:-

Vide sanction letter no.F.4(2), Budget/Plan/ 89-90/22 dated 6.04.1989, an amount of Rs.6.06 lakh received on 7.06.1989 for lift irrigation. The amount of Rs. 5.93 lakh is yet to be utilized.

B. Bajra Seed Production Subsidy:-

Vide sanction no. F.(24)(277)/DA/RKVY/2010-11/15569-578 dt. 28.03.2011, an amount of Rs. 3.00 Crore received for hybrid Bajra Seed Production through private seed producers. The amount of Rs. 3.00 Crore is not utilized. Hence this amount has been shown as subsidy refundable to govt. under current liabilities.

(35) In the year 2006-07 an amount of Rs. 6.26 lakh paid to various farmers as Compensation due to supply of poor quality of seeds, which was supplied to RSSCL by M/s Real Marketing, Jalna and M/s Sai Seeds Corporation, Andhra Pradesh. Company has filed suits before the appropriate court and lodged a claim of Rs. 27.33 lakh on dated 21.05.07 against the above suppliers. Necessary accounting treatment will be passed when any award is pronounced by the court.

(36) There is no Micro and Small Enterprises to whom the Company owes dues, which are outstanding for more than 45 days as at 31st March 2023. This Information as required to be disclosed under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 has been determined to the extent such parties have been identified on the basis of the information available with the Company.

(37) Unpaid dividend amount for the financial year 2014-15 amounting to Rs. 1,20,046/- has not been transferred to Investor Education and Protection fund during the year.(Previous Year Rs. 93,390/-).

(38) As per Sec 135 (5) of Companies Act, 2013, the company has made the provision for CSR of Rs. 31,82,648 /- during the year.(Previous Year Rs. 22,21,469 /-)

(A) Corporate Social Responsibility (CSR)

Where the company covered under section 135 of the companies act, the following shall be disclosed with regard to CSR activities:-

(a)	amount required to be spent by the company during the year,	31,82,648/-
(b)	amount of expenditure incurred,	1,92,799/-
(c)	shortfall at the end of the year,	29,89,449/-
(d)	total of previous years shortfall,	14,80,553/-
(e)	reason for shortfall,	Due to proposal not received
(f)	nature of CSR activities,	Social Welfare
(g)	details of related party transactions, e. g., contribution to a trust controlled by the company in relation to CSR expenditure as per relevant Accounting Standard,	N/A
(h)	where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year should be shown separately.	-

(39) The figures for the previous year have been regrouped/re-arranged/recanted where ever necessary to make them comparable with those of the current year.

(40) Sundry Debtors, Creditors, Loans & Advances, Security Deposits, Current Liabilities, Outstanding Liabilities, Deposit with Agriculture Department and Revolving fund with seed banks have been taken at their book value irrespective of the fact that confirmation/ reconciliation of such accounts is still awaited.

- The Company is making provision for debtors and Seeds Growers aged more than 3 years treating as doubtful. The company is following this practice for making provision of doubtful debts for past years on regular basis.
- A sum of Rs. 16.13 Crore is shown under the head current liabilities as Sundry Creditors for goods under litigation, which is related to JK Agri Genetics Limited. A legal case in respect of this issue is ongoing and status of which is still pending in the Commercial Court, Jaipur.

c. Trade Payables ageing Summary

31.03.2023

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment / Invoice date (Rs. in Lakhs)				Total (Rs. in Lakhs)
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	-	-	-	-	-
(ii) Others	1020.42	438.23	340.21	310.25	2109.11
(iii) Disputed dues - MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues – Others	-	-	-	-	-

31.03.2022

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment / Invoice date (Rs. in Lakhs)				Total (Rs. in Lakhs)
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	-	-	-	-	-
(ii) Others	460.51	290.05	187.58	271.21	1209.35
(iii) Disputed dues - MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues – Others	-	-	-	-	-

d. Trade Receivable Ageing Summary

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment (Rs. in Lakhs)					Total (Rs. in Lakhs)
	Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
31.03.2023						
(i) Undisputed Trade Receivable – considered good	2668.54	1232.36				3900.90
(ii) Undisputed Trade Receivable – considered doubtful	-	-	863.00	179.24	-	1042.24
(iii) Disputed Trade Receivable – considered good	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivable – considered doubtful	-	-	-	-	1193.51	1193.51

31.03.2022

(i) Undisputed Trade Receivable – considered good	2333.72	587.64				2921.36
(ii) Undisputed Trade Receivable – considered doubtful	-	-	477.16	244.12	-	721.28
(iii) Disputed Trade Receivable – considered good	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivable – considered doubtful	-	-	-	-	1098.90	1098.90

(41) Details of Grant utilization.

(Amount in Rs.)

		31.03.2023	31.03.2022
A	Capital Subsidy		
1	Infrastructure Subsidy (Godown)	-	-
2.	Seed Bank Subsidy (Godown)	-	-
B	Revenue Subsidy		
1.	Production Subsidy	28,99,88,466/-	22,44,46,113/-
2.	Marketing Subsidy	13,42,70,670/-	27,91,46,469/-
3.	CSS (GOI+State Govt.)	11,54,56,840/-	13,20,72,057/-
4.	NFSM (C/S)	6,47,81,880/-	22,77,28,034/-
5.	Maintenance of seed bank	48,62,564/-	17,85,000/-

(42) The figures have been rounded of to a nearest rupee.

(43) a. The Corporation is holding stock of seeds of various types to in Total to 63932 Qtls as on 31.03.2023 (PY 50352 Qtls.) is supplied by seeds growers and is in process of grading and Certification. The Corporation had made against seeds advance of Rs. 40,72,99,175/- (PY 31,97,52,257/-) to the seed growers on this account.

b. we have taken the Rabi Seed status (Fit/unfit) up to October, 2023, the financial impact of this results in devaluation of stock value by Rs. 182.05 Lakhs. (PY Rs. 196.34 Lakhs)

(44) Prior period items:-

As per past practice, prior period income amounting to Rs. (37,16,416/-) (PY 54,49,359/-) and expenses amounting to Rs. (6,086/-) (PY 1,44,760/-)

(45) Segment Reporting: The main activity is only Seed Segment.

(46) As per Accounting Standard 17 on Segmenting Reporting the Company has to maintain proper records showing particulars of total costs incurred during the period for acquisition of fixed assets and intangible assets in respect of geographical segments. However, the company does not maintain particulars as to which asset has been allocated to which geographical segment hence the reporting under Accounting Standard 17 on Segmenting Reporting is not applicable.

(47) The Income Tax Assessment of the corporation for the AY 2017-18 is made vide order dated 23.12.2019 making additions of Rs. 2,18,82,718/-. The Corporation has not accepted the additions and has filed an appeal with the CIT (Appeals)– 1, Jaipur.

(48) Accounting Ratios

S. No.	Particular	Numerator	March 31, 2023	March 31, 2022	Reason for Movements
		Denominator			
(a)	Inventory Turnover Ratio	Turnover/Average Inventory	2.98	3.38	Increase in Sales Revenue and movement is Stock is much lesser thus increase in Stock Turnover Ratio.
(b)	Trade Payable Turnover Ratio	Turnover/Avg. Trade Payables	2.69	9.52	Turnover has been reduced on a level while Ach. trade payable movement is higher comparison to Turnover
(c)	Debt Service Coverage Ratio	EBITDA- Capex	16.47	9.18	Company has taken the CC limit from SBI, and during the year due to minimal utilisation of the CC limit interest cost has been reduced & Capex has also been on a lesser value compare to P.Y thus higher DSCR.
		Debt Service			
(d)	Current Ratio	Current Assets	2.83	2.84	Due to the excess realisation of the debtors liquidity of the company is being increased thus results in increased Current ratio
		Current Liabilities			
(e)	Debt-Equity Ratio	Debt	-	-	The company does not have any long term loan and any kind of debenture issued thus debt equity ratio not applicable.
		Equity			
(f)	Return on Equity Ratio	Profit After Tax	5.80	11.34	The ratio is increased due to the increased revenue and on the counter part there is decline in the interest cost of the CC limit due to higher debtor recovery.
		Average Shareholders' Equity			
(g)	Trade Receivables turnover ratio (in times)	Net Credit Sales	5.33	8.82	Movement is not more than 25%, so that reason is not required to be disclosed.
		Average Trade Receivables			
(h)	Net capital turnover ratio (in times)	Turnover	1.42	1.82	Movement is not more than 25%, so that reason is not required to be disclosed.
		Working Capital			

(i)	Net profit ratio	Profit After Tax	4.31	6.46%	The ratio is increased due to the increased revenue and on the counter part there is decline in the interest cost of the CC limit due to higher debtor recovery as well as increase in variable cost is not so significant and Fixed remains constant for the increased revenue
		Total Sales			
(j)	Return on Capital employed	Operating Profit	0.08	0.17	Movement is not more than 25%, so that reason is not required to be disclosed.
		Total Capital Employed			
(k)	Return on investment.	Profit After Tax	1.30	2.34	The ratio is increased due to the reason that Initial Valuer of the Investment is constant for the past years and on the other hand Profit has been increased approx. 1.6 times.

49. Ageing Summary of Capital Work in Progress:**31.03.2023**

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment / Invoice (Rs. in Lakhs)				Total (Rs. in Lakhs)
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Project in Progress	-	76.96	-	-	76.96
(ii) Project temporarily Suspended	-	-	-	-	-

31.03.2023

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment / Invoice date (Rs. in Lakhs)				Total (Rs. in Lakhs)
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Project in Progress	-	-	-	-	-
(ii) Project temporarily Suspended	-	-	-	-	-

(50) Additional information pursuant to the provisions of paragraphs 3 & 4 Part II of the Schedule VI to the Companies Act, 2013 are as under :-

RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LIMITED

CIN NO. U75132 RJ 1978 SGC 001781

DETAILS OF STOCK AS ON 31ST MARCH, 2023

(A)

	Certified Seeds		F/s & B/s Seeds		Cotton Lint		Rejected & U/size		Raw/Graded Seed	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Opening Stock										
Qty.(Qtls.)	89941	167243	13893	18447	-	-	11607	35382		
Value(Rs.)	309221056	464326283	56653950	72714135	-	-	21770550	101978573	2858960	2898448
Stock in Transit										
Qty (Qtls)		-		-						
Value (Rs.)		-		-						
Purchases /added during the year:										
Qty.(Qtls)	269731	414348	30187	38471			27248	79486		
Value(Rs.)	1522674326	1546717438	160453630	198785754						
Conversion.(Qtls)	4412	2302	5959	9772						
Sales:										
Qty.(Qtls)	291273	415788	33718	42318	-	-	954	103069		
Value(Rs.)	2140134854	2291459076	146757957	161976916	-	-	3345752	299325249		
Conversion.(Qtls)	6586	9772	3785	2302						
Rejected .(Qtls)	19150	68180	4959	8109						
Closing Stock										
Qty(Qtls.)	47082	89941	7531	13893	-	-	37887	11607		
Value(Rs.)	260191192	309221056	42629800	56653950	-	-	102139617	21770550	2361698	2858960
Stock in Transit:										
Qty.(Qtls.)		-								
Value(Rs.)										
Shortage.(Qtls)	7	212	46	68	-	-	13	192		

Note:

1. Nil Raw Cotton purchased during the year(Previous year Nil), out of this Lint Nil, Seed Nil and Undersized etc.Nil (Previous year Lint Nil, Seed Nil and Undersized etc. Nil) products have been manufactured. Value has been included in certified seed of above Raw Cotton and other varieties of Raw / Graded Seed.
2. Quantities mentioned above are taken as on 31st March, whereas the valuation of the same has been done as per the status report (fit/unfit) as on 30th April every year. Quantity has been rounded off in Qtls.
3. Purchases value of certified seed includes purchases expenses and after deducting production subsidy.
4. Sales value of certified seed includes marketing subsidy & after deduction of trade discount.

(B) Statement of capacity utilised & Installed capacity:

	<u>2022-23</u>	<u>2021-22</u>
i) Installed capacity (in Qtls)	2074000	2074000
ii) Capacity utilized (in Qtls)	387295	535543

(C) Other Information:-

a) Value of imports in respect of raw material Component and spare parts and capital goods.	Nil	Nil
b) Expenditure in foreign currency on account of royalty, Know-how, professional. Consultation fees, interest and other matters.	Nil	Nil
c) Value of imported raw material etc.	Nil	Nil
d) The amount remitted in foreign currencies on Account of dividend etc.	Nil	Nil
e) Earning on foreign currencies.	Nil	Nil

Balance sheet Abstract and Company's General Business Profile in pursuance to the part IV of the schedule VI of the Companies Act, 2013 are as under:-

i) Registration details: Registration No.1781 Balance sheet date 31.03.2023		State code: 17
ii) Capital raised during the year (Amount in Rs. Lakhs) Public Issue- Nil Bonus Issue- Nil		Right issue- Nil Private placement- Nil
iii) Position of Mobilization and Deployment of Funds (Amount in Rs. Lakhs) Equity and Liabilities: Shareholder Fund Non-current liabilities Current liabilities Performance of Company (Amount in Rs. Lakhs)	28198.87 17448.24 1965.86 8784.77	Assets: Non-Current Assets: Current Assets: Investment: 28198.87 3341.89 24856.98 Nil
iv) Turn over : Profit/ Loss before Tax & Prior Period Items: Profit: Earnings per share in Rs.	23235.40 1279.20 129.78	Total Expenditure: Profit/loss after tax: Profit: Dividend rate: 21956.20 986.28 10%
v) Generic Names of three principal products/services of Company (as per monetary terms) Item Code No. (ITC Code) 120900 Product description: Seed for sowing.		

(Signature to Note 1 to 23)

sd/- Rakesh Mamnani Company Secretary M.No. F8834	sd/- Man Mohan Meena Sr. Manager (Fin.)	sd/- K.C. Meena General Manager	sd/- Suwa Lal Yadav Director DIN No.09029096	sd/- Charmesh Sharma Director DIN No. 10146109	sd/- Jaswant Singh Managing Director DIN No. 08383856
---	--	--	--	--	---

As per our separate report of even date annexed hereto,
For **Gopal Sharma & Co.**
Chartered Accountants
FRN No. 002803C

Place : Jaipur
Date : 01-12-2023
UDIN - 23437669BGWUA

(Preetam Sharma)
Partner
M.No.437669

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड

तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, भगवानदास रोड़, जयपुर-302005

CIN- U75132RJ1978SGC001781, www.rajseeds.org
Tel- 0141-2227665, 2227514, e-mail- csrajseeds@gmail.com

प्रतिनिधी-पत्र (PROXY FORM)

मैं/हम (सदस्य/सदस्यों का नाम) निवासी
(सदस्य/सदस्यों का पता) जिले का/के रहने वाला हूँ/वाले हैं राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
का/के सदस्य होने के नाते (Proxy का नाम) निवासी
..... (Proxy का पता) को अपनी अनुपस्थिति में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता हूँ/करते है, जो कम्पनी
की 45वीं वार्षिक साधारण सभा में, शुक्रवार दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 को मध्यान्ह पश्चात् 12:15 बजे होगी तथा
उसकी किसी स्थगित बैठक में मेरे/हमारे स्थान पर भाग लेगा और मत देगा।

साक्षी रूप में मैं/हम (दिन) (तिथि) को हस्ताक्षर करता हूँ/ करते है। श्री
..... (साक्षी का नाम) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये।

₹0 1/- का
रेवेन्यू टिकिट
चिपकाएँ

हस्ताक्षर

टिप्पणियाँ :

1. प्रतिनिधि का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।
2. प्रतिनिधि परिपत्र 1/- रुपये की रेवेन्यू टिकिट के आरपार वैध हस्ताक्षरों सहित बैठक का जो समय निश्चित किया गया है उससे कम से कम 48 घंटे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर-302005 पर जमा करवाना अनिवार्य है।

ATTENDANCE SLIP

**Forty Fifth Annual General Meeting on
29th Day of December, 2023 at 12:15 P.M.**

Registered Folio no.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Name of Shareholder/ Proxy

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No. of Shares Held

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

I Certify that I am a member/proxy for the member of the company.

I hereby record my presence at Forty Fifth Annual General Meeting at Auditorium, State Institute of Agriculture Management (SIAM) Durgapura, Jaipur -302018 (Rajasthan), on Friday, 29th Day of December, 2023 at 12:15 P.M.

Signature of Member/ Proxy

NOTES: Please fill up this attendance slip and hand it over at the entrance of the meeting hall.

Form No. MGT-11

Proxy form

[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CIN:	
Name of the company:	
Registered office:	

Name of the member(s):
Registered address:
Email Id:
Folio No./Client Id:
DP ID:

I/We, being the member (s) of shares of the above named company, hereby appoint

1. Name:

Address:

E-mail Id:

Signature:

, or failing him

2. Name:

Address:

E-mail Id:

Signature:

, or failing him

3. Name:

Address:

E-mail Id:

Signature:

, or failing him

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the Forty Fifth Annual General Meeting of the company, to be held on the Friday, 29th Day of December, 2023 at 12:15 PM at Auditorium, State Institute of Agriculture Management (SIAM) Durgapura, Jaipur -302018 (Rajasthan), and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Resolution No.	Particulars
1.	
2.	
3.	

Signed this..... day of..... 20...


Signature of shareholder

Signature of Proxy holder(s)

Affix
Revenue
Stamp

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

ROUTE MAP OF 45TH ANNUAL GENERAL MEETING:





if Undelivered please return to
RAJASTHAN STATE SEEDS CORPORATION LTD.
3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath, Jaipur-302005
CIN-U75132RJ1978SGC001781
Tel-0141-2227665, 2227514
www-rajseeds.org

राजसीड्स/उ.बी.सा./2022-23/दिसम्बर 2023/4500